

वार्षिक रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इलाहाबाद

बन १८५४—१५६०



मुद्रकः

आधीकन, राजकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

१९५७

350-28 H
3



विषय सूची

विषय		पृष्ठ
(१) कमीशन के सदस्य	...	१
(२) कमीशन के कर्मचारी	...	१
(३) आय तथा व्यय	...	२
(४) कमीशन की बैठकें	...	२
(५) परीक्षा द्वारा भर्ती	...	२
(६) चुनाव द्वारा भर्ती	...	४
(७) बिना विज्ञापन के भर्ती	...	८
(८) पदोन्नति द्वारा भर्ती	...	९
(९) अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण	...	१२
(१०) उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में या पदों पर विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के कर्मचारियों का अन्तर्निधान	...	१५
(११) स्थानान्तरण द्वारा चुनाव	...	१८
(१२) पुष्टिकरण	...	१८
(१३) पुनरावेदन तथा अनुशासनात्मक मामले	...	१८
(१४) असाधारण पेशान तथा उपदान	...	२१
(१५) वैध व्ययों के लौटाने के लिये दावे	...	२१
(१६) सेवाओं तथा पदों के लिये नियम	...	२२
(१७) कार्य सीमन सम्बन्धी विनियम	...	२३
(१८) विविध निर्देश	...	२५
(१९) अन्य विषय	...	२५
(२०) सामान्य कथ्य तथा निष्कर्षीय वक्तव्य	...	२७

परिशिष्ट

परिशिष्ट १—सूची, जिसमें कमीशन के १९४८-४९ से १९५४-५५ तक के कार्यों को दर्शाया गया है।

परिशिष्ट २—परीक्षा द्वारा भर्ती।

परिशिष्ट ३—चुनाव द्वारा भर्ती।

परिशिष्ट ३-अ—सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दर्शाया गया है, जिनके लिये १९५४-५५ के अन्तर्गत चुनाव नहीं किये जा सके।

परिशिष्ट ४—बिना विज्ञापन के भर्ती।

परिशिष्ट ४-अ—बिना विज्ञापन की भर्ती के न निवटाये गये मामलों की सूची।

परिशिष्ट ५—पदोन्नति द्वारा भर्ती।

परिशिष्ट ५-अ—पदोन्नति द्वारा भर्ती के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५५ ई० तक निवटाये न जा सके।

परिशिष्ट ६—नियमितकरण के मामले।

परिशिष्ट ६—अ—नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रैल, १९५५ ई० तक निबटाये न जा सके ।

परिशिष्ट ७—उन पदाधिकारियों के पुष्टकरण के मामलों की सची, जो सीधी भर्ती द्वारा कमीशन के परामर्श से पहले अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे ।

परिशिष्ट ८—असाधारण वेन्शनें तथा उपदान ।

परिशिष्ट ९—वैध व्ययों के प्रत्यर्पण के दावे ।

परिशिष्ट १०—सेवाओं तथा पदों के नियम ।

परिशिष्ट ११—महत्वपूर्ण विविध निर्देश ।



प्राक्कथन

भारत संविधान के अनुच्छेद ३२३, खंड (२) के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश, सन् १९५४-५५ ई० की अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करता है।

नफीसुल हसन, अध्यक्ष,
पीतम्बर दत्त पाण्डे, सदस्य,
तेजस्वी प्रसाद भल्ला, सदस्य,
राधा कृष्ण, सदस्य।

इलाहाबादः
११ सितम्बर, १९५६ ई०।



उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सन् १९५४-५५ ई० के कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट

१—कमीशन के सदस्य

श्री के० एम० लाल, एम० ए०, एल-एल० बी०, ३० दिसम्बर, १९५४ तक अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात् ६० वर्ष की आयु के हो जाने पर वे अपने पद से अलग हुये। १ जुलाई, १९५४ को उन्होंने सेवा निवृत्ति की तैयारी में ४ महीने की छुट्टी के लिये जो उन्हें प्राप्त थी, आवेदन-पत्र दिया था, किंतु सरकार ने इस छुट्टी को जनहित में अस्वीकार करके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (सेवा की शर्त) विनियमों के विनियम ९(३) के अधीन पद से अलग होने की तिथि अर्थात् ३१ दिसम्बर, १९५४ से स्वीकार किया। किन्तु उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेन्ट जनरल ने इस पर यह आपत्ति उठाई है कि पदावधि की तिथि के बाद छुट्टी देने का अर्थ हो जाता है सेवा में वृद्धि करना, जो संविधान के अनुच्छेद ३१६(२) के बाहर है और अभी तक छुट्टी के बेतन की अनुमति नहीं दी है।

श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०, १७ जनवरी, १९५५ तक सदस्य के रूप में कार्य करते रहे और उसके बाद अध्यक्ष नियुक्त किये गये। ३१ दिसम्बर, १९५४ से १७ जनवरी, १९५५ तक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उन्होंने अध्यक्ष के प्रशासकीय कार्यों का भार भी संभाला।

श्री पीताम्बर दत्त पाण्डे, एम० ए०, वर्ष भर सदस्य बने रहे। श्री नफीसुल हसन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो जाने पर सदस्य का जो स्थान रखत हुआ उसमें श्री तौजस्वी प्रसाद भल्ला, एम० ए०, एल-एल० बी०, ने २५ जनवरी, १९५५ से तीसरे सदस्य के रूप में पद-भार ग्रहण किया।

२—कमीशन के कर्मचारी

श्री राम नरेश लाल, एम० ए०, एल-एल० बी०, ३० सितम्बर, १९५४ तक कमीशन के सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहे। तत्पश्चात् उनकी नियुक्ति स्थायी रूप से हो गई। श्री शिवलाल ३० सितम्बर, १९५४ तक कमीशन के सहायक सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहे और तत्पश्चात् श्री राम नरेश लाल के स्थान में उक्त पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किये गये। श्री एस० जेड० हसनैन कमीशन के अतिरिक्त सहायक सचिव के अस्थायी पद पर वर्ष भर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहे।

२—आलोच्य वर्ष में अवर वर्ग सहायक (Lower Division Assistant) के दो नये पद सूचित किये गये और अतिरिक्त सहायक सचिव तथा सामान्य विभाग में निदेश लिपिक के अस्थायी पदों की अवधि एक वर्ष तक और बढ़ा दी गई।

निम्नलिखित प्रस्ताव १९५५-५६ की नयी मांगों की सूची में फिर रखवे गये :—

(१) निदेश लिपिक के उपर्युक्त अस्थायी पद को स्थायी करना,

(२) अतिरिक्त सहायक सचिव के अस्थायी पद को एक वर्ष और चलते रहने देना, तथा

(३) सहायक अधीक्षक के एक नये पद का निर्माण ।

प्रवर वर्ग सहायक (Upper Division Assistant) के दो तथा अबर वर्ग सहायक के दो नये पदों के निर्माण का भी एक प्रस्ताव उसी सची में सम्मिलित कर दिया गया । पछिलक सर्विस कमीशन के कार्यालय में अब कार्ये अधिक बढ़ गया है और उसके लिये विद्यमान कर्मचारीगण अपर्याप्त हैं । १९४८-४९ से १९५४-५५ तक के कमीशन के काम के आंकड़ों का एक तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट १ में दिया गया है ।

३—सदा की भाँति इस वर्ष भी २,००० की इकट्ठी धनराशि स्वीकृत हुई, जो कमीशन के अध्यक्ष के अधिकार में रखली गयी ताकि कार्यालय में आकस्मिक कार्य-वृद्धि होने पर जब जब आवश्यकता पड़े वे अधीक्षित (नान-गजटेड) लिपिकों के अस्थायी पदों की स्वीकृति दे सकें । इस अनुदान का पूर्ण उपयोग हुआ ।

४—आय तथा व्यय

कमीशन की आय की धनराशि गत वर्ष ३,५८,४५७ ह० थी, जोकि इस वर्ष बढ़ कर ४,०७,६४५ ह० हो गई, अर्थात् ४८,१८८ ह० की वृद्धि हुई । कमीशन द्वारा संचालित अनेक प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि तथा आवेदन प्रपत्र का मूल्य १ ह० से बढ़ाकर २ रुपये कर दिया जाना ही इस वृद्धि का मूल्य कारण है ।

२—इस वर्ष कुल व्यय ४,५८,१९७ ह० हुआ जबकि गत वर्ष कुल व्यय ४,५०,९९३ ह० हुआ था । व्यय में १७,२०४ ह० की वृद्धि कार्यालय के कर्मचारियों की वार्षिक बेतन वृद्धि तथा परीक्षाओं एवं डाक के टिकटों पर ज्यादा व्यय होने के कारण हुई ।

४—कमीशन की बैठकें

विभिन्न परीक्षाओं तथा चुनाव के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व तथा भौतिक परीक्षा लेने के लिये कमीशन ने इस वर्ष में १९० दिन अपनी बैठकें कीं । उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, प्रथम वर्ग के अधीन कृषि इंजीनियर के दो पदों पर पदोन्नति करने के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार १६ जून, १९५४ को नैनीताल में हुआ । शेष सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार इलाहाबाद में ही हुआ । जो कार्य लेख द्वारा तय न हो सके वे सदा की भाँति कमीशन की बैठकों में विचार विनियम करने के पश्चात् तय हुये ।

२—श्री नकीसुल हसन, कमीशन के तत्कालीन सदस्य, ने उस तदर्थ समिति का सभापतित्व किया, जिसकी बैठक संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोर्स में भर्ती करने के हेतु पी० एस० एम० एस० अधिकारियों का चुनाव करने के लिये २४ जुलाई, १९५४ को लखनऊ में हुई ।

५—परीक्षा द्वारा भर्ती

कमीशन ने इस वर्ष निम्नलिखित सेवाओं और पदों के लिये परीक्षायें लीं :—

- (१) कानूनगो ।
- (२) रेनर्स कोर्स, १९५५-५७ ।
- (३) वरिष्ठ बन सेवा डिप्लोमा कोर्स, १९५५-५८ ।
- (४) उत्तर प्रदेश सिविल इंजीनियरूटिव तथा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिये संयुक्त परीक्षा ।
- (५) उत्तर प्रदेश सचिवालय में अबर वर्ग सहायक ।
- (६) उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक ।
- (७) कलेक्शन नायब तहसीलदार-आर्टिव कर्मचारियर्स (seasonal staff) के लिये सुरक्षित ।
- (८) उत्तर प्रदेश रेवेन्यू इंजीनियरूटिव सर्विस में नायब तहसीलदार ।
- (९) कलेक्शन नायब तहसीलदार ।
- (१०) उत्तर प्रदेश सिविल जुडीशियल सर्विस ।

२—एक ऐसा विज्ञापन भी निकाला गया था, जिसमें इस कमीशन के अध्यक्ष के हिन्दी आशु लिपिक के पद को प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भरने के लिये आवेदन—पत्र आमन्त्रित किये गये थे; किन्तु इसके लिये इस वर्ष के अन्त तक परीक्षा न हो सकी।

३—उपर्युक्त कंडिका १ के मद ४ तथा ७ से १० में बणित परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षायें (Personality Tests) वर्ष के अन्त तक न हो सकीं। गत वर्ष जो संयुक्त स्टेट सर्विसेज के लिये परीक्षा हुई थी, उसके सम्बन्ध में इस वर्ष व्यक्तित्व परीक्षायें अप्रैल तथा मई, १९५४ में हुईं।

४—इस वर्ष चिभिन्न परीक्षाओं में बैठने के लिये कुल ९,७२० आवेदन—पत्र आये। आवेदकों में से ७,७१३ को परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा प्रदान की गई; किन्तु कोवल ६,३०७ उन परीक्षाओं में भाग लिये। कमीशन ने वर्ष में २५१ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया और उनमें से १७० अभ्यर्थियों को चुन कर नियुक्ति के लिये स्वीकृत किया। सभी भासलों में कमीशन का परामर्श सात लिया गया। उपर्युक्त सभी परीक्षाओं के सम्बन्ध में आंकड़ा सम्बन्धी पूरी सूचना परिशिष्ट २ में दी हुई है।

५—कानूनगों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों के वास्ते ९ रिक्त स्थान सुरक्षित थे, जिनके लिये अनुसूचित जातियों के कोवल दो अभ्यर्थी उपलब्ध हुये। शैव सभी परीक्षाओं में ऐसी जातियों के उपर्युक्त अभ्यर्थी आवश्यक संख्या में उपलब्ध थे और कमीशन ने उन्हें नियुक्ति के लिये संस्तुत किया।

६—फारेस्ट रेन्जर्स कोर्स, १९५५—५७ में भर्ती करने के लिये अनुसूचित जातियों के उपर्युक्त अभ्यर्थियों को हेतु सुरक्षित दो रिक्त स्थानों के लिये कमीशन ने उन जातियों के बारे अभ्यर्थियों को उपर्युक्त समझा और यह संस्तुति की कि प्रशिक्षण के लिये संकेतित अधिभान क्रम में उन्हीं में से चुनाव किया जाय। वन विभाग के चौक कन्जरवेटर (मूँह संरक्षक), उत्तर प्रदेश ने भर्ती के लिये प्रथम दो को चुना, किन्तु उनमें से एक इंडियन फारेस्ट रेन्जर्स कालेज, देहरादून में भर्ती होने नहीं गया। उसके स्थान में द्वासरा अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी चुना गया, किन्तु वह भी नहीं गया। तत्पश्चात् उसके स्थान में वन विभाग के चौक कन्जरवेटर ने अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रिक्त स्थान के लिये सामान्य सूची में से प्रथम अनिर्वाचित अभ्यर्थी को चुन लिया, क्योंकि वह उसी स्थान पर उपलब्ध था और वह पहले से वन के बातावरण में रहा था तथा वह दो सास पूर्व से प्रारम्भ प्रशिक्षण की क्षति की पूर्ति कर सकता था। कमीशन के विचार में यह एक ऐसा भासला था, जिसमें शासन की आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ था, जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और उन्होंने इसका प्रतिवेदन शासन को किया। शासन ने सुनित किया कि चौक कन्जरवेटर की गलती के लिये उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है और यह प्रस्ताव किया कि अनुसूचित जाति के चौथे अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठाये बिना ही फारेस्ट रेन्जर्स कोर्स १९५६—५८ में भर्ती कर लिया जाय। कमीशन इससे सहमत हुआ।

७—उत्तर प्रदेश सर्बार्डिनेट रेवेन्यू इल्जीक्यूटिव (नायब तहसीलदार) सेवा में भर्ती के लिये परीक्षा मूलतः नवम्बर, १९५४ में होने वाली थी; किन्तु कर्णेशन नायब तहसीलदार के पदों के लिये चुनाव करने के सम्बन्ध में शासन से एक अधिग्रहण (requisition) प्राप्त होने पर कमीशन ने दोनों के लिये एक संयुक्त परीक्षा लेने का निश्चय किया। यह परीक्षा फरवरी, १९५५ के अंतिम सप्ताह में हुई। इस परीक्षा में बैठने वालों की संख्या तीन हजार से ऊपर थी। अतः ६ केन्द्रों वें परीक्षा लेनी पड़ी—चार इलाहाबाद में तथा दो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रबन्ध तथा अवर वर्ग सहायकों की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक थी। अतः वे परीक्षायें भी इलाहाबाद तथा लखनऊ में हुईं। अन्य परीक्षायें इलाहाबाद में ली गईं। कमीशन के अध्यक्ष, श्री नफीसुल हसन, लखनऊ में प्रबन्ध वर्ग सहायकों की परीक्षा के प्रबन्ध का निरीक्षण करने वहाँ गये। अवर वर्ग सहायकों की परीक्षा के प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिये श्री शिव लाल, कमीशन के सहायक सचिव को भेजा गया।

८—प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निम्नलिखित तीन परीक्षाओं की समालोचनाये प्रकाशित की गईः—

- (१) उत्तर प्रदेश सिविल (जुडिशियल) सेवा परीक्षा, १९५३,
- (२) उत्तर प्रदेश बन सेवा परीक्षा, १९५३, तथा
- (३) संयुक्त स्टेट सर्विसेज परीक्षा, १९५३।

६—चुनाव द्वारा भर्ती

इस वर्ष कमीशन ने १,१८३ पदों के लिये चुनाव किया। इस सम्बन्ध में ५,५८५ आवेदन—पत्र प्राप्त हुये। २,०२४ अन्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया और १,१६९ अन्यर्थी चुने गये। इनके विस्तृत विवरण परिशिष्ट ३ में दिये गये हैं। इन सर्वाओं में सदा की भाँति वे पद भी सम्मिलित हैं, जिनके लिये गत वर्ष के अन्त के समय विज्ञापित कुछ पदों के लिये आवेदन—पत्रों की प्राप्ति की तिथियां वर्ष का अन्त होने के पश्चात् पड़ीं। परिशिष्ट के अभ्युक्त स्तम्भ (remarks column) का अवलोकन करने से ज्ञात हो जायगा कि कुछ प्रकरणों में विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या में बाद में बढ़ि कर दी गई। मद संख्या २०३ और २०८ के सामने लिखित चौथी भूख्तार सिंह गवर्नर्मट पालीटोकिनक, मेरठ के लिये सोलडरिंग और बैलिंग मेकेनिक और बैलेक्सिमथ (हार्ड क्लास) के पदों के लिये कोई आवेदन—पत्र नहीं प्राप्त हुये, और मद सं० ६० के सामने लिखित पद के लिये केवल एक ही अन्यर्थी प्रत्यक्षतः उपयुक्त पाया गया; किन्तु उसके अपने विभाग ने उसको मुक्त नहीं किया। ४० पदों के लिये, जिनके बास्ते प्रविधिक योग्यताओं की जरूरत थी और जिनमें से अधिकांश उद्योग विभाग से सम्बन्धित थे, १४५ आवेदन—पत्र प्राप्त हुये, किन्तु उनमें से कोई प्रत्यक्षतः पात्र अथवा उपयुक्त नहीं पाया गया। मद सं० १९५ के सामने लिखित बकेवर (जिला इटावा) के पाइलट वर्कशाप के सीनियर इंस्ट्रक्टर के पद के लिये उच्चतर वेतन—क्रम तथा समस्त भारत में अधिवास के विस्तार की व्यवस्था के साथ निकाला गया दूसरा विज्ञापन भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। ऐसे मामलों में कमीशन ने सुझाव दिया कि निर्धारित अनुभव को कम करके, वेतन में बढ़ि करके, अधिवास का विस्तार समस्त भारत का करके अथवा अन्य ऐसी ही शिथिलताओं की व्यवस्था करके, पदों को फिर से विज्ञापित कियो जाय अथवा कमीशन द्वारा चुने गये अन्यर्थी को भारत या विदेश की किसी प्रविधिक (technical) संस्था में प्रशिक्षण दिया जाय अथवा सम्भावित स्रोतों से पत्र—व्यवहार द्वारा उपयुक्त अन्यर्थी प्राप्त किये जायें। २७५ प्रविधिक पदों के लिये केवल १०२ उपयुक्त अन्यर्थी उपलब्ध हो सके और संस्तुत किये गये। पूर्व की भाँति उपयुक्त अन्यर्थियों के अभाव का अनुभव मुद्यतः उद्योग, पशु चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, विद्युत् तथा स्थानीय स्वशास्त्र इंजीनियरिंग विभागों के पदों के लिये किया गया।

तीन मामलों में प्रकाशित हो जाने के बाद विज्ञापन निरस्त कर दिया गया, परिशिष्ट के अन्तिम तीन मद सं० २१२ से २१४ के १० वें स्तम्भ में दी गई अभ्युक्तियों को देखिये।

२—कमीशन ३९६ पदों के लिये चुनाव वर्ष समाप्ति के पहले नहीं कर सका, क्योंकि उनमें से अधिकांश पद वर्ष के अन्तिम भाग में विज्ञापित किये गये थे। इन पदों के लिये ३,९७९ आवेदन—पत्र प्राप्त हुये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट ३—अ में दिया हुआ है।

३—परिशिष्ट ३ तथा परिशिष्ट ३—अ में वर्णित मामलों के अतिरिक्त कमीशन से २६ अन्य मामलों में चुनाव करने के लिये वर्ष में अनुरोध किया गया। इनमें से १७ मामलों में इस वर्ष के भीतर कोई विज्ञापन न निकाला जा सका, क्योंकि या तो उनके लिये अधिग्रहण (requisitions) वर्ष के अन्त के निकट में प्राप्त हुये थे या उनसे सम्बन्धित अहताओं या रिक्त स्थानों वगैरह के विषय में कुछ सूचना मांगी गई थी। तीन मामलों में कमीशन ने पदों को विज्ञापित नहीं किया; किन्तु इन अथवा ऐसे पदों के हेतु किये गये पूर्व चुनावों के आधार यर इन पदों के लिये अन्यर्थियों की संस्तुति कर दी। एक मामले में कमीशन ने नियुक्ति

प्राधिकारी को सूचित किया कि पद को विज्ञापित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस पद का स्थायी पदधारी जिस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है उस पद के लिये एक अन्य अध्यर्थी का चुनाव हो चुका है, अतः उस पदधारी के अपने स्थायी पद पर लौट जाने की सम्भावना है। निम्नलिखित शेष पांच मामलों में कमीशन ने कोई चुनाव नहीं किया, क्योंकि या तो पद उनके पर्यवलोकन में नहीं थे या विशेष अवस्था में उन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी को उन पदों के लिये स्वयं चुनाव करने का अधिकार दे दिया :—

(१) सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ के लिये प्राधिक सहायक (टेक्निकल सहायक)।

(२) उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रविधिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के लिये रंगाई के अनुदेशक (डाइंग इन्स्ट्रक्टर्स)।

(३) श्रम विभाग में भारत सरकार की भवन योजना के लिये निरीक्षक का अस्थायी पद।

(४) शिक्षा की पुनर्वस्था योजना (re-orientation scheme) के अन्तर्गत राज्य के राजकीय नार्मल स्कूलों में ग्रेजुएट्स ग्रेड में नियुक्ति के लिये शिल्प अध्यापक (Craft teacher)।

(५) कौश क्रम पालन, देहरादून के अधीक्षक (Superintendent, Sericulture) का अधोषित (non-gazetted) पद।

४—निम्नलिखित तीन मामलों में नियुक्ति प्राधिकारियों ने ऐसे पदों के लिये विज्ञापन स्वयं निकाल दिये थे, जो महत्वपूर्ण समझ पड़े और जिनके सम्बन्ध में उनसे लिखा—पढ़ी की गई :—

(१) विकास कमिशनर, उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय प्रसार सेवा सम्बर्गों के लिये २२०—१०—३२०—३० रो०—२०—४०० रु० के बेतन—क्रम में संवर्ग विकास अधिकारी (ब्लाक डेवेलपमेंट अफसर) के तीस अस्थायी पदों का विज्ञापन निकाल दिया। कमीशन ने शासन से पूछा कि उक्त पदों का नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? शासन ने उत्तर दिया कि विकास कमिशनर, उत्तर प्रदेश, नियुक्ति प्राधिकारी था। अतः ये पद कमीशन के पर्यवलोकन से बाहर थे। किन्तु पद महत्वपूर्ण थे। अतः कमीशन ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (कार्य सीमन) विनियम, १९५४ से संलग्न अनुसूची में सम्मिलित करके इन पदों को कमीशन के पर्यवलोकन में कर दिया जाय। उत्तर में शासन ने कहा कि कमीशन का सुझाव आने के पूर्व ही वे इस प्रक्षेत्र पर विचार कर रहे थे कि भविष्य में इस चुनाव को कमीशन को सौंप दिया जाय और बताया कि इस निर्णय को कार्रवान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही अलग से की जा रही है।

(२) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक, उत्तर प्रदेश ने राजकीय आयोगीक स्वास्थ्यविद्यालय तथा अस्पताल, लखनऊ व अध्यापकों तथा चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिये आवेदन—पत्र आमंत्रित कर दिये। क्योंकि इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल महोदय भालम घड़ते थे, कमीशन ने शासन को बताया कि वे पद कमीशन के पर्यवलोकन में थे। शासन ने उत्तर दिया कि महाविद्यालय को प्रारम्भ करने के लिये तत्काल आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियाँ की ही नियुक्ति की जा रही है और सभी पदों के लिये नियमित चुनाव करने के सम्बन्ध में कमीशन को शीघ्र ही लिखा जायगा।

(३) जून, १९५४ से एलानिंग रिसर्च तथा एक्शन इंस्टीट्यूट, कालाकांकर हाउस, लखनऊ के लिये कई पदों का विज्ञापन संस्था के संचालक ने स्वयं निकाल दिया। विज्ञापन में लिखा गया था कि संस्था की अवधि तीन वर्ष की है और उसमें के पदों की एक वर्ष, जिसका नवीकरण अवधि के पश्चात् कमीशन से परामर्श

करके किया जा सकता है। कमीशन ने शासन को बताया कि इन पदों का चुनाव कमीशन के द्वारा किया जाना चाहिये था और पूछा कि किन परिस्थितियों में यह आवश्यक समझा गया कि उक्त मामले का निवेश कमीशन को न किया जाय। शासन ने उत्तर दिया कि संस्था का अर्थ-प्रबन्ध सारभूतमात्रा में राकफेलर फाउन्डेशन से किया जाता है तथा अपरीक्षित विचारों एवं योजनाओं की परीक्षा करने के एक-मात्र उद्देश्य से उसकी स्थापना केवल प्रयोगात्मक रूप से की गई थी और कमीशन को विश्वास दिलाया कि संस्था की प्रत्येक शाखा के काम की तथा कुछ प्रकार के कार्यों के लिये अधिकारियों की अभिहन्ति को उचित देखभाल कुछ भास तक करने के पश्चात् उपयुक्त मामलों में उनको निर्देश किया जायगा।

५—कमीशन को राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क, जिला मिजापुर के सामान्य प्रबन्धक के पद के लिये कोई सचमुच उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सका और उसने संस्तुति की कि फैक्टरी के चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक से अधिक अच्छे अभ्यर्थी के अभाव में वही, जो स्वयं एक अभ्यर्थी था, १,५००—१,८०० रु० के वेतन—क्रम में सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्त कर दिया जाय। वास्तविक रूप में समर्थ व्यक्ति की उपलब्धि न हो सकने के कारण शासन ने तीन वर्ष तक फैक्टरी का प्रबन्ध करने के लिये एक विदेशी फर्म के साथ संविदा (ठेका) कर लिया। सामान्य प्रबन्धक तथा कुछ अन्य अधिकारी फर्म की ओर से नियुक्त किये गये। बाद में शासन ने फैक्टरी के चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक को १,५००—१,८०० रु० के वेतन—क्रम में, जिस वेतन—क्रम को कमीशन ने सामान्य प्रबन्धक के पद के लिये संस्तुत किया था, नियुक्त करने का निश्चय किया और कमीशन का अनुमोदन मांगा। कमीशन ने कहा कि अभ्यर्थी को चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक के पद पर उच्चतर वेतन—क्रम में रखना उचित नहीं है, किन्तु यदि शासन का विचार हो कि अभ्यर्थी को विदेशी फर्म के अधीन काम सीखने के लिये इस विचार से रखकर देखा जाय कि फर्म के साथ समय की समाप्ति हो जाने के पश्चात् उसे सामान्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया जायगा, तब वे मामले पर विचार करने के लिये तैयार होंगे। वर्धमान के अन्त तक शासन का कोई उत्तर नहीं आया था।

६—उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (निम्न वेतन—क्रम) में संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक के पद पर कमीशन द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी को शासन ने नियुक्त नहीं किया, व्योरेक उद्देश्य यह खबर मिली कि वह संस्कृत में वार्तालाप नहीं कर सकते थे। अतः शासन ने कमीशन को सुनाव दिया कि इस पद का पुनर्विज्ञापन किया जाय। कमीशन ने शासन को बताया कि संस्कृत में धारा प्रवाह रूप से बोलने की योग्यता उक्त पद के लिये न तो आवश्यक और न अधिमान्य अर्हता के रूप में ही निर्धारित थी और यह भी कहा कि कमीशन द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी विज्ञापित अर्हताओं के आधार पर उपलब्ध अभ्यर्थीयों में सर्वोत्तम था। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापन में वी हुई शर्तों के अनुसार कोई अवसर नहीं था कि कमीशन अभ्यर्थियों की संस्कृत बोलने की निपुणता का मूल्यांकन करता, किन्तु यदि शासन ऐसी निपुणता को पद के लिये आवश्यक समझता है, तो संशोधित अर्हताओं के साथ पद का पुनर्विज्ञापन करने में उन्हें कोई आपत्ति न होगी। शासन ने निश्चय किया कि संस्कृत बोलने में निपुणता को एक आवश्यक अर्हता रख कर पद का पुनर्विज्ञापन किया जाय।

७—गतवर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ६ के दैरा ४ (३) में कमीशन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों तथा नार्थल स्कूलों के लिये स्नातक वर्ष (ग्रेजुएट्स ग्रेड) में अध्यापकों के १,००० पद, जो हर प्रकार से अवैनस्थ शैक्षिक सेवा (सबार्डिनेट एज्जेशनल सर्विस) के स्नातक वर्ष (ग्रेजुएट्स ग्रेड) के अध्यापकों के समान मालूम पड़ते थे, उनके पर्यवलोकन में लाये जाने चाहिये। किन्तु शासन ने कमीशन के उक्त उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया और यह कहा कि चूंकि इन अध्यापकों की आवश्यकता जिला बोर्ड के जूनियर हाई स्कूलों, सहायता-प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये थी, इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि उन पदों को अधीनस्थ शैक्षिक सेवा में

सम्मिलित करके कमीशन के पर्यवलोकन में लाया जाय। शासन ने यह भी कहा कि यदि उनमें से कोई पद भविष्य में स्थायी कर दिया जायगा तो उन पदों के लिये लागू होने वाले सामान्य नियमों के अनुसार चुनाव किया जायगा। कमीशन की संस्तुति को न मानने के लिये शासन ने जो तर्क दिये वे कमीशन की दृष्टि में सन्तोषजनक नहीं थे।

८—फरवरी, १९५५ में राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय (गवर्नर्मेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐन्ड क्राफ्ट्स), लखनऊ के लिये वास्तु-प्रश्न तथा शिल्पी कक्षा (Architectural Design and Craftsman Class) के अधीक्षक के पद के लिये कमीशन द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी को शासन ने नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि अध्यापन का अनुभव न होने के कारण संस्तुत अभ्यर्थी पद के कर्तव्यों का पालन पर्याप्त ढंग से न कर सकेगा। शासन ने कमीशन को यह भी सूचित किया कि उक्त पद को घोषित पद में बदलने तथा उसके वेतन-क्रम को ऊँचा करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। शासन ने उचित नहीं समझा कि इस मामले में निर्णय होने तक पद पर नियमित रूप से नियुक्ति की जाय। चूंकि यह एक ऐसा मामला मालूम पड़ता था, जिसमें कमीशन की संस्तुति को स्वीकार नहीं किया गया था, कमीशन ने शासन को सूचित किया कि विज्ञापन के अनुसार अध्यापन के अनुभव की कोई जरूरत नहीं थी। इस कारण कमीशन निर्वाचित अभ्यर्थी, जो सर्वोत्तम उपलब्ध अभ्यर्थी था, के पक्ष में की गई अपनी संस्तुति पर दृढ़ रहेगा। लेकिन पद के वेतन में वृद्धि हो जाने के कारण यदि शासन चुनाव को निरस्त कर देना चाहे, तो वह बैसा कहे। तद्वद्वात् शासन ने कमीशन से पद के लिये विज्ञापन को निरस्त कर देने का अनुरोध किया। ऐसा किया गया और बाद में अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये हुये आवेदन एवं साकार्त्कार शुल्क उन्हें प्रत्यरित कर दिये गये। एक अभ्यर्थी द्वारा अध्यरित यात्रा-भत्ता के प्रत्यर्पण का प्रकरण वर्ष के अन्त तक शासन के विचाराधीन था।

९—चौधरी झुखतार सिंह राजकीय पोलीटेक्नीक, मेरठ में हेड आफ दि केमिकल इंजी-नियरिंग ऐन्ड इंजीनियरिंग सेक्शन के पद के लिये कमीशन द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी को शासन ने नियुक्त नहीं किया, क्योंकि उनके विचार से उस अभ्यर्थी में पद के लिये अपेक्षित अहताओं का अभाव था और ऐसी रिपोर्ट आई थी कि उसने रासायनिक अभियंत्रण (केमिकल इंजीनियरिंग) पढ़ाने में अपनी असल्लर्थता प्रकट की थी। अतः शासन ने कमीशन से उस पद पर नियुक्ति के लिये अधिमान-क्रम में हस्ते अभ्यर्थी को संस्तुत करने के लिये कहा। कमीशन ने शासन को बताया कि विज्ञापन में दी हुई शर्तों के अनुसार उनके द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी में आवश्यक प्रविधिक अहतायें थीं। उसमें केवल एक कमी थी और वह थी अध्यापन अनुभव की अपेक्षित अवधि में कुछ कमी, जिस दोष का परिमाण कमीशन ने दयामात्र अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अभाव को देखते हुये कर दिया था। कमीशन ने आगे कहा कि संस्तुत अभ्यर्थी को नियुक्ति की आज्ञा भेजी जाय और यदि वह विषय के अध्यापन में असमर्थ होने के कारण पद को स्वीकार करने से इनकार कर दे, तब वे विचार करेंगे कि पद का पुनर्विज्ञापन होना चाहिये अथवा नियुक्ति के लिये हस्ते अभ्यर्थी की संस्तुति की जानी चाहिये। वर्ष के अन्त तक इस प्रकरण पर शासन ने कोई अस्तिम निर्णय नहीं किया था।

१०—गवर्नर्मेंट सेन्ट्रल बींबिंग इंस्टीट्यूट, बाराणसी के अनुसंधान और प्रयोग विभाग के लिये डिजाइनर (हैन्डलूस) के पद के लिये गत वर्ष उच्चतर प्रारम्भिक वेतन तथा अनुभव की अपेक्षित अवधि में परिवर्तन के साथ पुनर्विज्ञापन के पश्चात भी कमीशन कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सका। था, अतः उन्होंने शासन को सुझाव दिया था कि उनसे परामर्श करके कोई विभागीय अर्हता-प्राप्त पदाधिकारी प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजी जाय। शासन ने कमीशन से अनुरोध किया कि २५०-८५० रु के वेतन-क्रम में ८०० रु तक के उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के साथ पद को पुनर्विज्ञापित किया जाय। उक्त उच्चतर प्रारम्भिक वेतन तथा समस्त भारत के विस्तृत अधिवास के साथ पुनर्विज्ञापित करने पर भी पद के लिये कोई उपयुक्त अभ्यर्थी कमीशन को उपलब्ध न हो सका। तब उन्होंने संकेत किया कि एक ही स्रोत शेष रह गया था।

और वह था पत्र-व्यवहार द्वारा किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की सेवाओं को प्राप्त करना और सुझाव दिया कि सम्भव है उद्योग संचालक इस कार्य को कर सके। वर्ष के अन्त तक यह विषय शासन के विचाराधीन रहा।

११—गत वर्षीय प्रतिवेदन के छठवें पृष्ठ के बौथ पैरा में कमीशन ने शासन से यह बतलाने का निवेदन किया था कि किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर के बनर फोरमेन के पद के लिये, जो कमीशन के पर्यवलोकन में था, फैक्टरी के चीफ इंजीनियर तथा सहायक प्रबन्धक ने स्वयं विज्ञापन निकाला था। शासन के यह उत्तर देने पर कि काम के हित में पद को अति शीघ्र भरना था और यह कि फैक्टरी का संचालक, जो उस समय तक नियुक्त किया जा चुका था, फैक्टरी के सभी धोषित एवं अधोधित पदों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी धोषित कर दिया गया था, मासला समाप्त कर दिया गया।

१२—गत वर्ष गवर्नर्नेंट टेक्निकल स्कूल, लखनऊ के द्वितीय टेक्निकल बास्टर के पद पर नियुक्ति के लिये संस्तुत अभ्यर्थी के विरुद्ध लगाये गये दोषादरों का पूरा विवरण प्राप्त होने पर कमीशन ने सुझाव दिया कि पद का पुनर्विज्ञापन निकाला जाय और चुनाव के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये वेतनक्रम अधिक आकर्षक किया जाय तथा व्यावहारिक अनुभव की अपेक्षित अवधि को घटा कर एक वर्ष कर दिया जाय। नियमित चुनाव होने तक, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति जारी रखने के लिये भी कमीशन सहमत हुआ।

१३—गत वर्ष कमीशन का यह सुझाव कि सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के स्टोर्स अफसर के पद के लिये पुनर्विज्ञापन तभी सार्थक होगा जब—

(१) वेतनक्रम ५००—१,२०० रु० से ८००—१,२०० रु० इस उपबन्ध के साथ कर दिया जाय कि उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक वेतन १,००० रु० दिया जा सकता है, अथवा

(२) विद्यमान अर्हतायें तथा अन्य शर्तें, जो कठोर हैं, उचित रूप से संशोधित कर दी जायें।

शासन ने इतना मान लिया कि पद के लिये निर्धारित अर्हतायें उदार कर दी जायें और ८५० रु० तक का उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने का उपबन्ध कर दिया जाय।

१४—परिशिष्ट ३ के मद सं० ६८,९५, १३६, १४६, १६३—१६९, १७४, १७६, १७७, १८३, १८६, १९० तथा १११ के आगे वर्णित मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारियों ने नियुक्ति विभाग कार्यालय ज्ञापन सं० ०-५२५०/२-ख—५४-१६४८, दिनांक २९ दिसम्बर, १९४८ में लिखित आवेदनों के बावजूद कमीशन की संस्तुतियों की प्राप्ति की तिथि से दो मास के भीतर संस्तुत अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की। कमीशन इसको अत्यन्त बांछनीय समझता है कि ऐसे मामलों की संख्या घटकर कम से कम हो जाय ताकि जो अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा न चुने जायें, उन्हें अधिक समय तक संविधावस्था में न रहना पड़े और वे अपना भावी कार्यक्रम निश्चित कर सकें।

७—विना विज्ञापन के भर्ती

लिखित परीक्षा अथवा चुनाव द्वारा भर्ती की सामान्य प्रक्रिया को शिथिल करके कमीशन को इस वर्ष १०५ अभ्यर्थियों (जिनमें ९ अभ्यर्थी गत वर्ष के शामिल थे) को कमीशन के पर्यवलोकन के अन्तर्गत सेवाओं या पदों पर भर्ती करने के मामलों पर विचार करना था। इनमें से ६४ अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये और १० नहीं किये गये। इनका विवेष विवरण परिशिष्ट ४ में दिया हुआ है। परिशिष्ट के अन्युक्ति स्तम्भ में सम्बन्धित मदों के सामने अनुमोदन के कारण अंकित कर दिये गये हैं।

शेष ३१ अभ्यर्थियों के मामले, जिनके विवरण परिशिष्ट ४-क में दिये गये हैं, प्रत्येक मद के सामने अंकित कारणों से वर्ष के भीतर निबटाये न जा सके।

२—कोई आफ वार्डस, खाद्य तथा रसद और सहायता तथा पुनर्वासि विभागों के व्यवकलित (retrenched) कर्मचारियों में से कलेक्शन अफिसर के पदों के लिये चुनाव करने के सम्बन्ध में कमीशन ने कहा था कि ४५ पदों में से ३४ में व्यवकलित कर्मचारियों का विलीनीकरण पहले ही हो चुका था। अतः अब शेष पदों को भी उन्हीं में से भरने से व्यवकलित कर्मचारियों का विलीनीकरण अत्यधिक हो जायगा। कमीशन ने यह भी कहा कि पूरी कलेक्शन अफसरों की सेवा की उपयोगिता पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है और कलेक्शन अफसरों की प्रतिष्ठा डिप्टी कलेक्टरों की प्रतिष्ठा के समान होने के कारण इसमें कोई कठिनाई न होगी यदि सीधी भर्ती द्वारा चुने हुये नवयुवक कलेक्शन अफसरों और कलेक्शन के काम का कुछ अनुभव रखने वाले डिप्टी कलेक्टरों की अस्थायी रूप से अदला-बदली कर दी जाय। यदि ऐसी अदला-बदली कर दी जायेगी तो नवयुवक कलेक्शन अफसर कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् फिर कलेक्शन अफसर के पद पर जा सकते हैं। अतः कमीशन का विचार था कि कलेक्शन अफसर के शेष पद खुली प्रतियोगिता द्वारा सामान्य ढंग से भरे जाने चाहिये। कमीशन के इस सुझाव को कि शेष रिक्तियों को खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना चाहिये, सरकार ने स्वीकार नहीं किया और शेष पदों की भर्ती खाद्य तथा रसद, सहायता तथा पुनर्वासि और कोई आफ वार्डस विभागों के घोषित व्यवकलित पदाधिकारियों में से करने की कार्यवाही करने का कमीशन को आदेश दिया।

८—पदोन्नति द्वारा भर्ती

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में कमीशन ने उच्च सेवाओं या पदों, जो उनके पर्यवलोकन में थे, की २३१ रिक्तियों पर पदोन्नति करने के लिये ६२३ कर्मचारियों के सामलों पर विचार किया। इनका विवरण परिशिष्ट ५ में दिया गया है।

२—परिशिष्ट ५ के मद सं० १७ के सामने वर्णित उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, उच्च वेतन कम में, एप्रीकल्चरल इंजीनियर के दो (एक स्थायी और एक अस्थायी) पदों पर पदोन्नति के सामलों में अपनी संस्तुति करने के पूर्व कमीशन ने १६ जून, १९५४ को नैनीताल में चार पदाधिकारियों का साक्षात्कार किया। एक दूसरे सामले में, जो उपर्युक्त परिशिष्ट के मद सं० २८ के सामने वर्णित है और जो पी० एम० एस० II में पदोन्नति के हेतु अहता प्राप्त करने के उद्देश्य से संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोर्स में भर्ती करने के लिये पी० एस० एम० एस० अफसरों के चुनाव के विषय में था, चुनाव एक तदर्थ समिति द्वारा किया गया था, जिसमें थी नफोसुल हसन, कमीशन के तत्कालीन सदस्य ने अध्यक्षता की। समिति की बैठक २४ जुलाई, १९५४ को लखनऊ में हुई और २६ पदाधिकारियों का साक्षात्कार करने के पश्चात् चुनाव किया गया। शेष सभी सामलों में कमीशन ने सम्बन्धित पदाधिकारियों की चरित्रावलियों तथा अधवा वैयक्तिक पत्रावलियों के आधार पर अपना परामर्श दिया।

३—कमीशन ने २३१ रिक्त स्थानों में से २०० पर पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों को संस्तुत किया और १६ रिक्त स्थानों के लिये सुझाव दिया कि चुनाव पहले नियमानुसार समस्त पात्रता क्षेत्र में से योग्यता के आधार पर एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा किया जाना चाहिये और तब कमीशन को निर्देश करना चाहिये। शेष १५ रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में, जिनके लिये या तो चुनाव का क्षेत्र सीमित था या पदोन्नति के लिये उपयुक्त अस्थर्थी अनुपलब्ध थे, कमीशन ने सुझाव दिया कि इनको विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिये। एक सामले को छोड़ कर, जिसका वर्णन नीचे पांचवें पैरा में किया गया है, सभी सामलों में कमीशन का परामर्श स्वीकार कर लिया गया।

४—परिशिष्ट ५-क में वर्णित ११० रिक्त स्थानों पर पदोन्नति के १६ सामले प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निबटाये न जा सके।

५—शासन ने उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा के उच्च बेतन-क्रम में स्थायी पदोन्नति के लिये कुछ पदाधिकारियों की उपयुक्तता के विषय में परामर्श देने के लिये कमीशन से अनुरोध किया। विभागीय चुनाव समिति द्वारा मुख्य सूची में रखे हुये एक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में कमीशन ने देखा कि उसकी चरित्रावली केवल सन्तोषजनक है और उसके विषय में प्रतिवेदन था कि वह सावधानी से (with caution) काम करता था, कभी-कभी इस हृदय तक सावधानी से कि मौलिकता तथा तत्परता (initiative and promptness) की गुणाइश कम हो जाती थी। कमीशन के विचार से मौलिकता एवं तत्परता का अभाव उच्च बेतन-क्रम में पदोन्नति के लिये एक कमी थी। इसको ध्यान में रखते हुये और इस वजह से कि एक दूसरे पदाधिकारी, जिसको विभागीय चुनाव समिति ने पूरक सूची में प्रथम स्थान पर रखा था, की चरित्रावली विशिष्ट (outstanding) तथा उपर्युक्त पदाधिकारी की चरित्रावली से कहीं अधिक अच्छी थी, कमीशन ने संस्तुति की कि पूर्व पदाधिकारी के स्थान पर उत्तर पदाधिकारी की पदोन्नति की जाय। मुख्य सूची के अन्य चार पदाधिकारी पदोन्नति के लिये कमीशन द्वारा अनुमोदित किये गये। जिस अभ्यर्थी को कमीशन ने अनुप-शुक्त समझा था उसकी प्रविशिष्टियों की आलोचना करते हुये शासन ने कहा कि उसकी चरित्रावली सब बातों को देखते हुये सन्तोषजनक थी और कमीशन से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। कमीशन ने विभागीय चुनाव समिति द्वारा संस्तुत सभी पदाधिकारियों की चरित्रावलीयों का पुनरावलोकन किया और बतलाया कि चुनाव की कसौटी योग्यता (merit) होने के कारण कमीशन उसकी पदोन्नति से सहमत होने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी सेवा का अभिलेख पूरक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी की सेवा का अभिलेख की तुलना में ठहर नहीं सकता था।

शासन ने अपनी बात पर फिर से बल दिया और कहा कि किसी की चरित्रावली की प्रविशिष्टियों पर प्रबल्लिष्ट करने वाले अधिकारी की रुचि-अरुचि का गहरा प्रभाव पड़ता है, अतः जहां योग्यताओं में ऐसी भिन्नता नहीं है जो परिलक्षित हो सके, वहां अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिये प्रविशिष्टियों को सुरक्षित पथप्रदर्शक के रूप में नहीं माना जा सकता है। शासन ने यह भी कहा कि पदाधिकारियों के कार्य तथा आचरण के सम्बन्ध में १९५४-५५ की पश्चाद्वर्ती प्रविशिष्ट बहुत अच्छी थी। अपनी पूर्व संस्तुति पर दृढ़ रहते हुये कमीशन ने बतलाया कि जहां तक प्रश्नास्पद चुनाव का सम्बन्ध था, १९५४-५५ की पश्चाद्वर्ती प्रविशिष्ट असंगत थी। किन्तु शासन ने कमीशन के परामर्श को स्वीकार नहीं किया और पूर्व अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा के उच्च बेतनक्रम में पदोन्नति कर दिया।

६—गत वर्ष के प्रतिवेदन में यह लिखा गया था कि कमीशन सामान्य सचिवालय के एक अधीक्षक की सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति से सहमत नहीं हुआ क्योंकि उक्त पद के लिये सभी पात्र अधीक्षकों में स योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं किया गया था। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि या तो सभी पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता के आधार पर फिर से चुनाव किया जाय या उसके परामर्श से सेवा के नियमों में इस आशय का संशोधन कर लिया जाय कि कोई दीर्घकालीन रिक्ति होने पर अनितम चुनाव कर लिया जाया करे और बाद में चुने हुये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में, यदि उनका कार्य निरन्तर सन्तोषजनक रहा हो, पुष्टि कर दी जाया करे। शासन कमीशन के दूसरे सुझाव के पक्ष में था कि इन्हुंने उससे सम्बन्धित अधिकारी के मामले पर इस आधार पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सचिवालय नियमों, १९४२ के अनुसार चुनाव “ज्येष्ठता का उचित ध्यान रखते हुये सर्वथा योग्यता पर” करना था। अतः इस आमले में योग्यता (merit) के सिद्धांत को लाग करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु कमीशन के विचार से इस मामले में चुनाव की भिन्न कसौटी का अनुत्तरण करने के लिये कोई औचित्प नहीं था। अतः वह शासन के सहायक सचिव के पद पर सम्बन्धित अधिकारी की पदोन्नति से सहमत नहीं हुआ। किन्तु वह शासन के तुम्हारानुसार नियमों को संशोधित किये जाने से सहमत हुआ और कहा कि ऐसे

मामलों में ज्येष्ठता से तात्पर्य उस क्रम से है जिस क्रम में स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अन्यथियों का चुनाव किया जाता है, न कि उस क्रम से जिस क्रम में उनके नाम नीचे वाली सेवाओं में होते हैं। शासन ने इसे स्वीकार कर लिया।

७—डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पदों के लिये पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के सम्बन्ध में शासन ने उन्हीं अधिकारियों की चरित्रावलियों को भेजा था, जो मनोनीत करने वाले प्राधिकारियों द्वारा विचारार्थ संस्तुत किये गये थे। कमीशन ने शासन से अनुरोध किया कि वह विभागीय चुनाव समिति द्वारा मुख्य सूची में रखे हुये कनिष्ठतम् अधिकारी से ज्येष्ठ सभी पात्र अधिकारियों की चरित्रावलियों भेजें ताकि कमीशन अपना सन्तोष कर ले कि बिना पर्याप्त औचित्य के कोई भी ज्येष्ठ पात्र अधिकारी छोड़ा नहीं गया है, जैसा कि शासनादेश सं० २१६६/२-ख—५४-१९४८, दिनांकित २२ अक्टूबर, १९५३ में अपेक्षित है। शासन ने मांगी हुई चरित्रावलियों को नहीं भेजा और बतलाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के नियमों, १९४२ के अधीन केवल वे ही पुलिस इन्सपेक्टर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र थे, जो डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों तथा इन्सपेक्टर जनरल द्वारा मनोनीत किये गये थे और ऐसे सब अधिकारियों की चरित्रावलियां पहले ही उसके पास भेजी जा चुकी हैं। शासन ने यह भी कहा कि २२ अक्टूबर, १९५३ के शासनादेश, जिसका निर्देश कर्मांशान ने किया है, केवल कार्यकारी आदेश (executive orders) थे और वे किसी वैधानिकी नियम (statutory rule) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं कर सकते। शासन के विचार से कमीशन अथवा शासन को भी यह अधिकार नहीं है कि वे मनोनीत करने वाले प्राधिकारी से यह पूछें कि उसने अमुक अधिकारी को क्यों मनोनीत नहीं किया या अमुक अधिकारी को क्यों मनोनीत किया ? कमीशन ने शासन को बतलाया कि नियुक्ति (ख) विभाग शासनादेश सं० ०-३०५/२-ख-१६५३, दिनांकित ३० जनवरी, १९५३, जिसके अनुसार विभागीय चुनाव समिति द्वारा संस्तुत अन्यथियों की उपयुक्तता के विषय में परामर्श देने के अतिरिक्त कमीशन पर इस बात का भी उत्तरदायित्व आ गया कि वह यह देखे कि किसी ज्येष्ठ अधिकारी का अवक्रमण बिना पर्याप्त औचित्य के नहीं हुआ था, पदोन्नति के सभी मामलों में लागू होते थे, और इस कारण सभी सेवा नियम उस हद तक अपने आप संशोधित हो गये हैं। यह तर्क कि किसी सामान्य आदेश (General order) से सेवा नियमों (Service Rules) में संशोधन नहीं किया जा सकता, मुक्तिकल से सही है। पदोन्नति की पुरानी प्रक्रिया सभी सेना-नियमों में निर्धारित थी और जब पदोन्नति के सभी मामलों में उस प्रक्रिया का संशोधन कर दिया गया, तो उस हद तक सभी सेवा-नियम अपने आप संशोधित समझे जाने चाहिये। मनोनीत करने वाले प्राधिकारी के स्वयं विवेक के सम्बन्ध में कमीशन ने कहा कि जब उसे शासन के मुख्य सचिव तथा इन्सपेक्टर जनरल पुलिस से बनी हुई समिति द्वारा किये गये चुनाव का पुनरावलोकन करना पड़ता है तो कोई कारण नहीं है कि कमीशन यह जांच करके अपना सन्तोष न कर ले कि डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस महोदयों ने अपने विवेक का उचित प्रयोग किया है। कमीशन ने यह भी कहा कि यदि शासन का यह विचार हो कि पुलिस विभाग के अधिकारियों से सम्बन्धित कुछ सूचनाओं को कमीशन से छिपा रखना है तो कमीशन ऐसे सीमित अधिकारों के अधीन रह कर अपना परामर्श देने की अपेक्षा यह चाहेगा कि उसके पर्यवलोकन से उन मामलों को निकाल दिया जाय।

८—पदोन्नति के कई मामलों में कमीशन ने देखा कि जो व्यक्ति शासन के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त पर (on deputation) थे उन पर विभागीय चुनाव समिति ने निम्न से उच्चतर सेवाओं या पदों पर पदोन्नति के लिये विचार नहीं किया था। कमीशन ने कहा कि उस आधार पर किसी अधिकारी के अधिकारों की उपेक्षा करना अनुचित था क्योंकि सामान्यतः प्रतिनियुक्त की स्वीकृति-लोक-हित में दी जाती है। उसने सुझाव दिया कि ऐसे व्यक्तियों को मामलों पर पदोन्नति के सम्बन्ध विचार करना चाहिये। किन्तु स्थायी पदों पर उनके पूर्वाधिकार (lien) अनिवार्यता काल तक न चलते रहने देना चाहिये।

६—कमीशन ने शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग को बतलाया कि उत्तर प्रदेश सर्विस आफ इन्जीनियर्स (निम्न वेतनक्रम) में सहायक इंजीनियर के पदों पर पदोन्नति के लिये वे ही ओवरसियर पात्र थे जो निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे अथवा उक्त सेवा के नियम ९ के खंड (i) में वर्णित इंजीनियरिंग अर्हताओं में किसी एक अर्हता को प्राप्त कर चुके थे। क्योंकि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना पदोन्नति के लिये एक अनिवार्य शर्त थी, इसलिये कमीशन ने पूछा कि उक्त विभागीय परीक्षा में भर्ती करने के लिये ओवरसियरों का चुनाव करने के सम्बन्ध में कमीशन से परामर्श क्यों नहीं किया जा रहा है। कमीशन ने यह भी कहा कि यदि पदोन्नति ओवरसियरों के काम और आचरण के आधार पर की जाती है, तो किंतु निश्चित सेवाकाल के अनुसार अपने आप हो जाती है, तो कमीशन से परामर्श करना आवश्यक था क्योंकि जो ओवरसियर विभागीय परीक्षा में भर्ती होने के लिये नहीं चुने गये वे सब पदोन्नति के लिये चुनाव के क्षेत्र से अन्तिम रूप से हटा दिये गये और उनके मामले कमीशन के समक्ष कभी नहीं आवेंगे। शासन कमीशन के विचारों से सहमत हुआ और मैनुअल आफ आईसी, सिचाई विभाग, प्रथम भाग के पैराग्राफ ५३ का इस प्रकार संशोधन कर दिया कि वे सभी अपर सबार्डिनेट्स तथा उसर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण और सिचाई विभागों में अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा के सदस्य जो अपने विभागों में १० वर्ष की कुल सेवा कर चुके हों, उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग सेवा (निम्न वेतनक्रम) में पदोन्नति के हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा में बैठने के लिये पात्र हो गये।

६—अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण

वर्ष में कमीशन ने ऐसी अस्थायी अथवा स्थानापन नियुक्तियों के नियमितकरण के सम्बन्ध में १,४०१ अस्थायियों के मामलों पर विचार किया जो नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अल्प-काल के लिये की गई थीं किन्तु जिनकी अवधि बाद में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (कार्य सीखन) विनियम, १९५४ के खंड ५ (क) तथा ६(ग) के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक हो गई। ऐसे सब मामलों के विवरण आवश्यकतानुसार उपयुक्त अस्थायित्यों के साथ परिशिष्ट ६ में दिये गये हैं। कमीशन ने इन सब मामलों में अभिलेखों तथा उन सचनाओं के आधार पर, जो उसको दी गई, अपने परामर्श दिये। पात्र अस्थायियों के अभाव में कमीशन प्रदेशीय चिकित्सा सेवा द्वितीय (P. M. S. II) तथा प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (महिला) द्वितीय [P. M. S. (W) II] में कुछ नियुक्तियों के मामलों में ऐसी नियुक्तियों के लिये निर्धारित आयु सीमाओं, अधिवास तथा शैक्षिक अर्हताओं की प्राप्ति पर प्रादेशिक सीमाओं की अनहंताओं में से एक या अधिक से मुक्ति देने के लिये भी सहमत हुआ। स्कूलों के सब-डिटी इन्स्पेक्टर के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में कमीशन विशेष अवस्था में कुछ न्यून वयस्क (under-age) अस्थायियों की नियुक्ति से भी इस आश्वासन के देने पर सहमत हुआ कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न होगी। जिन १,४०१ अस्थायियों के मामलों पर कमीशन ने विचार किया, उनमें से ९१४ अनुमोदित किये गये और ४७ नहीं।

शेष ४४० अस्थायियों की स्थिति इस प्रकार थी :—

दो अस्थायियों के मामलों में कमीशन ने सुझाव दिया कि क्योंकि उनके द्वारा धारित पद दीर्घकाल तक चलते रहेंगे, इसलिये उन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरना चाहिये।

एक अस्थायी के मामले में कमीशन ने सुझाव दिया कि वह मामला पहले विभागीय चुनाव समिति के पास चुनाव के लिये भेजा जाना चाहिये।

५९ अस्थायियों के मामलों में कमीशन ने संस्तुति की कि उन अस्थायियों के स्थान पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिन्हें कमीशन ने सीधी भर्ती द्वारा चुना था।

दो अभ्यर्थियों के मामलों पर कमीशन ने विचार नहीं किया क्योंकि उनमें से एक ने स्थानपत्र दे दिया था और दूसरे को स्थायी पदधारी के लिये, जो अपने पद पर ब्रत्यावृत्त हो गया था, स्थान छोड़ना पड़ा ।

४६ अभ्यर्थियों के मामलों में कमीशन ने परामर्श दिया कि कमीशन से परामर्श करना आवश्यक नहीं था क्योंकि या तो कोई गई नियुक्तियाँ थोड़े समय के लिये थीं या विचाराधीन पद कमीशन के पर्यवलोकन में नहीं थे या वे एक पद से दूसरे पद पर ब्रतिनियुक्ति (deputation) के मामले थे या सम्बन्धित अभ्यर्थी सीधी भर्ती द्वारा चुन लिये गये थे ।

एक अभ्यर्थी के मामले में कमीशन ने बतलाया कि शासन के अनुसन्धिक के पद पर एक बाहरी व्यक्ति को नियुक्त करना उचित नहीं था और सुझाव दिया कि या तो नियुक्त अभ्यर्थी के स्थान पर एक विभागीय अधिकारी की नियुक्ति की जाय या वह विशेष कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाय ।

दो अभ्यर्थियों के मामलों में कमीशन ने बतलाया कि वे मामले पदोन्नत अभ्यर्थियों के थे, अतः उनके विषय में निर्देश ऐसे अन्य अधिकारियों के साथ अलग से करना चाहिये ।

शेष ३२७ अभ्यर्थी, जिनके मामलों पर कमीशन ने विचार किया, वे थे जो या तो ऐसे लोगों के थे जिनका अवक्रमण हुआ था या वे अन्य पात्र अभ्यर्थी थे जिनको विभागीय चुनाव समिति ने रिक्त स्थानों की वास्तविक संख्या के अतिरिक्त अनुपूरक सूची में संस्तुत किया था ।

२--सत्ताईस मामले जिनमें ६९४ अभ्यर्थी ये और जिनके विवरण परिशिष्ट ६-क में दिये गये हैं, प्रत्येक के सामने अंकित कारणों से वर्ष के अन्त तक नहीं निबटाये जा सके ।

३--उत्तर प्रदेश के कृषि संचालक के अनुरोध पर कमीशन ने १९५२-५३ में अधीनस्थ कृषि सेवा में पांच अधिकारियों की चली आती हुई अस्थायी नियुक्ति को नियमित चुनाव होने तक अनुमोदित किया था । नियमित चुनाव कमीशन द्वारा अप्रैल, मई १९५३ में किया गया किन्तु उपर्युक्त अधिकारी नहीं चुने गये । ऐसा हो जाने पर कृषि संचालक को चाहिये था कि इन अधिकारियों के स्थान पर वे विविध चुने हुये अभ्यर्थियों को नियुक्त कर देते किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी अस्थायी नियुक्ति को चालू रखा । पूछने पर उन्होंने कहा कि विभागीय नियुक्ति समिति वे कृषि विभाग के प्रचार तथा विकास कार्यों के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को नये व्यक्तियों से अच्छा समझा । यह एक ऐसा मामला था जिसमें कमीशन के परामर्श की अवहेलना की गई थी और उसकी संस्तुतियों के अनुसार कार्य न करने के जो कारण कृषि संचालक ने दिये थे, वे पर्याप्त नहीं थे, अतः कमीशन ने इस अनियमितता की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया और सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये उपयुक्त आदेश जारी किये जायें ।

४--उत्तर प्रदेश शासन के इलास टेक्नोलोजिस्ट द्वारा नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के मामलों में कमीशन से परामर्श सम्बन्धित नियमों को की गई नितान्त अवहेलना के तीन मामले भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को प्रतिवेदित किये गये । इन मामलों में इलास टेक्नोलोजिस्ट ने नियुक्तियों को कर लेने के कई वर्ष पश्चात् कमीशन को निर्देश भेजा था और यह पूछने पर कि प्रत्येक मामले को समय पर कमीशन को निर्देशित न करने के क्या कारण थे, उत्तर दिया था कि “इसके लिये विशेष कारण नहीं हैं ।” शासन ने इस मामले में आवश्यक जांच की और कमीशन को सूचित किया कि वह इलास टेक्नोलोजिस्ट, जो स्वयं नियुक्तियाँ कर रहा था, नियमों से अनभिज्ञ था, इसी कारण कमीशन को निर्देश करने में देर हुई । शासन ने उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश को भी अनुदेश भेजे कि वह अपने अधीन अधिकारियों को हिदायत करें कि वे भविष्य में सावधान रहें और यदि ऐसे मामले उनके यहां पड़े हों तो कमीशन को निर्देशित करें ।

५—जनवरी, १९५४ में कमीशन ने शासन से कहा कि नियोजन विभाग के पद किसी सेवा के संवर्ग (cadre) में सम्मिलित नहीं हैं, अतः उन पदों पर नियुक्ति करने के पहले कमीशन से उन सभी विधियों के सम्बन्ध में परामर्श करना चाहिये था जिनका निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२० (३) के खंड (अ) तथा (ब) में किया गया है, अर्थात् भर्ती की विधियों, नियुक्ति करते समय अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों तथा ऐसी नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के विषय में। तदनुसार कमीशन ने शासन से कहा कि वह ऐसा करे और कम्युनिटी प्रोजेक्ट, ट्रैनिंग तथा पायलट प्रोजेक्ट्स आदि विभिन्न योजनाओं, जो कमीशन के पर्यालोकन में हों, के अन्तर्गत की गई सभी नियुक्तियों की एक सूची, नियुक्ति व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूरे विवरण के साथ, उसके परामर्श के लिये भेजें। एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका था किन्तु वांछित सूचना दो सरकारी तथा दो अर्द्ध-सरकारी अनुस्मारकों को भेजने पर भी प्राप्त नहीं हुई। तब कमीशन ने इसकी रिपोर्ट मुख्य मन्त्री महोदय को की। नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की गई ऐसी देरी को कमीशन ने बहुत गम्भीर तथा अवांछनीय समझा तथा सुझाव दिया कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश दिया जाय कि वे भविष्य में ऐसी जांचों का शीघ्र उत्तर दिया करें।

६—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में लेक्चरर के पदों पर निरन्तर स्थानापन्न नियुक्तियों के लिये कुछ अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर परामर्श देते हुये कमीशन ने देखा कि सिरेमिक्स लेक्चरर के पद का पदधारी पोस्ट ग्रेजुएट न होने के कारण प्रशिक्षण महाविद्यालय में लेक्चरर के पद के लिये अहंता प्राप्त नहीं था। अप्रैल, १९५३ में कमीशन ने संस्तुत किया कि उसके स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र किसी अहंता-प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिये। सितम्बर, १९५३ में शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ने कमीशन को सूचित किया कि सिरेमिक्स लेक्चरर को बदलने का प्रश्न विचाराधीन था। नवम्बर, १९५३ में कमीशन ने संचालक से उस मामले में शीघ्र निश्चय करने का अनुरोध किया। लगभग एक वर्ष के पश्चात् संचालक ने सूचित किया कि सम्बन्धित अभ्यर्थी उस समय भी नियुक्त था और ज्यों ही कमीशन द्वारा यथाविधि चुने हुये अभ्यर्थी उपलब्ध हो जायेंगे त्यों ही वह बदल दिया जाएगा। कमीशन ने इस मामले का प्रतिवेदन शासन को किया और बतलाया कि उक्त पद के लिये अहंता प्राप्त अभ्यर्थियों का अभाव नहीं था, इसलिये उस पद पर एक अहंता-प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति को चालू रखना स्पष्ट है। शासन ने संचालक से पूछा कि किन परिस्थितियों में अनहंता-प्राप्त व्यक्ति को बदल देना सम्भव नहीं हो सका था। बाद में संचालक ने कमीशन को सूचित किया कि सिरेमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति उपलब्ध थे किन्तु वे प्रशिक्षित (Trained) नहीं थे और सिरेमिक्स लेक्चरर के पद के लिये यथाविधि अहंता प्राप्त व्यक्तियों के अभाव को देखते हुये उसने शासन को सुझाव दिया था कि २००-४५० रु के वेतन-क्रम के सिरेमिक्स लेक्चरर के पद को ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड अर्थात् १२०-३०० रु के वेतन-क्रम के सहायक अध्यापक के पद में परिवर्तित कर दिया जाय, जब तक कि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों। कमीशन ने बतलाया कि पद के लिये सिरेमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट पात्र हैं और एल० टी० के बतल अधिमान्य अहंता थी। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान घटवारी, जिसमें कोई पोस्ट ग्रेजुएट अहंता नहीं थी, को बनाये रखने के लिये ही पद स्वयं सिरेमिक्स के सहायक अध्यापक के पद में परिवर्तित किया जा रहा था। कमीशन ने सुझाव दिया कि पद को सहायक अध्यापक के पद में परिवर्तित करने के बजाय किसी सिरेमिक्स के पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिये। किन्तु शासन ने उस महाविद्यालय में सिरेमिक्स में सहायक अध्यापक के एक अस्थायी पद का निर्माण किया और संचालक ने विचाराधीन व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया और कमीशन को सूचित किया कि विशेष अधीनस्थ शैक्षिक सेवा में सिरेमिक्स के लेक्चरर के पद के लिये वांछित न्यूनतम अहंतायें ज्योंही अन्तिम रूप में निश्चित हो जायेंगी, त्योंही उस पद पर नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

७—मई, १९५३ में सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार के पद पर एक अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति को जारी रखने के लिये कमीशन सहमत नहीं हुआ था। फरवरी, १९५४

में अर्थात् लगभग ११ मास पश्चात् शासन ने उसके मामले को कमीशन के पास पुनर्विचार के लिये फिर से भेजा। सार्व, १९५४ में कमीशन ने कहा कि जब मई, १९५३ में कमीशन ने उस अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति को जारी रखने की सलाह नहीं दी थी तो उसको विभाग में न रखना चाहिये था। कमीशन ने यह भी कहा कि उसकी चरित्रावली में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके आधार पर वह उस अभ्यर्थी के विषय में अपनी पूर्व धारणा को बदल सके। कमीशन की उपर्युक्त संस्तुति पर शासन ने कोई आदेश नहीं निकाला और तीन अनुस्मारकों के पश्चात् फरवरी, १९५५ में सूचित किया कि मामला उनके विचाराधीन था। जिस समय कमीशन ने यह संस्तुति की थी कि उक्त अभ्यर्थी सहायक रजिस्ट्रार के पद पर अस्थायी नियुक्ति के लिये भी उपयुक्त नहीं था, उस समय से लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने पर भी शासन इस मामले में किसी अन्तिम निष्पत्ति पर नहीं पहुंचे थे और पह पर उस अभ्यर्थी को छलते रहने दिया था। क्योंकि सहकारी विभाग में शासन ने कमीशन की संस्तुतियों पर उचित ध्यान नहीं दिया था, इसलिये यह मामला मुख्य मन्त्री की नोटिस में लाया गया।

८—गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि जिला नियोजन अधिकारी के पदों के लिये आलेख्य विज्ञापन वर्ष के अन्त तक नहीं प्राप्त हुआ था। कमीशन खेद के साथ यह लिखता है कि आलेख्य विज्ञापन प्रतिवेदनाधीन वर्ष के भीतर भी नहीं प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में तीन सरकारी अनुस्मारक शासन को भेजे गये किन्तु हर बार शासन ने कहा कि मामला उनके विचाराधीन था। तत्पश्चात् नियोजन विभाग में शासन के सह-सचिव के नाम दो अर्द्ध सरकारी अनुस्मारक भेजे गये, किन्तु उनकी प्राप्ति भी नहीं स्वीकार की गई। बावजूद इसके कि मामला मुख्य मन्त्री को प्रतिवेदित किया गया, वर्ष के अन्त तक आलेख्य विज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था। फलतः जिला नियोजन अधिकारी के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की निरन्तर अस्थायी नियुक्ति की अवधि बढ़ती गई, जो सामान्य प्रक्रिया द्वारा नहीं चुना गया था।

१०—उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में या पदों पर विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के कर्मचारियों का अन्तर्निधान

इस वर्ष कमीशन ने विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के १६ कर्मचारियों के उत्तर प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में या पदों पर अन्तर्निधान के मामलों पर विचार किया। उनका विवरण निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है:—

क्रम- संख्या	विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के नाम	सेवा या पद जिसके लिये विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	टिप्पणियां
१	२	३	४	५
१	रामपुर	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) में प्रधानाध्यापक	३	साक्षात्कार २० अप्रैल, १९५४ को हुआ।
२	रामपुर	ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	१	साक्षात्कार २६ जुलाई, १९५४ को हुआ।
३	समर्थर (झांसी)	ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	१	साक्षात्कार ८ सितम्बर, १९५४ को हुआ।

क्रम- संख्या	विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तस्थ खंडों के नाम	सेवा या पद जिसके लिये विचार किया गया	अभ्यर्थियों की संख्या	टिप्पणियां
१	२	३	४	५
४	टेहरी-गढ़वाल	एक्साइज इन्स्पेक्टर ...	१	साक्षात्कार ९ दिसम्बर, १९५४ को हुआ।
५	बनारस	फारेस्ट रेन्जर ...	१	साक्षात्कार २२ दिसम्बर, १९५४ को हुआ। श्री जे० अर० सिंह, आई० एफ० एस०, कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स भी उपस्थित थे।
६	रामपुर	ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	६	अनुमोदित नहीं किये गये क्योंकि पहले ही ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट्स ग्रेड में उनका अन्तर्निधान किया जा चुका था। कमीशन ने स्पष्ट किया कि वे अन्य व्यक्तियों की तरह ही सरकारी कर्मचारी थे और उनके ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में अन्तर्निधान करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।
७	बनारस	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) में प्रधानाध्यापक	१	जैसा कि पैरा २ में नीचे दिया हुआ है अनुमोदित नहीं किया गया।
८	रामपुर	एक्साइज इन्स्पेक्टर ...	१	उसका साक्षात्कार ९ दिसम्बर, १९५४ को हुआ, क्योंकि वह मैट्रोब्युलेट भी नहीं था, अनुमोदित नहीं किया गया।
९	चरखारी (हमीरपुर)	ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	१	८ सितम्बर, १९५४ को उसका साक्षात्कार होने के पूर्व ही उसका देहान्त हो गया।
		योग ..	१६	

उपर्युक्त कर्मचारियों में से प्रथम सात (क्रम-संख्या १-५ में दिये हुए) स्तम्भ-५ में दी हुई तिथियों में साक्षात्कार के उपरान्त कमीशन द्वारा अन्तर्निधान के लिए अनुमोदित किये गये ।

२—उपर्युक्त क्रम-संख्या ७ के आगे दिये हुए मामले में शासन ने विलीनीकृत बनारस राज्य के नामेल स्कूल के एक भूतपूर्व प्रधानाध्यापक का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) में प्रधानाध्यापक के पद पर अन्तर्निधान के विषय में कमीशन से परामर्श मांगा । शिक्षा संचालक से निर्वेश होने पर कमीशन ने १९५१ में ही उसके अधीनस्थ शिक्षा सेवा के ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में अन्तर्निधान के लिए अनुमोदित कर दिया था । भारत के गवर्नर-जनरल तथा महाराजा बनारस में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार बनारस राज्य के स्थायी कर्मचारी राज्य के विलीनीकृत होने के पश्चात् या तो सेवा में उन शर्तों पर लगे रह सकते थे जो कि उनकी राज्य की सेवा की शर्तों से कम लाभकारी न हों या उचित क्षतिपूर्ति के पश्चात् कार्यभार से मुक्त कर दिये जा सकते थे । क्योंकि विचाराधीन व्यक्ति अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) में प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती होने के लिये न्यूनतम योग्यता अर्थात् प्रथम या द्वितीय श्रेणी की घोषणा ग्रेजुएट डिप्री नहीं रखता था, कमीशन शासन के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ और परामर्श दिया कि चूंकि यहाँ के ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड का वेतनक्रम १२०-८-२००-दक्षता रोक-१०-३०० ८० था, जिसमें उसका विलीनीकरण पहले ही हो चुका था, और चूंकि बनारस राज्य के प्रधानाध्यापक का वेतन-क्रम २००-१०-३०० ८० था और २०० ८० के पश्चात् ये दोनों वेतन-क्रम एक ही थे, विचाराधीन पदाधिकारी का वेतन राज्य के विलीन होने के समय २०० ८० पर निश्चित कर दिया जाय, और यह समझा जाय कि उसने दक्षता रोक पार कर ली है । ये शर्त उसके बनारस राज्य के प्रधानाध्यापक के पद से सम्बन्धित शर्तों से उसके लिये कम अनुकूल न होंगी । कमीशन ने यह भी कहा कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिये उस पर अन्य उपर्युक्त अभ्यर्थियों के साथ नियमित प्रणाली द्वारा विचार किया जाय ।

३—कमीशन को विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तर्स्थ खंडों के पदधारियों के निम्नलिखित ६ मामले भी अन्तर्निधान के लिये निर्देशित किये गये, परन्तु इस वर्ष उन पर उनके आगे दिये हुए कारणों से कार्यवाही न हो सकी :—

क्रम-संख्या	विलीनीकृत राज्यों तथा अन्तर्स्थ खंडों के नाम	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	टिप्पणियां
१	बनारस	ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	१	
२	समस्थर (झांसी)	तदेव	२	कुछ सूचना तथा सम्बन्धित पदधारियों की चरित्रावलियां नहीं प्राप्त हुई थीं ।
३	चरखारी (हमीरपुर)	तदेव	३	कमीशन ने उनको साक्षात्कार करने का निर्णय किया जोकि इस वर्ष न हो सका ।
	योग	...	६	

११—स्थानान्तरण द्वारा चुनाव

इस वर्ष स्थानान्तरण द्वारा चुनाव के निम्नलिखित पांच मामलों में कमीशन से परामर्श लिया गया। प्रथम तीन मामलों में कमीशन ने प्रस्तावित स्थानान्तरण का अनुमोदन किया, परन्तु अन्तिम दो में वह सहमत नहीं हुआ क्योंकि उसने सम्बन्धित पदधारियों को उन पदों के लिये जिन पर उन्हें नियुक्त करना प्रस्तावित किया गया था, उपयुक्त नहीं समझा—

(१) श्री हर चरन सिंह, सदस्य, का अधीनस्थ—कृषि—सेवा, प्रथम ग्रूप से भेकेनाइज़्ड स्टेट फार्म विभाग के उसी ग्रूप में फार्म सुपरिनटेंडेंट के पद पर स्थानान्तरण।

(२) कोआपरेटिव इन्स्पेक्टरों के नियमित सम्बर्ग में से एक इन्स्पेक्टर का खेतों की चकबन्दी के इन्स्पेक्टर (Inspector of holdings) के पद पर स्थानान्तरण।

(३) श्रीमती सुनीता रानी सक्सेना, बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका का निरीक्षण की ओर से शिक्षा की ओर और ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिका के पद पर स्थानान्तरण।

(४) कुमारी गीता बनर्जी, बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका का निरीक्षण की ओर से शिक्षा की ओर ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिका के पद पर स्थानान्तरण।

(५) श्रीमती आर० एल० डेविड, बालिका विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका का निरीक्षण की ओर से शिक्षा की ओर ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिका के पद पर स्थानान्तरण।

१२—पुष्टिकरण

इस वर्ष कमीशन को नियुक्त विभाग ज्ञाप सं० २९४९/२-बी—१००—१६५३, दिनांक १० दिसंबर, १९५३ के अनुसार द५ पदधारियों के मामलों पर, जिनमें दो पिछले वर्ष के सम्मिलित थे, विचार करना पड़ा। इन पदधारियों में से ८२ के मामले, जिनका विवरण परिशिष्ट ७ में दिया हुआ है, कमीशन ने निबटा दिये। उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग में अतिरिक्त सहायक संचालक के पद पर पुष्टिकरण का मामला, जो परिशिष्ट ७ की क्रम-संख्या २४ में दिया हुआ है, कमीशन के पुनर्विचारार्थ किर से निर्देशित किया गया। शेष तीन पदधारियों के पुष्टिकरण के मामले (दो कोआपरेटिव इन्स्पेक्टर के पदों पर और एक प्रात्तीय चिकित्सा सेवा, प्रथम श्रेणी में) उनकी चरित्रावलियों के अभाव के कारण इस वर्ष के अन्त तक न निबटाये जा सके।

१३—पुनरावेदन तथा अनुशासनात्मक मामले

इस वर्ष कमीशन के परामर्श के लिये ४३ पुनरावेदन या निवेदन और २४ मौलिक अनुशासनात्मक मामले निर्देशित किये गये। इनमें से तीन मामले निबटाये न जा सके, क्योंकि वे या तो वर्ष के अन्त में प्राप्त हुये थे या उनके सम्बन्ध में कमीशन को शासन से कुछ और पत्र एवं सचनायें सांगनी यड़ीं। एक मामले में कमीशन ने शासन को सब पत्र वापस कर दिये क्योंकि अभियुक्त ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया था। कमीशन ने शेष सब ६३ मामलों पर विचार किया और अपना परामर्श दिया। शासन ने ५६ मामलों में कमीशन का परामर्श मान लिया और शेष ७ मामलों में वर्ष के अन्त तक शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी।

२—१९५३-५४ के ६ और १९५२-५३ के दो मामलों पर, जो निबटाये न जा सके, कमीशन ने विचार किया और उनमें से ७ मामलों में शासन को परामर्श दिया। इन सब मामलों में कमीशन का परामर्श मान लिया गया। १९५२-५३ के शेष एक मामले में सम्पूर्ण सूचना इस वर्ष में भी प्राप्त नहीं हुई थी।

३—पिछले वर्ष के ८ मासमें ऐसे ये जिनमें शासन की आज्ञा की प्रतीक्षा थी। उनमें से ७ मासमें में शासन ने कमीशन का परामर्श पूर्ण रूप से, और शेष एक में आंशिक रूप से, जैसा कि पैरा ५ में नीचे वर्णित है, मान लिया। १९५२-५३ के चार मासमें में शासन की आज्ञा की प्रतीक्षा थी। इनमें से दो में कमीशन का परामर्श मान लिया गया, और एक में यद्यपि परामर्शनुसार पुनरावेदन अस्वीकार कर दिया गया था, पुनरावेदक की चरित्रावली में से प्रतिकूल प्रविष्टि को निकालने के विषय में आज्ञा की तब भी प्रतीक्षा थी। शेष एक मासमें में शासन की आज्ञा वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुई थी।

४—कमीशन ने परामर्श दिया कि शासकीय डेरी कार्म के एक भूतपूर्व डेरी सुपरवाइजर को सेवा से हटाये जाने की पश्चातलन विभाग के संचालक की आज्ञा के विरुद्ध उपील अपील स्वीकार की जाय, जिस पर शासन ने उसकी पुनः नियुक्त करने की आज्ञा दे दी थी, परन्तु पुनरावेदक कर्तव्य भार संभालने के लिये उपर्युक्त न हुआ। उसको भेजा हुआ पत्र इस टिप्पणी के साथ कि उसने स्थान छोड़ दिया है, वापस आ गया। तब पश्चातलन विभाग के संचालक ने उसको सेवा से हटाये जाने की आज्ञा दे दी और दंड आज्ञा में यह उल्लेख कर दिया कि क्योंकि पुनरावेदक से पत्र-व्यवहार करना सम्भव नहीं था, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील नियमों के पैरा ५५ के उपबन्धों का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने अपनी आज्ञा में संविधान के अनुच्छेद ३११(२) का उल्लेख नहीं किया। इस मासमें में यह भी आवश्यक था कि संविधान के अनुच्छेद ३११ की धारा (२) के उपबन्धों का भी प्रयोग न किया जाय। कमीशन ने शासन से कहा कि क्लासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील नियमों के पैरा ५५ में दी हुई कार्य पद्धति को प्रयोग में न लाने के संचालक द्वारा दिखाये गये कारण संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के अनुसार कार्यवाही न करने के लिये भी लागू होते थे, परन्तु भविष्य में कानूनी जटिलताओं से बचने के लिये यह आवश्यक था कि उपरि संकेतित प्रविधिक दोष को भी हटा दिया जाय। शासन ने कमीशन का परामर्श मान लिया और संचालक से कहा कि अपनी आज्ञा को तदनुसार संशोधित कर दें।

५—शासन ने कमीशन से ७१ रु ११ आ० की, जो कि एक सरकारी टाइम पीस तथा २० शीट टी० बी० सी०ल का मूल्य था, एक भूतपूर्व एरिया राशनिंग अफसर, जिसको कंट्रोल संगठन में छंटाई के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया था, के शेष बेतन में से प्रस्तावित वसूली के विषय में परामर्श मांगा। मासले पर विचार करने के पश्चात् कमीशन ने जनवरी, १९५४ में कहा कि चंकि एरिया राशनिंग अफसर के विरुद्ध गबन का दोषारोपण था, उसके विरुद्ध विशारीय कार्यवाही क्लासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील नियमों के पैरा ५५ के अन्तर्गत की जानी चाहिये थी और छंटाई के फलस्वरूप उसकी सेवा एक मास की सूचना देकर समाप्त हो देने के बजाय उन नियमों के अनुसार अन्तिम निर्णय लेना चाहिये था, परन्तु कमीशन ने यह भी कहा कि क्योंकि एरिया राशनिंग अफसर की सेवा समाप्त की जा चुकी थी और उसके ठिकाने का कहीं पता न था, उसके शेष बेतन में से उपर्युक्त धनराशि को वसूल करके मासले को समाप्त कर दिया जाय। कमीशन ने यह भी संस्कृत किया कि भविष्य में राजसेवा में नियुक्ति के लिये उसको प्रतिवारित (debar) कर दिया जाय। शासन ने ९ मास पश्चात् उसके शेष बेतन में से वसूली की आज्ञा की एक प्रतिलिपि भेजी, परन्तु भविष्य भें राजसेवा में नियुक्ति के लिये उसको प्रतिवारित करने के कमीशन के सुझाव पर कुछ न कहा। शासन से तदनुसार पूछा गया कि क्या वे सम्बन्धित व्यक्ति को भविष्य में राजसेवा में नियुक्ति के लिये प्रतिवारित करने की आज्ञा देने का विचार रखते हैं। वर्ष के अन्त तक शासन से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ था।

६—एक अनुग्रासनात्मक मासले में, जो उसको निर्देशित किया गया था, कमीशन ने शासन को फरवरी, १९५३ में परामर्श दिया कि क्लासिफिकेशन, कंट्रोल तथा अपील नियमों के पैरा ५५ तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के वैधानीय उपबन्धों का पालन न होने के कारण इस मासले में कार्यवाही दूषित थी। इसलिये कमीशन ने सुझाव दिया था कि

कार्यवाही उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार पुनः नये सिरे से की जाय। कमीशन का परामर्श मान लिया गया, पुनरावेदन स्वीकार कर लिया गया और अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही फिर से शुल्क की गयी। कमीशन को मामला पुनः जनवरी, १९५५ में कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् परामर्श के लिये निर्देशित किया गया, परन्तु कमीशन ने देखा कि जांच करने वाले अफसर की कार्यवाही में सावधानी का पुनः अभाव था। अभियुक्त को अपने बचाव का तथा गवाहों से उन तथ्यों पर जिनको उसने स्वीकार नहीं किया था, प्रतिपरीक्षण करने का यथानियम अवसर नहीं दिया गया था। सौभाग्यवश इस मामले में प्रासंगिक दोषारोप पुनरावेदक के स्वयं अंगीकार (admission) से साबित हो गया था और उसने यह भी कहा था कि उस दोषारोप के विषय में उसको उत्तरपक्ष के कोई साक्षी नहीं देश करने थे। इसलिये कमीशन ने कार्यवाही में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझा, परन्तु शासन को संकेत किया कि जांच करने वाले अधिकारियों को भविष्य में अधिक सावधानी रखते के लिये सतर्क कर दिया जाय और उनको आगाह कर दिया जाय कि जो विभागीय कार्यवाही सावधानी से और सुचाहरूप से नहीं करेंगे उनके साथ कड़ा व्यवहार किया जा सकता है।

7—पिछले वर्ष कमीशन ने शासन को सुझाव दिया था कि किसी स्थापना के किसी भाग के टटने पर सरकारी कर्मचारियों की छांटनी के लिये चुनाव जैसा कि पदोन्नति के मामलों में होता है, उन सेवाओं या पदों के सम्बन्ध में जो कि उनके पर्यवलोकन में हैं उनके परामर्श से केवल योग्यता (merit) के आधार पर ही होना चाहिये और सम्बन्धित विभाग को प्राथमिक चुनाव करके कमीशन को परामर्श के लिये निर्देशित करना चाहिये। अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा को एक मास की सूचना या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर समाप्त करने की शासन की सामान्य आज्ञा को दृष्टि में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अस्थायी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार से कार्यभार से मुक्त करना उसके विरुद्ध किसी अनशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप नहीं होता, शासन ने निर्णय किया कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के सम्बन्ध में कमीशन से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था, चाहे सम्बन्धित व्यक्तियों की भर्ती कमीशन द्वारा ही क्यों न हुई हो।

8—शब्द तथा रसद विभाग के एक कर्मचारी के मामले में, जिसको १९४४ में सेवा से पदच्युत (dismiss) कर दिया गया था और जिसने रेलवे विभाग में उसके अगले वर्ष एक नियुक्ति प्राप्त कर ली थी, शासन ने रेलवे अधिकारियों की संस्तुति पर उसकी पदच्युति (dismissal) के कारण उसकी पुनर्नियुक्ति पर लगाये हुये प्रतिबन्ध को हटाने और उसका नाम राजकीय सेवा से प्रतिवारित (debarred) व्यक्तियों की सूची में से निकालने के अपने प्रस्ताव पर कमीशन से परामर्श मिला। मामले की पात्रता तथा उसके प्रविधिक पहलू पर विचार करने के पश्चात् कमीशन ने परामर्श दिया कि दस वर्ष पूर्व सेवा से पदच्युत किये जाने के कारण अर्थर्थी पर लगे हुये प्रतिबन्ध को हटाना उचित न होगा। उस अर्थर्थी की रेलवे विभाग में विशेष कार्य-कुशलता, वफादारी तथा कार्य में अनुरक्षता को दृष्टि में रखते हुये और इस आधार पर कि पदच्युति किसी व्यक्ति को केवल साधारणतः पुनः नियुक्ति के लिये अयोग्य ठहराती है, शासन ने उसका मामला कमीशन के युवराजार के लिये फिर से भेजा। कमीशन ने बतलाया कि नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति सं० २६२७/II--२६४, दिनांक ३ अगस्त, १९३२, के साथ प्रकाशित किये हुये अधीनस्थ सेवाओं के दब्ड तथा पुनरावेदन के नियमों के नियम १ (vii) में जो शब्द व्योग किये गये हैं, वे ये हैं—

“dismissal from the civil service of the State which ordinarily disqualifies from future employment”

अर्थात् “शासन की असैनिक सेवा से पदच्युत किया जाना जोकि साधारणतः भविष्य में नियुक्ति के लिये अयोग्य ठहराता है।” यह शब्द स्पष्ट रूप से दिवलाते हैं कि पदच्युति का दब्ड पदच्युति किये गये व्यक्ति को भविष्य में राजकीय सेवा में उसकी नियुक्ति के लिये साधारणतः अयोग्य ठहरायेगा। किसी व्यक्ति का पदच्युत किया जाना उसको भविष्य में

नियुक्ति के लिये अयोग्य ठहराये था नहीं, यह उसके अपराध की गम्भीरता पर निर्भर होता है और इस विषय में निर्णय दण्ड देते समय ही लेना चाहिये। कमीशन ने यह भी कहा कि उसके भत में भविष्य में नियुक्ति के लिये लगाये हुये प्रतिबन्ध को बाद में हटाना उपनियम (vii) का ऐसा अर्थ निर्णय करना होगा जो कि न तो शब्दों के ही अनुकूल है और न शासन के हित में ही प्रतीत होता है। विशेष मामलों में अपवाद के समर्थन के लिये असाधारण परिस्थितियाँ चाहिये। क्योंकि विचारणीय मामले में कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं थीं और क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने पदच्युत होने का तथ्य रेलवे विभाग से छिपा कर वहाँ नियुक्ति प्राप्त कर ली थी, उसकी सेवाएँ इस छल की परिस्थिति में कोई व्यायोचित असाधारण परिस्थिति नहीं संविहित (constitute) कर सकती थीं, कमीशन अपने पूर्व विचार पर दृढ़ रहा कि उसके पदच्युत होने के फलस्वरूप लगे हुए प्रतिबन्ध को हटाना अनुचित होगा। वर्ष के अन्त तक इस मामले में शासन ने अनितम निर्णय नहीं लिया था।

९—एक जेल के एक पूर्व वार्डर के युनरावेदन के सम्बन्ध में कमीशन ने शासन को बतलाया कि जेल मैनुअल के पैरा ११२१ (ए) के नीचे दिया हुआ नोट, जिसके अनुसार जब किसी जिला जेल के प्रधान वार्डर या वार्डर को सेवा से हटाये जाने था पदच्युत किये जाने का प्रस्ताव होता है तो जिला जेल का सुपरिन्टेंडेन्ट असैनिक सेवाओं (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल तथा अपील) के नियमों और शासकीय आज्ञाओं के मैनुअल के अनुसार जांच को पूर्ण करने के पश्चात् संबंधित केन्द्रीय कारागार के सुपरिन्टेंडेन्ट की आज्ञा के लिए मामले को निर्देशित करेगा, स्पष्ट नहीं था। निर्देशांकित मामले में उत्तर प्रदेश के कारावास के इन्सपेक्टर जनरल ने उपर्युक्त नोट से दिये हुये निवेशों का यह अर्थ निर्णय किया था कि किसी प्रधान वार्डर या वार्डर के पद से हटाये जाने था पदच्युत किये जाने के उन मामलों में, जिनको जिला जेल का सुपरिन्टेंडेन्ट केन्द्रीय कारागार के सुपरिन्टेंडेन्ट को निर्देशित करता है, केन्द्रीय कारागार के सुपरिन्टेंडेन्ट को प्रस्तावित दंड-आज्ञा का पृष्ठिकरण करने था उसको अस्वीकार करने का अधिकार था और ऐसे मामलों में उसे दबयं कोई और आज्ञा देने का अधिकार न था। कमीशन ने ठहराया कि उपर्युक्त नोट में “आज्ञा के लिये” शब्द बहुत विस्तृत थे और उनमें केवल स्वीकृति ही नहीं, बल्कि संशोधन या अस्वीकृति भी सम्भिलित थी। कमीशन ने तदनुसार शासन को सुझाव दिया कि यदि शासन इस अर्थ निर्णय से सहमत हो, तो नोट का अभिप्राय उनके परामर्श से उचित रूप से संशोधन करके स्पष्ट कर दिया जाय।

१४—असाधारण पेन्शन तथा उपदान

इस वर्ष असाधारण पेन्शन या उपदान के २० मामले, जो कि परिशिष्ट ८ में उल्लिखित हैं, कमीशन को परामर्श के लिये निर्देशित किये गये। इनमें से १४ मामले पुलिस विभाग के, दो माल विभाग (Revenue Department) तथा दो सामान्य सचिवालय के और एक-एक सिचाई तथा पशुपालन विभाग के थे। इनमें से १९ मामलों में कमीशन ने अपना परामर्श दिया। १४ मामलों में कमीशन का परामर्श मान लिया गया और शेष पांच में शासन की आज्ञा वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुई थी। शेष एक मामला जोकि मार्च, १९५५ में प्राप्त हुआ था, वर्ष के अन्त तक निबटाया न जा सका।

२—पिछले वर्ष के द्वार मामले ऐसे थे जिनमें शासन की आज्ञा की प्रतीक्षा थी। इनमें से दो मामलों में कमीशन का परामर्श मान लिया गया और शेष दो में इस वर्ष के अन्त तक भी शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी।

१५—वैध ढंगों के लौटाने के लिये दावे

इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों के अपनी रक्षा के हेतु किये गये वैध ढंगों को प्रत्यर्पण करने के सात मामले कमीशन को परामर्श के लिये निर्देशित किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट ९ में दिया हुआ है। कमीशन ने इन सब मामलों में तथा पिछले वर्ष के दो विचाराधीन मामलों में भी अपना परामर्श दिया। कमीशन का परामर्श शासन ने ८ मामलों में मान लिया। शेष एक मामले में वर्ष के अन्त तक शासन की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी।

२—कमीशन ने शासन को सुझाव दिया था कि शासकीय आज्ञाओं की मैनुअल के पैरा ३२३-ए के उस उपबन्ध का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय, जो उन सरकारी कर्मचारियों, जिन पर शासन ने स्वर्ण असफलतापूर्वक अभियोग चलाया हो, के बैध व्ययों के प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में था। मामला अब भी शासन के विचाराधीन है।

३—कमीशन ने तत्पश्चात् शासकीय आज्ञाओं की मैनुअल के पैरा ३२३-ए के अप्रेतर संशोधन का सुझाव दिया। यह पैरा दूसरे विषयों के साथ यह उल्लेख करता है कि यदि सरकारी कर्मचारी बाद में दोषमुक्त कर दिया जाय और उसका चरित्र निष्कलंकित ठहर जाय तो शासन उतना उचित व्यय, जितना उसने अपनी रक्षा में किया है, उसे प्रत्यर्पित करेगा। परन्तु कुछ मामलों में ऐसा होता है कि अभियुक्त दोषमुक्त होने के बजाय द्राइंग मैजिस्ट्रेट द्वारा या तो बाबी की उदासीनता के कारण या मामले में किसी वैधानिक दोष के कारण केवल छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों में शासन को यह निर्णय करना होता है कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी का चरित्र निष्कलंकित ठहरा या नहीं। कमीशन ने कहा कि ऐसा करने में सहायता मिलेगी, यदि बैध व्ययों के प्रत्यर्पण के सब मामलों में विभागीय अध्यक्ष या शासन, जो भी सम्बन्धित हों, जिलाधीकर से परामर्श ले लें कि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी का चरित्र निष्कलंकित ठहरा या नहीं और जिलाधीकर उसी कार्य-पद्धति का अनुसरण करें, जो कि पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा ५०१(८) (एच) में दी हुई है। कमीशन नोट करता है कि उपर्युक्त विधियों के अनुसार अनुदेश शासकीय आज्ञाओं की नई मैनुअल (१९५४ संस्करण) के परिणाम सम्मिलित कर दिये गये हैं।

१६—सेवाओं तथा पदों के लिये नियम

इस वर्ष कमीशन ने विविध सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के नियम तथा/या नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की सेवा के प्रतिबन्धों का परीक्षण किया और आलोचना की या स्वर्ण नियमों का संशोधन प्रस्तावित किया या प्रस्तावित संशोधनों पर राय दी। ऐसे ४२ मामले परिणाम १० में वर्णित हैं।

२—कई मामलों में कमीशन ने देखा कि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय तथा लेखन-सामग्री, इलाहाबाद से प्राप्त सेवा-नियमों की प्रतियों में समय-समय पर किये गये विविध संशोधनों के शुद्धि-पत्रक नहीं सम्मिलित थे। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि शुद्धि-पत्रकों के छापने तथा वितरण करने की प्रथा समाप्त हो चुकी थी। कमीशन ने तदनुसार शासन को सुझाव दिया कि सब सम्बन्धित अधिकारियों को आज्ञा दे दी जाय कि संशोधन की विज्ञप्ति निकालने के साथ ही साथ सम्बन्धित सेवा-नियमों के शुद्धि-पत्रक भी छापवा लिये जाया करें और अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय तथा लेखन-सामग्री को भी अदेश दे दिये जायं कि प्रासंगिक सेवा के नियमों की प्रत्येक प्रति के साथ उसके शुद्धि-पत्रक सदा भेजें जाया करें और ऐसे सब शुद्धि-पत्रकों की कम से कम दस प्रतियां कमीशन को भेज दी जाया करें।

३—भारतीय सरकार ने इंडियन फारेस्ट्स रेन्जर्स कालिज, देहरादून के फारेस्ट रेन्जर्स में फारेस्ट्री के पाठ्यक्रम के नियमों में संशोधन कर दिया था। इससे अधीनस्थ बन (बन रक्षक, उपबन रक्षक तथा फारेस्टर्स) सेवा-नियमों के कुछ नियमों को कालिज के नियमों के अनुसार बनाने के लिये संशोधन आवश्यक हो गया। उपर्युक्त नियमों के संशोधन का रीक्षण करते समय कमीशन ने देखा कि कालिज के नियमों में उसमें भर्ती होने के लिये, जो परीक्षा होती है, उसे कमीशन द्वारा संचालित किये जाने का कोई निवेश नहीं था। व्यवहार में यह चला आता था कि ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनका चानाद कमीशन द्वारा एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर होता था, विद्यालय के नियमों के नियम १४ में निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अवश्यकता नहीं होती थी। केवल उनको जोकि कमीशन द्वारा सिर्फ साक्षात्कार के पश्चात् चुने जाते थे, कालिज में भर्ती के पूर्व एक

योग्यता—निरीक्षण परीक्षा (qualifying examination) में सम्मिलित होना पड़ता था। शासन से तदनुसार प्रार्थना की गई कि फारेस्ट्री में रेन्जर्स के पाठ्यक्रम के नियमों में जावश्यक निवेश कर दें। प्रदेशीय सरकार ने यह मामला भारतीय सरकार को निर्देशित किया है।

४—पिछले वर्ष की रिपोर्ट के पैरा ३ में कमीशन ने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश सिविल (एक्जीक्यूटिव) सेवा से मुख्य प्रोबेशन अफसर के पद पर स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में उनसे परामर्श का निवेश सेवा-नियमों में कर दिया जाय और नियम इतने स्पष्ट तथा संगोपयंग होने चाहिये जितना संभव हो। उत्तर में शासन ने कहा कि मुख्य प्रोबेशन अफसर की सेवा के प्रतिबन्धों में वे अति मौलिक परिवर्तन करने का विचार कर रहे थे और विद्यमान सेवा-नियमों के संशोधन का प्रश्न बाद में लिया जायेगा।

५—कमीशन के इस सुझाव पर कि उनसे किसी राज्य-सेवा की द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में परामर्श होना चाहिये, क्योंकि दोनों श्रेणियाँ दो भिन्न-भिन्न सेवायें थीं और तदनुसार कमीशन के १९४१ के कार्य-सीमन विनियमों के विनियम ४(सी) का संशोधन कर दिया जाय, शासन ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य-सीमन सम्बन्धी विनियमों, १९५४ को अन्तिम रूप देते समय कमीशन की राय पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि १९४१ के विनियमों के विनियम ४ (सी) में धारित निवेश १९५४ के विनियमों के विनियम ६(सी) में उसी प्रकार रखे जायें। क्योंकि प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति नियान्त्रित नहीं है, कमीशन महसूस करते हैं कि वह उनके परामर्श से ही होनी चाहिये। अतः मामला शासन को पुनर्विचार के लिये पुनः निर्देशित किया गया है।

६—बहुत से सेवा-नियम ऐसे हैं जो संशोधन या अन्तिम रूप देने के लिये बहुत अरसे से शासन के विचाराधीन हैं। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, द्वितीय श्रेणी, के आलेख्य नियम, जिन पर कमीशन ने सन् १९४३ में आलोचना की थी, अभी तक अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाये हैं। कमीशन महसूस करते हैं कि सेवा-नियमों को अन्तिम रूप देने के पूर्व उनके कई अवस्थाओं से पार होना पड़ता है और कई अधिकारियों से उन पर परामर्श लेना होता है—जैसे एकाउटेन्ट जनरल, वित्त विभाग, नियुक्ति विभाग और कमीशन, परन्तु तब भी इतनी देर जितनी कि उपर्युक्त सम्बन्ध में हुई है, का कोई पर्याप्त औपचत्य नहीं है।

१७—कार्य सीमन सम्बन्धी विनियम

कमीशन इससे सहमत हो गया कि सूचना संचालक के प्रधान कार्यालय के संचालक के कर्मचारिण (ministerial staff) उनके पर्यवलोकन में आ जाय, परन्तु उन्होंने यह कहा कि यह कर्मचारिण कमीशन के कार्य-सीमन सम्बन्धी विनियमों, १९५४ से संलग्न सूची की मद-संख्या ५ की प्रविष्टि का भाग नहीं समझे जा सकते, क्योंकि सूचना विभाग एक विभागाध्यक्ष का कार्यालय था और सचिवालय का भाग नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उपर्युक्त सूची में एक पृथक् निवेश शासन के नियुक्ति (ख) विभाग की आज्ञा के अन्तर्गत करना होगा।

२—शासन ने कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन, कानपुर में वेलफेर अफसर के पद को कमीशन के पर्यवलोकन से निकालने का प्रस्ताव किया, क्योंकि उस पद का नियुक्ति-प्राधिकारी कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल मैनेजर था और राज्यपाल नहीं। क्योंकि उस पद का बेतन-ऋग्म २००-१०-२५०-दक्षता रोक-१५-४०० रु. था और भूतकाल में उस पद के लिये चुनाव उनके परामर्श से हुआ था, कमीशन का मत था कि पद उनके पर्यवलोकन में ही रहे और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य-सीमन सम्बन्धी विनियमों से संलग्न सूची में सम्मिलित कर दिया जाय, परन्तु शासन ने उस पद को कमीशन के पर्यवलोकन से निकालने का निर्णय किया। क्योंकि पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, कमीशन ने इस मामले में और लिखा-पढ़ी करना उचित नहीं समझा।

३—भूमि संरक्षण तथा ऊसर और क्षय हुई भूमि को सुधारने की योजना में ट्यूब-वेल और पावर हाउस को कायम रखने तथा रक्षण के सम्बन्ध में दस वर्गों के सृजित पदों को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (कार्य सीमन सम्बन्धी) विनियमों, १९५४ से संलग्न सूची में सम्मिलित करने के विषय में उत्तर प्रदेश कृषि संचालक से एक निर्देश होने पर कमीशन ने परामर्श दिया कि निम्नलिखित केवल तीन श्रेणियों के पदों के विषय में जिनके वेतनकम की उच्चतम सीमा २०० रु० से अधिक थी, उनसे परामर्श की आवश्यकता थी और उनसे कहा कि शासन से उन पदों को उपर्युक्त सूची में सम्मिलित करने के लिये निर्देश करें :—

- (१) पावर हाउस सुपरिनटेंडेन्ट जो २००—४०० रु० के वेतनकम में है।
- (२) प्रधान मिस्ट्री जो १२०—२५० रु० के वेतन-क्रम में है।
- (३) लाइन इंजीनियर जो १२०—२५० रु० के वेतन-क्रम में है।

४—पद की प्रतिष्ठा तथा उसके वेतन को ध्यान में रखते हुये कमीशन ने उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को सुझाव दिया कि १६०—१५—२८०—दक्षता रोक-२०—४०० रु० के वेतनकम में सुपरवाइजर तथा स्टोर कीपर के सम्मिलित पद को, जो कि किसी सेवा के संवर्ग में नहीं था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (कार्य-सीमन सम्बन्धी) विनियमों, १९५४ से संलग्न सूची में सम्मिलित कर दिया जाय। उन्होंने तदनुसार उनसे कहा कि इस विषय में शासन की निर्देश करें। चीफ इंजीनियर ने उत्तर दिया कि पद केवल पदोन्नति डारा ही भरा जाता था और इसलिये उसको सूची में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं था। कमीशन ने तब संकेत किया कि यदि यह पद पदोन्नति डारा ही भरा जाने वाला था तब भी वह उनके परामर्श से ही भरा जाना चाहिये और उनसे कहा कि शासन को निर्देशित करें कि उपर्युक्त सूची में सम्मिलित करके यह पद उनके पर्यवलोकन में ला दिया जावे।

५—शासन ने कमीशन के परामर्श से निम्नलिखित सेवाओं तथा पदों को कमीशन के पर्यवलोकन से निकालने का निर्णय किया :—

(i) अधीनस्थ शम सेवा में वे पद जिनका अधिकतम वेतन २०० रु० या उससे कम था।

(ii) हाइड फ्लैइंग तथा क्यूरेशन इंट्यादि सेन्टर के लिये कार्यवाहक मैनेजर तथा इन्स्ट्रूक्टर का संयुक्त पद।

(iii) फ्लैइंग सुपरवाइजर (Flaying Supervisor)

(iv) १२०—२०० रु० के वेतन-क्रम में सहायक चक्रबन्धी अफसर।

(v) अधीनस्थ उद्योग सेवा में निम्नांकित पदों के सिवाय सब पद, जिनका अधिकतम वेतन २०० रु० या उससे कम था :—

[१] राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ में भारीन कन्स्ट्रक्शन तथा ड्राइंग का प्रथम इन्स्ट्रूक्टर,

[२] राजकीय काष्ठकला इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद तथा राजकीय सेन्ट्रल काष्ठकला इंस्टीट्यूट, बरेली में पालिश इन्स्ट्रूक्टर,

[३] राजकीय काष्ठकला इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद तथा राजकीय सेन्ट्रल काष्ठकला इंस्टीट्यूट, बरेली में प्रथम ड्राइंग नास्टर, और

[४] राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, झाँसी में ड्राइंग नास्टर। उपर्युक्त द्वारों श्रेणियों के पदों का वेतनकम अस्थायी रूप से २००—१५—३५० रु० में परिवर्तित कर दिया गया है।

(vi) सहायक अध्यापक तथा सहायक अध्यापिकायें जिनका अधिकतम वेतन २०० रु० प्रति माह तक है।

६—निम्नलिखित श्रेणियों के पद कमीशन के पर्यवलोकन में लाये गये :—

(क) मध्यम तथा लघु श्रेणी के उद्योगों में शरणार्थियों के अन्तर्निधान के लिये

ट्रेनिंग तथा प्रोडक्शन सेन्टरों के सम्बन्ध में सूचित योजना में—

(१) लेला के इन्सपेक्टर,

(२) सुपरवाइजर,

(३) प्रोडक्शन के सुपरिनेंडेन्ट,

(४) ड्यॉष्ट इन्स्ट्रूक्टर,

(५) उद्योगों के सुपरिनेंडेन्ट,

(६) सुपरिनेंडेन्ट (ऋण), तथा

(७) इन्क्वायरी इन्सपेक्टर।

(ब) बैच तथा हकीम,

(ग) उत्तर प्रदेश शासकीय हैन्डीक्रैफ्ट्स में बिक्री तथा एजेन्सियों के सुपरिनेंडेन्ट,

(घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसन्धान संगठन में सहायक कोमिट्ट तथा सहायक जियोलोजिस्ट।

१८—विविध निर्देश

रिटायर्ड अधिकारियों की पुनः नियुक्ति, शासन के अधीन विविध सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के लिये डिप्लोमाओं की मान्यता तथा ज्योष्ठता निर्धारित करने इत्यादि के विषय में कमीशन को किये गये निर्देशों में से ७३ अधिक महत्वपूर्ण विविध निर्देशों की एक सूची परिशिष्ट ११ में दी हुई है।

१९—अन्य विषय

१—अखिल भारतीय समाचार-पत्रों में कमीशन के विज्ञापनों के प्रकाशन में विलम्ब—

ऐसे कई दृष्टान्त हुये हैं जिनमें सूचना संचालक के कार्यालय ने जिसके द्वारा कमीशन के विज्ञापन समाचार-पत्रों को प्रकाशनार्थ भेजे जाते हैं, अखिल भारतीय समाचार-पत्रों को विज्ञापन वितरण करने में अत्यन्त विलम्ब कर दिया। यह मामले शासन की दृष्टि में लाये गये और उनको सुकाश दिया गया कि कमीशन को अपने विज्ञापन समाचार-पत्रों को सीधे भेजने का अधिकार दे दिया जाय। वर्ष के अन्त तक शासन से कोई आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी।

२—अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय उनके मौलिक हाई स्कूल सर्टिफिकेटों का परिवीक्षण करना—उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट बोर्ड के सचिव से एक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेटों में, विशेषरूप से जन्म-तिथि में, अन्तःक्षेप करने के दृष्टान्त बड़ रहे हैं, कमीशन ने निर्णय किया कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की हुई हाई स्कूल सर्टिफिकेटों की प्रतियां साक्षात्कार की तिथियों में उनके द्वारा लाये हुये मौलिक हाई स्कूल सर्टिफिकेटों इत्यादि से परिवीक्षण की जायें।

३—कमीशन द्वारा सीधी भर्ती के विषय में अनुदेशों का संशोधन—अपने पर्यवलोकन में विविध सेवाओं तथा पदों पर सीधी भर्ती के सामलों का विन्यास करते हुये कमीशन ने गौर किया कि कभी-कभी नियुक्ति प्राधिकारी उन पदों के विज्ञापन के अधिग्रहण (requisition) के साथ जिनके कोई सेवा नियम नहीं थे, पर्याप्त सामग्री नहीं प्रस्तुत करते थे। इससे अप्रेतर पत्र-व्यवहार की आवश्यकता होती थी, जिसके फलस्वरूप उन अधिग्रहणों के निस्तारण (disposal) में विलम्ब होता था। कमीशन ने तदनुसार अधिग्रहण का एक फार्म बनाया और शासन से प्राप्तना की कि सचिवालय के सब विभागों को तथा विभागाध्यक्षों को आदेश दे दिये जायें कि वे अधिग्रहण-फार्म में दिये हुये सब विवरणों के साथ आल्य विज्ञापन प्रस्तुत किया करें। शासन ने कमीशन द्वारा सीधी भर्ती के विषय में अनुदेशों को, जो कि सन् १९४० में जारी किये गये थे,

पूर्ण रूप से संशोधित करने का निर्णय किया और कमीशन से एक आलेख्य तैयार करने को कहा। कमीशन ने संशोधित अनुदेशों का एक प्रयोगात्मक आलेख्य तैयार किया और शासन को अनुमोदनार्थ भेजा। इस वर्ष में उसको अन्तिम रूप न दिया जा सका।

४—अवसर प्राप्त (retired) सरकारी कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति—

निष्कान्त सम्पत्ति विभाग में शासन ने कमीशन से कुछ पदवारियों की, जो कि उस विभाग में कार्य कर रहे थे, पुनर्नियुक्ति को जारी रखने के लिये निर्देश किया। उनमें से एक पदवारिकारी ६७ वर्ष का और एक ७० वर्ष का था। कमीशन ने महसूस किया कि कुछ आयु-सीमा निर्धारित हो जानी चाहिये, जिसके उपरान्त पुनः नियुक्ति की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। उन्होंने तदनुसार शासन को नियुक्ति (ख) विभाग में सुझाव दिया कि उनके मत में ६० वर्ष की अवस्था तक ही नियम के अनुसार पुनर्नियुक्ति की आज्ञा दी जानी चाहिये। विशेष परिस्थितियों में जहां ऐसी नियुक्ति व्यायामित हो ६५ वर्ष की अवस्था तक भी स्वीकृति दे दी जाय, परन्तु ६५ वर्ष की अवस्था के बाद सिवा टेक्निकल या विशेषज्ञ सेवाओं के मामलों में पुनर्नियुक्ति के चलते रहने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये और उन सेवाओं में भी केवल इस आधार पर कि उस आयु-सीमा में कोई उपर्युक्त व्यक्ति अपेक्षित योग्यताएं रखता हुआ न मिलता हो। शासन से प्रार्थना की गई कि इस विषय में जीव्र निर्णय ले और सचिवालय के सब विभागों के पथ-प्रदर्शन के लिये एक सामान्य नीति स्थापित कर दे। उपर्युक्त परामर्श शासन को अग्रेल, १९५४ में दिया गया था। यद्यपि उन्होंने उन सबकी सेवाएं, जो कि ६० वर्ष की अवस्था से अधिक थे, तुरन्त समाप्त कर दीं, उन्होंने इस मामले में सामान्य नीति के विषय में कोई अन्तिम निर्णय तीन-चार लास का अन्तर देकर कई अनुस्मारक भेजने पर भी अभी तक नहीं लिया है।

५—कार्यालय की मैनुअल का संशोधन—शासन के इस निर्णय को कि समग्रकालीन (wholetime) सरकारी कर्मचारियों को जब वे सेवा में लगे हों, विद्यालयों में भर्ती होने की आज्ञा नहीं देनी चाहिये, ध्यान में रखते हुये दफतर की मैनुअल के प्रासंगिक पैरा का उचित रूप से संशोधन किया गया। कमीशन के 'भूतपूर्व' अध्यक्ष तथा 'भूतपूर्व' सदस्यों को कार्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें देने के लिये भी कार्यालय की मैनुअल में निवेदित किया गया।

६—अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही—(i) एक अभ्यर्थी के विरुद्ध जिसको कमीशन ने कोआपरेटिव इस्पेक्टर के पद के लिये संस्तुत किया था, एक शिकायत प्राप्त होने पर कमीशन ने उसके पूर्ववृत्त की पूछ-ताछ की और यह पता चला कि उपर्युक्त पद के लिये प्रार्थना-पत्र भेजते समय उसने इस तथ्य को कि वह एकाउटेन्ट जनरल के कार्यालय में कर्मचारी था, छिपा लिया था और जान-बक्स कर अपने प्रार्थना-पत्र में मिथ्या विवरण प्रस्तुत किया। कमीशन को यह भी पता चला कि वह तत्पञ्चात् दुराचार तथा अयोग्यता के कारण एकाउटेन्ट जनरल द्वारा सेवा से हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से तदनुसार कहा गया कि उसको निलम्बित कर दें और उसके विरुद्ध कमीशन को धोखा देने के आरोप लगाये जायें और फिर पदच्युत कर दिया जाये। वर्ष के अन्त तक अन्तिम आज्ञा की प्रतीक्षा थी।

(ii) पिछले वर्ष के एक मामले में जिसमें कि एक अभ्यर्थी ने अपने फ्रट डेवलपमेंट अफसर के पद को अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में एक जाली सटीकिट प्रस्तुत किया था और जिसका मामला कमीशन द्वारा शासन को प्रतिवेदित किया गया था, शासन ने उस अभ्यर्थी को सेवा से हटाने की आज्ञा दी।

(iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़क शाखा में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के लिये अगस्त, १९५३ में संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों में से एक का नियुक्ति-पत्र कमीशन की सम्मति से उस समय रद्द कर दिया गया था जब शासन को यह पता चला कि उसका कार्य भूपाल शासन के अधीन जहां वह पहले नियुक्त था, अत्यन्त असन्तोषजनक था और उसकी ईमानदारी संशय से परे नहीं थी।

(iv) कमीशन द्वारा उसका प्रार्थना—दत्र अस्वीकृत होने पर, विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भूगोल अध्यापन के सहायक अध्यापक के पद के लिये एक अभ्यर्थी ने एक पत्र लिखा, जिसमें उसने शासन तथा पठिलक सर्विस कमीशन के सदस्यों के बिल्ड अनादरपूर्ण तथा आपत्ति-जनक भावा का प्रयोग किया। कमीशन ने इस मामले को गम्भीर विष्ट से देखा और भविष्य में उनके द्वारा ली गई सब परीक्षाओं तथा चुनावों से उसको प्रतिबाहित करने का अन्तरकालीन निर्णय किया। परन्तु कोई कार्यवाही करने के पूर्व उन्होंने अभ्यर्थी से पूछा कि अनादरपूर्ण तथा आपत्तिजनक भावा प्रयोग करने के कारण उत्तरो भविष्य की परीक्षाओं तथा चुनावों से प्रतिबाहित क्यों न कर दिया जाय। अभ्यर्थी ने बिना नमूने के क्षमा याचना की, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश शिक्षा संचालक के अधीन कार्य कर रहा था, कमीशन ने सुझाव दिया कि उसकी चरित्रावली में एक प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय। शिक्षा संचालक ने कमीशन का सुझाव मान लिया और उसकी चरित्रावली में एक प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी।

(v) ग्रामीण उद्योग के सुपरिस्टेंडेन्ट के पद के लिये एक अभ्यर्थी ने पठिलक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को एक पत्र सीधे भेजा, जिसमें उसने कमीशन के द्वारा किये गये चुनावों के ठीक होने का संदेह किया। मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया, जिन्होंने अभ्यर्थी को भविष्य में अधिक सावधान रखने के लिये चेतावनी दी और उसकी चरित्रावली में एक प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी।

(vi) कलेक्शन नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की सम्मिलित परीक्षा में, जो कि फरवरी, १९५५ में हुई थी, दो अभ्यर्थी अनुचित साधन व्यवहार करते हुए पाये गये। कमीशन ने उन दोनों अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भविष्य में ली जाने वाली परीक्षाओं तथा चुनावों से प्रतिबाहित कर दिया।

७—अतिरिक्त कार्य—(क) श्री पीताम्बर दत्त पांडे, सदस्य, एकोनांमी कमटी की सभाओं में, जोकि लखनऊ में १२ अक्टूबर, १९५४ तथा जनवरी, १९५५ में हुई थी, सम्मिलित हुए और वहां उसी सम्बन्ध में नवम्बर, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में भी गये।

(ख) सदा की भाँति इस वर्ष भी कमीशन ने यनियन पठिलक सर्विस कमीशन की ओर से निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन तथा उनकी देख-रेख की:—

- (१) इंडियन एयर फोर्स परीक्षा (अप्रैल), १९५४।
- (२) जवाहंट सर्विसेज विंग परीक्षा (जून), १९५४।
- (३) मिलिटरी विंग परीक्षा (जून), १९५४।
- (४) इंडियन नेवी परीक्षा (जुलाई), १९५४।
- (५) इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव इत्यादि सेवाओं के लिये परीक्षा, १९५४।
- (६) इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये परीक्षा (दिसम्बर), १९५४।
- (७) इंडियन नेवी परीक्षा (दिसम्बर), १९५४।
- (८) जवाहंट सर्विसेज विंग परीक्षा (जनवरी), १९५५।
- (९) मिलिटरी विंग परीक्षा (जनवरी), १९५५।
- (१०) इंडियन एयर फोर्स परीक्षा (फरवरी), १९५५।

८—विशेष सहायता जो कमीशन को दी गयी—कमीशन साक्षात्कार के समय उनको सहायता देने के लिये प्रविधिक परामर्शकों की प्रतिनियुक्त करने के लिये शासन तथा अन्य नियुक्त अधिकारियों का कृतज्ञ है। वह इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये विभागीय अफसरों तथा गैर-सरकारी परामर्शकों का भी उनके बहुमूल्य परामर्श के लिये कृतज्ञ है।

२०—सामान्य कथ्य तथा निष्कर्षीय वक्तव्य

१—कमीशन का बढ़ता हुआ कार्य—बेकारी की बढ़ती तथा विविध विकास योजनाओं के सम्बन्ध में सूजित की हुई तर्ह सेवाओं के कारण कमीशन का कार्य तथा गतिविधि बढ़ती ही गयी। एक अतिरिक्त सदस्य दिसम्बर, १९५५ के अन्त में नियुक्त किया

गया और कुछ अस्थायी कर्मचारी (Ministerial Staff) भी शासन ने हाल में स्वीकृत किये हैं। परन्तु कुशलता तथा शीघ्रता से बराबर कार्य होने के लिये यह अव्यन्त आवश्यक है कि कमीशन के सदस्यों की संख्या में और वृद्धि की जाय और उनके कार्यालय को उचितस्थ से पुनः संगठित किया जाय।

२—परीक्षा—भवन तथा कार्यालय अधिवासन—यह सन्तोष की बात है कि आखिरकार इस प्रचलित वर्ष अधीर्त १९५६—५७ के आय-व्ययक में २ लाख ८० का निवेश कमीशन के लिये परीक्षा—भवन के निर्माण की शुरूआत के लिये किया गया है। परन्तु कर्मचारिवर्ग के लिये जोकि बढ़ रहा है, कार्यालय अधिवासन भी अपर्याप्त साक्षित हो रहा है और यह आशा की जाती है कि कमीशन तथा उनके कर्मचारिवर्ग के लिये एक उचित तथा पृथक् इमारत की व्यवस्था शीघ्र ही की जायेगी।

३—टेक्निकल व्यक्तियों की दुर्लभता—यद्यपि सामान्य बेकारी है, पर जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय ६ के पैरा १ में तथा पूर्व रिपोर्ट में लिखा गया है, टेक्निकल व्यक्तियों की दुर्लभता अब भी चल रही है। कुछ नये टेक्निकल तथा इंजीनियरिंग स्कूल शासन द्वारा और कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा खोले गये हैं और खोले जा रहे हैं। यह अभिलेखनीय है कि टेक्निकल शिक्षा की इस प्रकार से व्यवस्था की जाय कि आगामी वर्षों में टेक्निकल व्यक्तियों की भी बेकारी न हो जाये।

४—पदोन्नतियां—पिछली रिपोर्ट में कमीशन को यह कहने का अवसर मिला था कि डिसिल्नरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार पदोन्नति के चुनाव के लिये योग्यता को ही केवल आधार अपनाने के कारण उनका कार्य पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया था। कमीशन को अब विभागीय चुनाव समितियों की संस्तुतियों का प्रत्यालोचन केवल इस लिये ही नहीं कि चुनाव मेरिट के सिद्धान्त पर हुए हैं, परन्तु इसलिये भी कि वे यह देख सकें कि कोई ज्येष्ठ उपर्युक्त अफसर बिना पर्याप्त औचित्य के छोड़ नहीं दिया गया है, करना पड़ता है। कमीशन ने विचारा कि इस प्राथमिक चुनाव का द्वितीयक पहिले विभागीय चुनाव समिति के द्वारा और तदुपरान्त कमीशन द्वारा सारे मामले का पुनः विचार करना बचाया जा सकता था। उनके सुझाव पर शासन ने पदोन्नति द्वारा भर्ती करने की कार्य-पद्धति को अब संशोधित कर दिया है। इस संशोधित कार्य-पद्धति के अनुसार ऐसे चुनाव एक चुनाव समिति द्वारा किये जाते हैं, जिसमें कमीशन का एक प्रतिनिधि उसका सभापतित्व करता है। विभागीय अध्यक्ष या नियुक्त प्राधिकारी या शासन का सचिव, यथाप्रसंग और विभाग का एक और ज्येष्ठ अफसर जिसको कि नियुक्त प्राधिकारी या शासन मनोनीत करे, सम्मिलित होते हैं।

५—आभार प्रदर्शन—कमीशन को इस बात का सन्तोष है कि सिवा कुछ पृथक् मामलों के, जोकि इस रिपोर्ट में निर्देशित किये गये हैं, शासन तथा अन्य नियुक्त अधिकारियों ने संविधान तथा पब्लिक सर्विस कमीशन के (कार्य-सीमन सम्बन्धी) विवियमों के निवेशों का पालन किया और उनके द्वारा दिया गया परामर्श मान लिया। वे मुख्य मन्त्री के इसलिये विशेषरूप से कृतज्ञ हैं कि जब कोई मामला उनकी दृष्टि में लाया गया, उस पर उन्होंने अविलम्ब उचित कार्यवाही की।

राम नरेश लाल,

सचिव।

परिशिष्ट १

कमीशन के १९४८-४९ से १९५४-५५ तक के कार्यों की सूची

विवरण	वर्ष					
	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
१	२	३	४	५	६	७

२०

—परीक्षा द्वारा चुनाव—

- (१) वर्ष में लो गई परीक्षाओं की संख्या ११ १४ १ ११ १० १२ १०
- (२) प्रातः आवेदन-पत्रों की संख्या ५,६८९ ४,४४० ३,६३६ ४,९८७ ६,०८१ ६,०६१ १,७२०
- (३) अध्यर्थियों की संख्या जिन्हें परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा प्रदान की गई ३,७५८ २,९५७ ४,३१४ ५,०६१ ६,५६६ ७,७१३
- (४) परीक्षा में बैठने वाले अध्यर्थियों की संख्या २,६६२ ३,०८५ ३,२९० ३,२२९ ४,०८४ ५,११३२ ६,३०७
- (५) साक्षात्कार किए गये अध्यर्थियों की संख्या ६१२ ६३७ ५२५ ५१० ४५३ ५५२ २५१
- (६) चुने हुये अध्यर्थियों की संख्या २८२ ४७४ १०१ ११० १८२ १७७ १९०

२१

अमीशन के १९४८-४९ से १९५४-५५ तक के कार्यों की सूची—(क्रमांकः)

विवरण	वर्ष					
	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
?	२	३	४	५	६	७

—विज्ञापन के उपरात चुनाव हरा भरी—

(१) विज्ञापनों की संख्या	१२३	१०६	१२४	१५४	१६३	१४४
(२) विज्ञापित पदों की संख्या जिनके लिये चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया।	१,७६८	१,१११	१,१७९	४५०	४०४	११८
(३) आवेदन-पत्रों की संख्या जिनके लिये चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया।	५०४	७०६	१५३	१४०	११५	११८३
(४) साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या।	१०,३७२	५,१२७९	५,१००२	२,९३०	८,७९७	५,५८५
(५) चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या।	३,४०२	३,८५३	३,८७५	२,०९१	२,५५५	३,९७९
—अन्य विवरण—	२,४८७	१,८७५	१,८८०	१,२६०	४,७२९	२,८४४
(१) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर निम्न लिखित मामलों के सम्बन्ध में विचार किया गया—	१,५२२	१,१३८	५४२	५१७	८९७	१,१६९

- (१) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर निम्न लिखित मामलों के सम्बन्ध में विचार किया गया—
- (१) विज्ञापित पदों की संख्या जिनके लिये चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया।
 - (२) नहीं किया जा सका।
 - (३) आवेदन-पत्रों की संख्या जिनके लिये चुनाव वर्ष के अन्तर्गत किया गया।
 - (४) नहीं किया जा सका।
 - (५) साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या।
 - (६) चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या।

[१] बिना विशेषन के भर्ती	...	७६	४९	६८	६९७	४२५	७४
[२] पदोन्नति	३३७	४२६	४०२	३१४	२१७	५२५	६२३
[३] अस्थायी नियुक्तियों का नियमित- करण	...	६९७	६८९	६२३	७६४	३,१८९	२,४०१
[४] स्थानांतरण द्वारा चुनाव	१	.	२	१	८	८	५
[५] प्राप्तिकरण	२७३	३४७	१०१	३५०	६८	१६६	८८२

(2) विलीनकृत राज्यों के उत्तर पवधि-
कारियों की संख्या, जिन्हें प्रोद्धिक
सेवाओं में अत्तिनिधान करने के
देश बचार किया गया

(3) निबटाये हुये अनुशासनात्मक मामले
तथा पुनरावेदन

(4) निबटाये हुये असाधारण पेशन तथा/
अधिक उपदेन के मामले

(५) निबटाये हुये वैध व्ययों के क्लौटारे वाले सामले

(६) सेवा तियम् और उनके संशोधन,
जिन पर विचार किया
चिकित्सा, निर्देश

(७)

परिशिष्ट
परीक्षा द्वारा भर्ती--

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनु-मति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८

१ उत्तर प्रदेश
सिविल (एकजी-
क्यटिव)
सर्विस
उत्तर प्रदेश
पुलिस सर्विस
और
उत्तर प्रदेश
फाइनेन्स एवं
एकाउन्ट्स
सर्विस
के लिये सम्म-
लित प्रति-
योगिता
परीक्षा, १९५३

१,७८३ १,४२२ १,०७३ ३ से ५, ७ से (i) अधिकारी
१२, १४ से प्रशिक्षण स्कूल,
१९ और २१ इलाहाबाद
से २४, दिस-
म्बर, १९५३

(ii) सेनेट
हाल, इलाहा-
बाद

सन् १९५४-५५ ई०

सुपरवाइजर का नाम	साक्षात्कार तथा मौखिक परीक्षा की तारीख	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने हुये अभ्यर्थियों की संख्या	विशेष विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४
श्री यू० एस० वर्मी, ईविंग क्रिश्चयन कालेज, इलाहा- बाद के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष	२८ से ३० अप्रैल; १ तथा ३ से ६ मई, १९५४	श्री डॉ ल्यू० ए० सी० पियर्स, आई० पी०, डिप्टी इन्स्पेक्टर जेनरल आफ पुलिस, प्रधान केन्द्र, इलाहा- बाद	१२८	३६	उत्तर प्रदश सिविल (एक्जीक्यू- टिव) सर्विस में बाद में ६ रिक्त स्थान और हो गये
डा० आई० डी० कोलब, सहायक रजिस्ट्रार, इला- हाबाद विश्व- विद्यालय					

परिवार
परीक्षा द्वारा भत्ता-

क्रम- संख्या	सेवा या पद स्थानों की संख्या	रिक्त पत्रों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनु- मति पाये द्युये अभ्य- थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८

२ कानूनगां, १९५४ ५० ६८६ ५६७ ४३५ २६ से २८ अधिकारी, प्र
जुलाई, १९५४ शिक्षणस्कूल
इलाहाबाद

३ रेन्जर्स कोर्स १९५५-५७ ५ २६५ २४६ २१८ २१ से २३ तदेव
अक्टूबर,
१९५४

४ वरिष्ठ वन सेवा कोर्स १ २६ २६ २४ ३ से ६ नव- लोक सेवा
(सुवीरियर
फारेस्ट्स
सर्विस कोर्स) बर, १९५४ आयोग कार्य-
लय, इलाहा-
बाद

सन् १९५४-५५--(क्रमांकः)

सुपरवाइजर का नाम	साक्षात्कार तथा सौचिक परीक्षा की तारीख	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने हुये अभ्यर्थियों को संख्या	विशेष विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४

श्री एस० जेड० ८ और ११ से १४, ..
हसनैन, अतिरिक्त अक्टूबर, १९५४
सहायक सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश

७५ ५१ ५१वाँ अभ्यर्थी
भी प्रशिक्षण
के लिये चुना
गया, क्योंकि
उसने ५०वें
अभ्यर्थी के
अंकों के बरा-
बर अंक प्राप्त
किये थे।

तदेव २१ और २२ दिस- श्री ज० आर० ४० ५
म्बर, १९५४ सिंह, आई०
एफ० एस०,
कंजरबटर
अफ फारे-
रस्ट्स,
पिंडिमी वृत्त,
उत्तर प्रदेश

श्री शिव लाल, २० दिसम्बर,
सहायक सचिव, १९५४
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश

तदेव ८ १

परिशिष्ट

परीक्षा द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
५	उत्तर प्रदेश सिविल (एकजीक्यूटिव) सर्विस और उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस	८	८	१,२१७	१,०१२	७७४	१ से ४, ६, ७, (i) अधिकारी ९ से ११, १३ प्रशिक्षण से १८ और स्कूल, इला- २० से २२ दिसम्बर, १९५४ (ii) सेनेट हाल, इलाहा- बाद
६	उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिये अवर वर्ग सहायक, रेगुलर विभागीय	८१७	७७८	७३१	२३३	२४	(i) सेनेट दिसम्बर, हाल, इलाहा- १९५४ बाद (ii) क्रिकेट घर कालेज, लखनऊ

सन् १९४८-५५—(क्रमांकः)

सुपरवाइजर का नाम	साक्षात्कार तथा मौखिक परीक्षा की तारीख	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने हुये अभ्यर्थियों की संख्या	विशेष विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४

श्री शिवलाल,
सहायक सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश
...
मौखिक परीक्षा
आलोच्य
वर्ष के अन्तर्गत
नहीं की जा
सकी।

डा० आई० डी०
केलब, सहायक
रजिस्ट्रार, इला-
हाबाद विश्व-
विद्यालय
..

श्री एस० जेड०
हसनैन, अतिरिक्त
सहायक सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश
..

डा० सी० एम०
ठाकुर, प्रिसिपल,
क्रिच्चयन कालेज,
लखनऊ
...

सम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनु-सति पाये हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा कास थान
१	२	३	४	५	६	७	८
७	उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिये प्रवर वर्ग सहायक, १९५४ रेग्नर विभागीय	१,४२६	१,२९७	१,०९४	२७ से २९ दिसम्बर, १९५४	(i) अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद	
		२८	१४			(ii) सेनेट हाल, इलाहाबाद	
						(iii) क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ	
८	कलेक्शन नायब तह-सीलदार (सीजनल), १९५४	१९०	४०६	३९६	३८७	१४ व १५ फरवरी, १९५५	सेनेट हाल, इलाहाबाद

सन् १९५४-५५--(क्रमांकः)

सुपरवाइजर का नाम	साक्षात्कार तथा मौखिक परीक्षा की तारीख	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने हुये अभ्यर्थियों की संख्या	विशेष विवरण
९	१०	११	१२	१३	१४

श्री एस० जेड० ४२* *नियुक्ति के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है।
 हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव,
 लोक सेवा आयोग,
 उत्तर प्रदेश

श्री शिव लाल,
 सहायक सचिव,
 लोक सेवा आयोग,
 उत्तर प्रदेश

डॉ सौ० एस०
 ठाकुर, प्रिसिपल,
 किश्चियन कालेज,
 लखनऊ

श्री एस० जेड० .. .
 हसनैन, अतिरिक्त सहायक सचिव,
 लोक सेवा आयोग,
 उत्तर प्रदेश

मौखिक परीक्षा
 आलोच्य
 वर्ष के अंतर्गत
 नहीं की जा
 सकी।

परीक्षा द्वारा भर्ता--

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनु- मति पाए हुए अभ्य- र्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
९	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ माल कार्य- कारी सेवा (यू० पी० सबाइनेट रेवेन्यू एजें- स्टिटिव सर्विस) में नायब तह- सीलदार, १९५४	२८	२,३७५	३,०९५	२,३८३	२५ व २६	(i) अधिकारी प्रगिक्षण स्कूल, इला- हाबाद
१०	कलेक्शन नायब तह- सीलदार, १९५४	१५२	२,०७७	१९५५	फरवरी, हाल, इला- हाबाद	(ii) सेनेट	(iii) राज- कीय माध्य- मिक महा- विद्यालय, इलाहाबाद
							(iv) सी० ए० वी० महा- विद्यालय, इलाहाबाद
							(v) लखनऊ क्रिश्चियन महाविद्यालय, लखनऊ
							(vi) डी० ए० वी० महा- विद्यालय, लखनऊ

सन् १९५४-५५--(क्रमांकः)

सुपरवाइजर का नाम	साक्षात्कार तथा मौखिक परीक्षा की तारीख	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने हुये अभ्यर्थियों की संख्या	विशेष विवरण
१	१०	११	१२	१३	१४

श्री एस० जड० हसनन, अतिरिक्त सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश	मौखिक परीक्षा आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत नहीं की जा सकी ।
श्री शिव लाल, सहायक सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश					
श्री एस० क० शोम, प्रिसिपल, राजकीय माध्यमिक महाविद्यालय, इलाहाबाद					
श्री पी० एन० घोषाल, प्रिसिपल, सी० ए० वी० महाविद्यालय, इलाहाबाद					
डा० सी० एम० ठाकुर, प्रिसिपल, लखनऊ किशिचयन महाविद्यालय					
श्री एम० पी० शरस्वती, प्रिसिपल, डी० ए० वी० महाविद्यालय, लखनऊ					

क्रम— संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	परीक्षा में बैठने की अनु-मति पास हुये अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	परीक्षा की तारीख	परीक्षा का स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८

१। उत्तर प्रदेश २२ ३२५ २९६ २६१ २५ और २६ अधिकारी सिविल जड़ी-शियल सर्विस, १९५४ मार्च, १९५५ प्रशिक्षण स्कूल, इलाहाबाद

योग* ५४१ ९,७२० ७,७१३, ६,३०७

*उपर्युक्त स्तम्भ संख्या ३, ४, ५ और ६ के मद संख्या १ के सामने शिये हुये अंकड़े, जो

सन् १९५४-५५—(तमात्म)

सुपरवाइजर का नाम	साक्षात्कार तथा मौखिक परीक्षा की तारीख	प्राविचिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने हुये अभ्यर्थियों की संख्या	विशेष विवरण
६	१०	११	१२	१३	१४

श्री शिवलल,
...
सहायक सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश
मौखिक परीक्षा
आलोच्य वर्ष
के अन्तर्गत
नहीं की जा
सकी।

२५१ १७०

पूर्ववर्ती १९५३-५४ वर्ष से ली गई एक परीक्षा से सम्बन्ध रखने हैं, छोड़ कर ।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्य- र्थियों की संख्या	बुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

१	उत्तर प्रदेश के विद्युत् निरीक्षक की शाखा में सहायक इंजीनियर (विद्युत्)	१	४	७६	२१	१०	२
२	उत्तर प्रदेश के विद्युत् निरीक्षक की शाखा में सहायक इंजीनियर (वाणिज्य)	४	४				६
३	उत्तर प्रदेश (जल-विद्युत् शाखा) इंजीनियरों की सेवा में सहायक इंजीनियर	२९	१७७	९५	८६	३६	
४	सामान्य प्रबन्धक, राजकीय सीमेन्ट कारखाना, मिर्जापुर	१	८	८	२	१*	
५	प्रिन्सिपल, राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ	१	७	२	२	-	
६	प्रिन्सिपल, राजकीय केन्द्रीय वस्त्रो- द्वोग संस्था, कानपुर	१	५	२	१		

१९५४-५५

साक्षात्कार की तिथि	प्राचिनिः सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०
१ और २ अप्रैल, १९५४	श्री एन० चक्रवर्ती, मुख्य इंजीनियर, विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश	
५, ६, ८, ९ और १० अप्रैल, १९५४		
७ अप्रैल, १९५४	श्री के० एन० सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के सचिव और श्री हेनरी पली, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्शदाता (कन्सल्टिंग) इंजीनियर	*संस्तुत अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किया गया और इस पद पर एक विदेशी फर्म द्वारा प्रदत्त व्यक्ति नियुक्त किया गया।
१३ अप्रैल, १९५४	श्री के० सी० गुप्ता, सामान्य प्रबन्धक, कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन, कानपुर	आयोग के सुझावानुसार पद को स्थायी करके प्रेन्शन के अधिकार देकर तथा अपेक्षित अनुभव को घटाकर उसे पुनः विज्ञापित किया गया। देविये मद संख्या १६। संस्तुत अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त बुरे होने के कारण, वह शासन द्वारा नियुक्त नहीं किया गया, इससे आयोग सहमत हुआ। यह पद पुनर्विज्ञापित किया गया देविये मद सं० २१०।

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

३
१४५४-५५-(क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
७	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में रिसर्च सुपरवाइजर्स	४	२९	१५	१४	१
८	उद्योग (ट्यूशनल क्लासेज) के डिवीजनल अधीक्षक	३*	२७	१२	१२	१
९	राजकीय कार्पेन्टरी विद्यालय, इलाहाबाद के लिए ड्राइंग के अध्यापक	१		४	१	१
१०	राजकीय केन्द्रीय वुड वर्किंग संस्था, बरेली के लिए ड्राइंग के अध्यापक	१				
११	राजकीय कार्पेन्टरी विद्यालय, इलाहाबाद के लिए ड्राइंग के सहायक अध्यापक	१	१	-	-	२७ अप्रैल, १९५४
१२	वुड वर्किंग इन्स्ट्रूक्टर, राजकीय कार्पेन्टरी विद्यालय, इलाहाबाद	१				
१३	कैविनेट इन्स्ट्रूक्टर, राजकीय केन्द्रीय वुड वर्किंग संस्था, बरेली	१	१०	२	२	-
१४	सहायक कैविनेट इन्स्ट्रूक्टर, राज- कीय कार्पेन्टरी विद्यालय, इलाहाबाद	१				तदेव
१५	सहायक कैविनेट इन्स्ट्र॔क्टर, राजकीय केन्द्रीय वुड वर्किंग संस्था; बरेली	१	१३	३	३	१

साक्षात्कार की तिथि

१४ अप्रैल, १९५४

२० अप्रैल, १९५४

तदेव

२७ अप्रैल, १९५४

तदेव

तदेव

प्राविधिक सलाहकार का
नाम, यदि कोई हो

विशेष विवरण

६

१०

श्री बी० एस० ब्रिट्ट, सुप्य-
रिन्टेंडंग इंजीनियर, आई०

डब्ल्यू०, इलाहाबाद

श्री एम० लम्बोउद्दीन, उद्योग *इसमें एक और रिक्त स्थान
के अतिरिक्त संचालक, समिलित है, जिसकी सूचना
उत्तर प्रदेश बाद में मिली थी।

तदेव

इलाहाबाद में ड्राइंग के अध्यापक
के पद के लिए चंस्तुत । अन्य
पदों के लिए कोई नहीं मिला ।

श्री पी० बी० कुरुप, प्रिन्सिपल,
राजकीय केन्द्रीय बुड वर्किंग
संस्था, बरेली

तदेव

कोई भी उपयुक्त नहीं नम्भा गया ।
आद्योग ने सुझाव दिया कि एक
वास्तविक अच्छे अभियंता को
उच्चतर वेतन—कम से उच्चतर
प्रारम्भिक वेतन देने तथा
अधिकार नियम सम्पूर्ण भारत
के लिए विस्तृत कर देने पर अच्छे
अभियंताओं के निलंबन को सम्भा-
वना हो सकती है ।

तदेव

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—
१९५४-५५—(क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या	क्रम- संख्या
		१	२	३	४	५	
१६	उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय एनालिस्ट और पब्लिक एना - लिस्ट की लेबोरेटरी में सीनियर एनालिटिकल सहायक (औषधि)	१	९	५	५	२	२७ म्रैल, १९५४
१७	नैनीताल और कानपुर के राज- कीय डिप्टी मंहाविद्यालयों के लिए प्रिन्सिपल	२	१४	३	३	२	१८ मई, १९५४
१८	उत्तर प्रदेश के गजरा विकास विभाग में जूनियर केमिकल असिस्टेंट्स	२	१४	८	६	३	१९ मई, १९५४
१९	राजकीय प्रेतिजन इन्स्ट्रमेन्ट्स कारखाना, लखनऊ के लिए सहायक इंजी- नियर	१	१४	६	४	१	५ जुलाई, १९५४
२०	कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन, कानपुर के लिए सहायक इंजी- नियर (विद्युत्)	३	५	३	३	२	तदेव
२१	राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर के लिए यान्त्रिक इंजी- नियर	१	५	१	१	१	६ जुलाई, १९५४

प्राविधिक सलाहकार का
नाम, यदि कोई हो

विशेष विवरण

डॉ० बी० गोपाल, स्वास्थ्य
एवं चिकित्सा सेवाओं के
उप-संचालक, उत्तर प्रदेश

दो अभ्यर्थियों में से केवल एक
नियुक्त किया गया। हृषरा
अभ्यर्थी नहीं नियुक्त किया
गया, क्योंकि शासन ने समझा
कि उसमें उत्तम शैक्षिक योग्यता
नहीं थी। इससे आयोग सह-
मत हुआ और ज्ञानपुर वाला पद
पुर्णविज्ञापित किया गया, देखिये
मद संख्या १६२।

डा० आर० के० टंडन, संचालक,
गजा अनुसंधान-
शाला (शुगर केन रिसर्च
स्टेशन), शाहजहांपुर

आयोग द्वारा संस्तुत प्रथम व्यक्ति
की चरित्रतालिका में, जो बाद
में प्राप्त हुई थी, प्रतिकल
प्रविष्टियां पाई गईं। अतः
आयोग ने उसके पक्ष में की गई
अपनी संस्तुति लौटा ली।

श्री आर० डी० वर्मा, मुख्य
इंजीनियर, स्वायत्र शासन
इंजीनियरिंग विभाग, लखनऊ

श्री जी० ओ० शनान, रेजि-
डेन्ट इंजीनियर, कानपुर
विद्युत प्रदाय प्रशासन,
कानपुर

श्री बी० एस० त्यागी, प्रिसि-
पल, राजकीय प्राविधिक
संस्था, लखनऊ



परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवदन- पत्रों की संख्या	साक्षा— त्कार के लिये बुलाये गये अध्यार्थियों की संख्या		साक्षा— त्कार किये गये अध्य- र्थियों की संख्या		चुने गए अध्य- र्थियों की संख्या
				१	२	३	४	
२२	अधीनस्थ उद्योग सेवा में हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल संस्था, कानपुर के लिए प्राविधिक सहायक	४	२०	१७	१६	६	६	६
२३	हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल संस्था, कानपुर के लिए अनुसन्धान सहायक (रिसर्च असिस्टेंट) (सामान्य)	१						
२४	हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल संस्था, कानपुर के लिए प्रथम अनुसन्धान सहायक	१		११	७	६	५	
२५	हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल संस्था, कानपुर के लिए द्वितीय अनुसन्धान सहायक	१						
२६	हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल संस्था, कानपुर के लिए अनुसन्धान सहायक (तैल)	३*	१८	११	१०	५	५	
२७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा—सेवा में सहायक अध्यापिकायें (अंग्रेजी)	३	२४	१३	१३	३	३	
२८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा—सेवा में सहायक अध्यापिका (सामान्य विज्ञान)	१	१०	५	५	१	१	१
२९	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में सहायक ग्लास टेक्नोलोजिस्ट	१	३	१	१	१	१	१

(५१)

३

१९५४-५५—(क्रमांकः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

८ जुलाई, १९५४ डॉ० डी० आर० दिंगरा,
उद्योग (शिक्षा) के उप-
संचालक, उत्तर प्रदेश

९ जुलाई, १९५४ तदेव

तदेव तदेव इनमें दो ऐसे रिक्त स्थान सम्मिलित हैं जो बाइ में सूचित किये गए।

१२ जुलाई, १९५४ कुमारी के० डी० खन्ना, शिक्षा की सहायक-संचालिका (महिला) उत्तर प्रदेश, इलोहबाद

तदेव तदेव

तदेव डॉ० आत्मा राम, संचालक, केन्द्रीय ग्लास और सिरेमिक्स अनुसधान संस्था, कलकत्ता

३५०-१

१५० मि. २३

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती-

१९५४-५५—(क्रमांक:
३

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये श्रम्भ- थियों की संख्या	चुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या	
		१	२	३	४	५	६
३०	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापिकायें (गणित)	४	१२	८	७	४	
३१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापिकायें (भूगोल)	२	२५	८	७	२	तदेव
३२	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापिकायें (इतिहास)	२	३३	८	८	२	१४ जुलाई, १९५४
३३	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापिका (अनुभव एवं शिक्षा मनोविज्ञान)	१	४१	८	८	१	तदेव
३४	विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापिकायें (हिन्दी)	२	८९	१६	१४	२	१५ जुलाई, १९५४
३५	उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेन्ट कारखाना, मिर्जापुर के लिए मुख्य केमिस्ट	१	५	१	१	-	१६ जुलाई, १९५४

प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
९	१०

कुमारी के० डॉ० लक्ष्मा,
शिक्षा की सहायक संचालिका
(महिला), उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
तदेव

तदेव

तदेव

तदेव

- (१) श्री आर० एन० चतु-
वंदी, मुख्य इंजीनियर
और सहायक प्रबन्धक,
राजकीय सीमेंट कारखाना,
मिर्जापुर
- (२) डा० डॉ० आर० डिग्रा,
प्रिसिपल, हारकोर्ट बट्टलर
टेक्नोलॉजिकल संस्था, कान-
पुर (अस्वस्थता के कारण
उपस्थित न हो सके)

एकमात्र अभ्यर्थी, जिसका साक्षा-
त्कार किया गया था, उपयुक्त
नहीं पाया गया। शासन
के अनुरोध पर यह व्यक्ति
डिप्टी चीफ कोमिट्टी के पद पर
नियुक्ति के लिये संस्तुत किया
गया, लेकिन वह इस पद पर
भी नहीं नियुक्त किया गया
क्योंकि शासन एक ऐसे वास्तव
में योग्य व्यक्ति को चाहता था
जो अन्ततोगत्वा मुख्य कोमिट्टी
के पद पर भी नियुक्त किया जा
सके । अतः मुख्य कोमिट्टी
का यह पद ५००—५०—
१,२०० रु० के उच्चतर वेतन-
कम में पुनर्विज्ञापित किया गया ।

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

३
१९५४-५५—(क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाए गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किए गए अभ्य- र्थियों की संख्या	चुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
३६	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए राजनीति के प्राध्यापक	२	१३	८	६	२
३७	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए अंग्रेजी के सहायक प्राध्यापक	२	१४	५	४	२
३८	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक	२	२२	९	८	२
३९	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए भूगोल के सहायक प्राध्यापक	२	११	४	३	२
४०	ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिए वाणिज्य के प्राध्यापक	१	११	६	५	१
४१	ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिए वाणिज्य के सहायक प्राध्यापक	१	१९	११	१०	२*
४२	ज्ञानपुर और नैनीताल के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए संस्कृत के सहायक प्राध्यापक	२	२३	९	९	२
४३	ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिए रसायन शास्त्र के प्राध्यापक	१	१७	७	५	१

साक्षात्कार की तिथि

४

१६ जुलाई, १९५४

तदेव

१९ जुलाई, १९५४

तदेव

२० जुलाई, १९५४

तदेव

२१ जुलाई १९५४

२२ जुलाई, १९५४

प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
६	१०

*इसमें एक ऐसा अभ्यर्थी क्षमिलित हैं जो शासन के अनुरोध पर बोद में संस्तुत किया गया। वह भी नियुक्त किया गया।

डा० ए० सी० चटर्जी, डीन
आफ फैकल्टी आफ साइंस,
लखनऊ विश्वविद्यालय

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों को संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अन्यथियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अन्य- थियों की संख्या	चुने गए अन्य- थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
४४	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिए रसायन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक	४	३५	१६	१३	४
४५	नैनीताल के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिए इतिहास-राजनीति के सहायक प्राध्यापक	२	२८	७	६	२
४६	ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिये प्राणिविज्ञान के प्राध्यापक	१	१४	५	५	३*
४७	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये प्राणिविज्ञान के सहायक प्राध्यापक	२	२७	९	९	२
४८	ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालय के लिये वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक	१	१०	४	३	२
४९	नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये वनस्पति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक	३	२१	९	७	३

१९५४-५५—(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विज्ञेष विवरण
८	९	१०

२२ और २३ जुलाई,
१९५४ डॉ ए० श्री० च० जी०, डी०न
आफ फैकल्टी आफ साइंस,
लखनऊ विश्वविद्यालय

२६ जुलाई, १९५४

२७ जुलाई, १९५४ डॉ ए० श्री० आर० मेरहा, *मूलतः संस्तुत अभ्यर्थी ने नियुक्ति
प्राणिविज्ञान विभाग के लेना स्वीकार नहीं किया। दो
अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्व-
विद्यालय और अभ्यर्थी इस पद के लिये
शासन के अनुरोध पर बाद में
संस्तुत किये गये।

तदेव

तदेव

२८ जुलाई, १९५४ डॉ श्री रंजन, डी०न आफ
फैकल्टी आफ साइंस और
वनस्पति विज्ञान विभाग
के अध्यक्ष, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय पहले अभ्यर्थी के अत्यधिक
प्रारम्भिक वेतन मांगने पर
आयोग ने दूसरे अभ्यर्थी को
संस्तुत किया, जो नियुक्त
किया गया।

तदेव

तदेव

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भती-

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार के किये गये अभ्य- र्थियों को संख्या	चुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
५०	ज्ञानपुर और नैनीताल के राज- कीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये गणित के प्राध्यापक	२	१९	५	५	३
५१	नैनीताल और ज्ञानपुर के राज- कीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये गणित के सहायक प्राध्या- पक	३	३२	२०	१८	३
५२	ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा- विद्यालय के लिये भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक	१	१०	४	३*	१
५३	नैनीताल और ज्ञानपुर के राज- कीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये भौतिक विज्ञान के सहायक प्राध्यापक	३	१५	९	९	३
५४	ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा- विद्यालय के लिये हिन्दी के प्राध्यापक	१	१५	७	६	१
५५	नैनीताल और ज्ञानपुर के राज- कीय डिग्री महाविद्यालयों के लिये हिन्दी के सहायक प्राध्या- पक	२	४७	१४	१३	२
५६	राजकीय लेदर वर्किंग विद्या- लय, कानपुर के लिये प्रथम इन्स्ट्रक्टर लेदर वर्किंग	१	६	३	३	१

(५९)

३
१९५४-५५--(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

२९ जुलाई, १९५४

प्र०० ए० सी० बनर्जी, उप-
कुलपति, इलाहाबाद विश्व-
विद्यालय

*इनमें एक ऐसा अभ्यर्थी सम्मि-
लित है, जिसको बाद में प्रथम
अभ्यर्थी के स्थान पर संस्तुत
किया गया, क्योंकि ६ अग्रिम
वेतन वृद्धि की प्रार्थना अस्वी-
कृत हो जाने पर प्रथम अभ्यर्थी
ने पद को ग्रहण करना अस्वी-
कार कर दिया था ।

२९ और ३० जुलाई,
१९५४

तदेव

२ अगस्त, १९५४

ड०० पी० एन० शर्मा,
भौतिक विज्ञान विभाग के
प्राध्यापक एवं अध्यक्ष,
लखनऊ विश्वविद्यालय

*इनमें एक ऐसा अभ्यर्थी सम्मि-
लित है, जिस पर उसकी
अनुपस्थिति में विचार किया
गया ।

तदेव

तदेव

४ अगस्त, १९५४

...

४ और ५ अगस्त, १९५४

...

६ अगस्त, १९५४

श्री के० एल० म्पोर, प्रिसि-
पल; राजकीय लेदर
वर्किंग विद्यालय, कानपुर

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुन- गये अभ्य- र्थियों- की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

५३ राजकीय लेदर वर्किंग विद्यालय,
कानपुर के लिये द्वितीय लेदर
वर्किंग इन्स्ट्रूक्टर १ ४ १ १ १

५८ राजकीय केन्द्रीय वीर्विंग संस्था,
बनारस में द्वितीय सहायक
अध्यापक २* ६ २ १ १

५९ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (ज्येष्ठ
वेतन-क्रम) में राजकीय संस्कृत
महाविद्यालय, बनारस के
प्रिसिपल १ १४ ४ ३। १। १।

६० राजकीय केन्द्रीय वुड वर्किंग
संस्था, बरेली में मशीन टूल
इन्स्ट्रूक्टर १ ५ १ १ -

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, जो कोई थी	प्रिशेष विवरण
६ अगस्त, १९५४	श्री के० एल० म्योर, प्रिसिपल, राजकीय लेवर वर्किंग विद्यालय, कानपुर	*कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। लेफ्टिनेंट इन्स्ट्रूक्टर के पद के लिये साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों में से एक इस पद पर नियुक्ति के लिये संस्तुत किया गया।
तदेव	श्री जे० सी० सेठ, प्रिसिपल, राजकीय कन्नीय वीर्विंग संस्था, बनारस	*इनमें एक ऐसा रिक्त स्थान सम्मिलित है, जो बाद में सूचित किया गया।
६ अगस्त, १९५४ और २८ फरवरी, १९५५	प्रोफेसर के० ए० एस० एयर, साक्षात्कार किये गये तीनों लखनऊ विश्वविद्यालय	*कोई भी पूर्णरूपेण उपयुक्त नहीं था, किन्तु आयोग ने अनिच्छा से एक को संस्तुत किया। शासन ने उसको नियुक्त नहीं किया और आयोग से प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश निवासी एक अन्य अभ्यर्थी का साक्षात्कार करें। उसका साक्षात्कार किया गया और उसे केवल दो वर्ष की अवधि के लिये उस पद पर नियुक्ति के लिये संस्तुत किया गया।
६ अगस्त, १९५४	श्री पी० बी० कुरुप, प्रिसिपल, राजकीय कन्नीय वुड वर्किंग संस्था, बरली	साक्षात्कार किया गया अभ्यर्थी उपयुक्त पाया गया; किन्तु वह संस्तुत नहीं किया गया क्योंकि उसे अपने मूल विभाग से आवेदन-पत्र भेजने की आज्ञा नहीं मिली थी।

परिशिल
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रमं- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
		१	२	३	४	५
६१	उत्तर प्रदेश पश्चि- म अधिकारी सेवा प्रथम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के पश्चि-विज्ञान एवं पश्चि- पालन महाविद्यालय, मथुरा के लिये रोजनल स्टेरिलिटी अधिकारी			१	२०	८
६२	अधीनस्थ सहकारी सेवा के द्वितीय श्रूप में सहकारी निरीक्षक			४५	१,०२५	२१९
६३	फल उद्योग विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश			१	११	२
६४	सहायक लेखा अधिकारी, राज कीय प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेन्ट्स कारखाना, लखनऊ			१		
६५	उत्तर प्रदेश के अम आयुक्त के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी			१	७४	१३
६६	उत्तर प्रदेश सरकार के मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के लिये ज्येष्ठ प्रूफ रोडस			३	९	४
६७	लाइनस्ट्राक अंतस्थान केन्द्र, मथुरा के लिये पश्चि-विज्ञान जांच अधिकारी			१	६	३

१९५४-५५—(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

७ अगस्त, १९५४ डॉ आर० एल० कौरा,
पशु पालन के संचालक,
उत्तर प्रदेश

९, ११, १२, १३, १६,
१७, १८, १९, २०, २३,
२४, २५, २६ और २७
अगस्त, १९५४

२४ अगस्त, १९५४ डॉ एफ० बी० सी० बेवर,
उत्तर प्रदेश सरकार के
फ्रूट टेक्नोलॉजिस्ट

३० अगस्त, १९५४

३१ अगस्त, १९५४ श्री एम० जी० शोभा, अधीक्षक,
मुद्रण एवं लेखन
सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद

१ सितम्बर, १९५४ श्री एच० बी० शाही, पशु-
पालन के आयुक्त, उत्तर
प्रदेश

क्रम— संख्या	लेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये जाने शर्यरियों की संख्या	चुने गये अध्ययियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
६८	सैनिक विकास एवं सामाजिक सेवा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कवार्डर मास्टर	१	८	४	३	१
६९	राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ में थोरेटिकल सैके-निकास में लेक्चरर	१	२	२	२	१
७०	उत्तर प्रदेश पश्चिम विज्ञान एवं पश्चात्तान यात्रा महाविद्यालय, मथुरा के लिये डिमांस्ट्रेटर	६	८	८	८	६
७१	लाइब्ररीक अनुसन्धान केन्द्र, मयुरा के डिजोन एवं पेस्ट उप शाखा में पश्चात्तान चिकित्सक	१	२	२	२	१
७२	श्रांसी और गोरखपुर की राजकीय प्राविधिक संस्थाओं में ड्राइंग के अध्यापक	३		६	२	१
७३	लखनऊ के राजकीय प्राविधिक संस्था में प्रथम इन्स्ट्रक्टर, मशीन निर्माण एवं ड्राइंग	१				
७४	लखनऊ के स्टेट स्वायत्त कंजवेशन खेत के लिये खेत	१	७	२	१	१

१९५४-५५-- (क्रमांकः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	निशेष दिवरण
८	९	१०
१ सितम्बर, १९५४	श्री पी० एन० माथुर, सैनिक प्रशिक्षण एवं सामा- जिक सेवा के संचालक, उत्तर प्रदेश	
२ सितम्बर, १९५४	श्री बी० एस० त्यागी, प्रिसिपल, राजकीय प्रावि- धिक संस्था, लखनऊ	
तदेव	श्री पी० जी० पान्डेय, प्रिसिपल, उत्तर प्रदेश पशु- विज्ञान एवं पशु-पालन महाविद्यालय, सथुरा	
तदेव	तदेव	
६ सितम्बर, १९५४	श्री बी० एस० त्यागी, प्रिसिपल, राजकीय प्रावि- धिक संस्था, लखनऊ	*वह राजकीय प्राविधिक संस्था, गोरखपुर में ड्राइंग के अध्यापक के एक पद के लिये संस्तुत किया गया था और शैष पदों के लिये कोई भी अन्यथर्यी संस्तुत नहीं किया जा सका। ये पद आयोग के सुझावां- नुसार संशोधित अनुभव क साथ दिसम्बर, १९५४ में पुनः विज्ञापित किये गये थे, देखिये कम संख्या १८७ और १८८।
तदेव	डा० ए० डी० खां, स्वायल कांजदेशन के उप संचालक, उत्तर प्रदेश	

संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुनेगये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
७५	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में पैथोलोजी (रोग निदान) के लेक्चरर	१	५	५	४	२
७६	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा द्वितीय श्रेणी में शुगरकेन रिसर्च स्टेशन, शाहजहांपुर के लिये केन एप्रोनोमिस्ट	१	२०	८	८*	२
७७	यन्त्रीकृत राजकीय खेत, उत्तर प्रदेश के उप संचालक के प्रधान कार्यालय के लिये लेखा अधिकारी	१	११	५	५	२
७८	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सलेखिया निरीक्षक	६०	१६६	१२५	१००	७५*
७९	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में सीनियर एन्टोमालोजिकल असिस्टेन्ट	१	२	३०	२०	१७
८०	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में गन्ना सुरक्षा निरीक्षक	२		३७	३७	३
८१	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक गन्ना विकास अधिकारी	७	११५	३७	३७	७

३
१९५४-५५--(क्रमांक)

प्राक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	६	१०

७ सितम्बर, १९५४ डा० जे० पी० गुप्त, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य सेवाओं के
अतिरिक्त संचालक, उत्तर
प्रदेश

७ सितम्बर, १९५४ डा० बी० के० मुकर्जी, उत्तर
प्रदेश के कृषि के अतिरिक्त
संचालक और श्री आर०
डी० बोस, सचिव, भार-
तीय केन्द्रीय गन्ना समिति,
नई दिल्ली

८ सितम्बर, १९५४

१३, १४, १५, १६, १७,
२० सितम्बर और २०
अक्टूबर, १९५४

*इनमें एक ऐसा सम्मिलित है
जिसपर उस की अनुपस्थिति
में विचार किया गया।

*इनमें से २८ के लिये यह संस्तुति
की गई थी कि नियुक्ति के
पर्व ही उनको निर्धारित
शैक्षिक (प्राविधिक) योग्यता
से मुक्ति दी जाय।

२१, २२, २३ और २४ श्री पी० पी० चन्द्र, गन्ना
उपायुक्त, उत्तर प्रदेश

परिविष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित विवरण संख्याओं की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अध्ययियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अध्ययियों की संख्या	चुने गये अध्यय- यियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

८२	चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पौलीटेक्निक, मेरठ दौराला के लिये प्रिसिपल	१	९	६	६	१
८३	चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पौलीटेक्निक, मेरठ दौराला के लिये रासायनिक इंजीनियरिंग एवं इंजीनियरिंग उप विभाग के अध्यक्ष	१	७	३	१*	—
८४	चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पौलीटेक्निक, मेरठ दौराला के लिये कारखाना के अधीक्षक	१	४	२	२	१
८५	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में उद्योग (शिक्षा) के सहायक सचालक	१	२२	७	६	१
८६	राजकीय कैर्पेंटरी (कारखाना), कानपुर के लिये जूनियर इन्स्ट्रक्टर	१	४	१	१	—
ल संरक्षण एवं कौर्सिंग संहित प्रशिक्षण संस्था, नैनीताल के लिये मुख्य केमिस्ट						
८	उत्तर प्रदेश के फलोपयोगिता अधिकार के अधीन प्रबन्धक राजकीय फल संरक्षण एवं कौर्सिंग संहित प्रशिक्षण संस्था, रामगढ़, जिला नैनीताल	१	३	२	२	१

३
१९५४-५५-- (क्रमांक)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

- २७ सितम्बर, १९५४ डॉ जी० त्रिपाठी, प्रिसिपल, टेक्नोलॉजी का महाविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय *साक्षात्कार किया गया अभ्यर्थी इस पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया और आयोग ने अपेक्षित मूल योग्यताओं में परिवर्तन करने के लिये सुझाव दिया।
- २८ सितम्बर, १९५४ श्री श्रीपत, कुटीरोद्योग के संचालक, उत्तर प्रदेश
- तदेव श्री आर० के० बस, स्थाना-पञ्च मुख्य यान्त्रिकी इन्जी-नियर, राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर साक्षात्कार किया गया अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया और आयोग ने भविष्य में विज्ञापन के लिये अहंताओं में कुछ संशोधन करने और २५० रु० तक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन के निवेश के लिये सुझाव दिया। यह पद सितम्बर, १९५५ में युनिविज्ञापित किया गया।
- २९ सितम्बर, १९५४ श्री बी० साने, फलोपयोगिता के संचालक, उत्तर प्रदेश
- तदेव तदेव

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	कुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

८९ अधीनस्थ उद्योग सेवा में उद्योग २ ७८ १४ १०* ४

निरीक्षक

९० ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महा-
विद्यालय के लिये अंग्रेजी के
प्राध्यापक १ ५ ४ ४ १

९१ उत्तर प्रदेश के खादी विकास
योजना में उत्पादन के अधीक्षक १ ८ ४ ४ १

९२ उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त के
कार्यालय में ट्रेड यूनियन्स के
सहायक रजिस्ट्रार १ ४९ ७ ७ १

९३ सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में
ओवरसियर ३६५* ५८५ ४८९ ४४२ ४२४†

४ सरोजिनी नायडू चिकित्सा महा-
विद्यालय, आगरा के लिए औषधि
(क्लीनिकल) में रोडर १ ४ ३ ३ १

३

१९५४-५५—(क्रमांकः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राचिनिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	६	१०
३० सितम्बर, १९५४	श्री एम० समीउद्दीन, कुटीरो-द्योग के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	*इनके अतिरिक्त एक और अभ्यर्थी उपस्थित हुआ, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं किया गया, क्योंकि उसका आवेदन-पत्र उचित प्रणाली द्वारा नहीं प्राप्त हुआ था।
४ अक्टूबर, १९५४
४ अक्टूबर, १९५४]	श्री जे० सी० सेठ, प्रिसिपल, राजकीय कोन्व्रीय वीर्विंग संस्था, वाराणसी	...
९ अक्टूबर, १९५४	श्री ओ० एन० मिश्र, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	...
१५, १९ से २२ अक्टूबर, १ से ५, ८, ११, १२, १५ से १९, २२ से २६, २९ नवम्बर, १८ दिसंबर, १९५४ और २५ जनवरी, १९५५	श्री बी० एस० विष्ट, सुप-रिटेंडिंग इंजीनियर, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	*प्रारम्भ में १८३ पद विज्ञापित किये गये थे, लेकिन बाद में रिक्त स्थानों की कुल संख्या ३६५ सूचित की गई। इनमें ४७ ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित हैं, जो परीक्षण (द्रायल) के लिये संस्तुत किये गये थे।
६ नवम्बर, १९५४	डा० जे० पी० गुप्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	...

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त अवैदन-पत्रों की संख्या	साक्षा-त्कार के लिये बलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा-त्कार के लिये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

९५ सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश इंजीनियरों की सेवा (कनिष्ठ वेतन) में सहायक इंजीनियर ६०* ६८ ४७ ३९ ३३

९६ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन) में उत्तर प्रदेश के संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक १ ५० १३ १३ १

९७ उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, प्रथम श्रेणी में श्रिनिसपल, राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ १ ६ ४ ४ १

९८ अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) में जिला मनोवैज्ञानिक केन्द्रों के लिए जिला मनोवैज्ञानिक ५ ५२ १४ १३ ६

९९ राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महा-विद्यालय, लखनऊ के लिए अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) में (चार्चाएवं बुनाई) के सहायक अध्यापक १ ३ ३ २ १

३
१९५४-५५— (क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का दाय, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०
३० नवम्बर, १, २ और १८ दिसम्बर, १९५४	श्री ए० सी० मित्रा, भुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	*इनमें ३० ऐसे दिन स्थान सम्बिलित हैं, जो बाद में सूचित किये गये थे। अध्योग के बाल ३३ अध्यय्थियों को ही संस्तुत कर सका। शेष २७ पद विज्ञापित किये गए, लेकिन उनके लिये चुनाव आलोच्य बर्ख के अन्तर्गत न किया जा सका।
३ दिसम्बर, १९५४	...	शासन ने आधोग की संस्तुति को नहीं स्वीकार किया और संशोधित योग्यताओं के साथ पद को पुनर्विज्ञापित करने का अनुरोध किया।
६ दिसम्बर, १९५४	श्री एस० एस० अरोड़ा, सामान्य उप-प्रबंधक, कान- पुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन	...
७ दिसम्बर, १९५४	श्री बी० एन० झा, शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश	...
९ दिसम्बर, १९५४

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या		साक्षा- त्कार किये गये अभ्य- र्थियों की संख्या	नवे गये अभ्य- र्थियों की संख्या
				१	२		
१००	हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल संस्था, कानपुर के लिए फिजिकल एवं उच्च पौलीमर रसायन शास्त्र में लेक्चरर	१	२	१	२	२	१
१०१	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन) (महिला शाखा) में बालिकाओं के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए महिला प्रिसिपल	१	१३४	५८	५५	११	
१०२	कुटीरोद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में सहायक वित्तीय नियन्त्रक	१	२०	७	७	२	
१०३	राजकीय व्यावसायिक संस्था, इलाहाबाद के लिए अधिकार्मिक (फोरमैन)	१	२	१	-	-	-
१०४	पशु अनुसंधान केन्द्र, उत्तर प्रदेश, मथुरा के लिए जूनियर रिसर्च असिस्टेंट	१	४	४	३	१	

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०
१ दिसम्बर, १९५४	डॉ डी० आर० ढिगरा, उद्योग (शिक्षा) के उप- सचालक, उत्तर प्रदेश	
१३, १४ और १५ दिसम्बर, १९५४	...	इन अभ्यर्थियों में से १५ का, जिन्होंने बाद में प्रसारित शिद्धि-पत्र के उत्तर में आवेदन-पत्र भेजे थे, २८ और २९ अप्रैल और १२ मई, सन् १९५५ को साक्षात्कार किया गया। तदनन्तर आयोग की संस्तुतियां शाक्षन के पास भेजी गईं।
१६ दिसम्बर, १९५४	...	दूसरा संस्तुत अभ्यर्थी भी उत्तर पत्र पर जितपर एक अनुभुमोदित अभ्यर्थी काल कर रहा था, नियुक्त किया गया।
तदैव	श्री गिरजा शंकर श्रीबास्तव, प्रिन्सिपल, राजकीय प्राविधिक संस्था, गोरखपुर	साक्षात्कारर्थ बुलाया गया अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ और कमीशन ने कुटीरोद्धेश संचालक को सुनाव दिया कि इस पद के लिए अपेक्षित अनुभव कम कर दिया जाए और वेतनकम बढ़ा दिया जाए।
१७ दिसम्बर, १९५४	श्री वी० जी० पांडे, प्रिन्सिपल, उत्तर प्रदेश पश्च-विज्ञान एवं पश्च-पालन के अधिविद्यालय, सथुरा	...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अन्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अन्य- र्थियों की संख्या	चुने गए अन्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१०५	यन्त्रीकृत राजकीय खेत, उत्तर प्रदेश के लिए फार्म असिस्टेंट	१	३	२	१	१
१०६	रामपुर की राजकीय महिलाओं की घरेलू एवं व्यावसायिक संस्था के लिए प्रधान अध्यापिका	१	५	३	२	१
१०७	उत्तर प्रदेश प्रान्तीय शुश्रूषिका सेवा में मैट्रेन्स	४	१८	१४	१३	८
१०८	मत्स्य पालन विभाग, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विक्रय अधिकारी	३*	१३	९	१०	५।
१०९	कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिए अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में पशु-विज्ञान के लेक्चरर	१	५	५	४	२।
११०	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में डेरीइंग के लेक्चरर	१	८	७	५	१।

१९५४-५५—(क्रमसः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०
१७ दिसम्बर, १९५४	डा० ए० डी० खां, उप-संचालक, यन्त्रीकृत राजकीय खेत, उत्तर प्रदेश	...
२० दिसम्बर, १९५४	श्री ए० समौउद्दीन, उद्योग के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	...
२३ दिसम्बर, १९५४	कुमारी एल० विलियम्स, अधीक्षिका, सूशूषा सेवायें, उत्तर प्रदेश	...
२४ दिसम्बर, १९५४	डा० आर० एल० कौरा, पशुपालन के संचालक, उत्तर प्रदेश	*आरम्भ में दो पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन प्राविधिक सलाहकार ने साक्षात्कार के सभय यह सुनित किया कि एक और रिक्त स्थान बढ़ गया है।
तदेव	डा० बी० एल० सेठी, कृषि के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	*एक ऐसा सम्मिलित है, जिसका साक्षात्कार शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थिति में किया गया था।
३ जनवरी, १९५५	तदैव	...

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन— पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गये अभ्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

१११	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिए डेरी असिस्टेन्ट	१	१०	८	४	१
११२	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में कृषि-विज्ञान के लेक्चरर	१	१४	७	५	१
११३	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिए अनुसन्धान सहायक	१	११	७	६	२
११४	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में फ्रूट ब्रीडर कम सीस्टमैटिस्ट	१	१९	९	८	१
११५	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में हार्टीकल्चरल निरीक्षक	३	३९	२२	१५	५
११६	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में कृषि निरीक्षक	५	५०	२०	१४	८
११७	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में सीनियर हार्टीकल्चरल निरीक्षक	१	३८	९	८	२
११८	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में सहायक कैमिस्ट्रस	२	३९	१५	१०	४

१९५४-५५--(क्रमांकः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	६	१०
३ जनवरी, १९५५	डॉ बी० एल० सेठी, कृषि के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	..
४ जनवरी, १९५५	तदेव	..
तदेव	तदेव	..
५ और ७ जनवरी, १९५५	डॉ राम सूरत सिंह, प्रिन्सिपल, राजकीय कृषि महाविद्यालय, कानपुर	..
५ और ६ जनवरी, १९५५	तदेव	..
१ और १० जनवरी, १९५५	तदेव	..
० जनवरी, १९५५	तदेव	..
१ जनवरी, १९५५	डॉ बी० एल० सेठी, कृषि के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	..

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या		साक्षा- त्कार की किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
				३	४		
१	२	३	४	५	६	७	८
११९	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में जूनियर बोटेनिकल असिस्टेन्ट्स	३	२७	९	६	४	
१२०	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में जूनियर कृषि-विज्ञान सहायक	१	१५	८	६	२	
१२१	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में जूनियर प्लान्ट प्रोटेक्शन सहायक (एन्टोमोलाजी)	२	१८	६	४	३	
१२२	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में जूनियर प्लान्ट प्रोटेक्शन असिस्टेन्ट (माईक्रोलाजी)	२	१२	५	३	२	
१२३	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में ओपर फिजियोलॉजिस्ट के अधीन जूनियर रिसर्च असिस्टेन्ट्स	२	१७	७	३	३	
१२४	अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रूप में जूनियर स्वायल असिस्टेन्ट्स	३	३१	१३	१०	६	
१२५	उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा अधिकारी	१८	३६	३५	२२	२२	

१९५४-५५-- (ऋग्मशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	६	१०

११ जनवरी, १९५५ डा० बी० एल० सेठी, कृषि के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश

१२ जनवरी, १९५५ तदेव

तदेव तदेव

१३ जनवरी, १९५५ तदेव

तदेव तदेव

१० और २१ जनवरी, १९५५ डा० जे० पी० गुप्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम-सं०	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्य- थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्य- थियों की संख्या	चुने गये अभ्य- थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

१२६ उत्तर प्रदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग शाखा, इलाहाबाद डिवीजन में विद्युत के ओवरसियर

१२७ उत्तर प्रदेश के विद्युत नियोक्तक के संगठन में विद्युत ओवरसियर

१२८ उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लास टेक्नोलॉजिस्ट के अधीन लेबो-रेटरी असिस्टेंट्स

१२९ अधीनस्थ पशु सेवा में पशु-सहायक चिकित्सक

१३० उत्तर प्रदेश के पब्लिक एनालिस्ट की शाखा में जूनियर एनालिटिकल सहायक (खात्र)

१९५४-५५—(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

२२ जनवरी, १९५५ श्री लक्ष्मण स्वरूप, सुर्पर्टर्टेंडिंग
इंजीनियर सार्वजनिक नियंत्रण
विभाग, इलाहाबाद

..

तदेव श्री एम० एल० कश्यप, उत्तर
प्रदेश सरकार के विद्युत
नियंत्रक

..

तदेव *श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग
के अतिरिक्त संचालक,
उत्तर प्रदेश

*प्राविधिक सलाहकार उपस्थित
नहीं हो सके, क्योंकि गाड़ी
छूट गई।

२४ जनवरी, १९५५ श्री बी० एन० एस० चौधरी,
पशु-यालन के उप-संचालक,
उत्तर प्रदेश

..

२५ जनवरी, १९५५ डा० जे० पी० गुप्त, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य सेवाओं के
अतिरिक्त संचालक, उत्तर
प्रदेश

*उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक के
अनुरोध करने पर इनमें से २
अन्यथीं बाद में रक्षित सूची में
संस्तुत किए गए।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए ^{बुलाये गये} अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थि- यों की संख्या	चुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१३१	लाइन इन्स्पेक्टर्स (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ विद्युत् एवं यान्त्रिक इंजीनियरिंग सेवा)	४५	४६	२९	२७	२१*
१३२	स्टेशन सुपरवाइजर (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ विद्युत् एवं यान्त्रिक इंजीनियरिंग सेवा)	८	६	२	२	७
१३३	शिफ्ट सुपरवाइजर (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ विद्युत् एवं यान्त्रिक इंजीनियरिंग सेवा)	१	६	३	३	२
१३४	सीनियर मोटर टेस्टर्स और रिपे-यर्स (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ विद्युत् एवं यान्त्रिक इंजीनियरिंग सेवा)	३	३	२	२	२
१३५	सीनियर एलेक्ट्रिशियन्स (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ विद्युत् एवं यान्त्रिक इंजीनियरिंग सेवा)	१५	९	३	३	३

१९४४-५५—(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

१ और २ फरवरी, १९५५ श्री जी० एस० माथुर, सुपर्ट-
टेंडर इंजीनियर, सारदा
हाइड्रोल सर्किल, लखनऊ *इनमें ७ ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति के लिए संस्तुत किए गए कि वे पहले अपना प्रशिक्षण पूरा कर लें।

... ...
इनमें वे भी सम्मिलित हैं, जो लाइन इन्सपेक्टरों के पदों के लिए नहीं चुने गए थे, परन्तु स्टेशन सुपरवाइजर के लिए संस्तुत किए गए थे। इन ७ में से ३ अभ्यर्थी केवल प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् ही नियुक्त किये जाने के लिए संस्तुत किए गए।

...

...

...

...

...

...

...

...

...

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार के किये गये अभ्य- थियों की संख्या	चुने गए अभ्य- थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

१३६	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश इंजीनियरों की सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में, सहायक इंजीनियर	८	३७	२४	२०	१६*
१३७	उत्तर प्रदेश सरकार के इंडोजिनेस चिकित्सालयों के लिए वैद्य	३०	२१४	१०३	८८	४५
१३८	उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (मातृका एवं शिशु-कल्याण) की महिला सहायिका	१	३	३	२	१
१३९	राजकीय प्राविधिक संस्था, कानपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के वस्त्रोद्योग विशेषज्ञ के प्राविधिक सहायक	१	५	३	१	१
१४०	नियोजन अधिकारी, भान्डार क्रय उप-विभाग, कुटीरोद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश	१	२०	५	५	१
१४१	प्रिन्सिपल, राजकीय कार्यपाली विद्यालय, इलाहाबाद	१	९	३	३	१
१४२	ऊनी वस्त्रोद्योग में डिजाइनर	१	३	२	२	१
१४३	उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में ड्रग्ज निरीक्षक	१	२८	२०	१७	१२

३
१९५४-५५--(कमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
५	९	१०
४ और ५ फरवरी, १९५५	श्री एम० एस० विष्ट, मुख्य इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	*शासन के अनुरोध पर इनमें से ४ बाद में संस्तुत किए गए।
७, ८, ९, १० और ११ फरवरी, १९५५	श्री बी० एन० द्विवेदी, रीडर, आयुर्वेद, सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ	...
१४ फरवरी, १९५५	डॉ बी० डो० वाधवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उप-संचालक, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेशीय अधिवास प्राप्त कर लेने के प्रतिबन्ध सहित नियुक्ति के लिये संस्तुति की गई।
तदेव	श्री जे० सी० सेठ, प्रिन्सिपल, राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था, वाराणसी	तदेव
१५ फरवरी, १९५५	श्री श्रीपत, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, कानपुर	...
तदेव	तदेव	..
तदेव	तदेव	..
१६ और १७ फरवरी, १९५५	डॉ जे० पी० गुप्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	..

क्रम संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	शाक्षा-त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	शाक्षा-त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	बुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१४४	पर्वतीय ऊन योजना, अल्मोड़ा के अधीन व्यावसायिक प्रबन्धक	१	१९	९	८	१
१४५	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन क्रम) में राजकीय रा डिग्री महाविद्यालय के लिए प्रिन्सिपल	१	१८	७	७	२
१४६	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली-टेक्निक, मेरठ के लिए रासायनिक इंजीनियरिंग में लेक्चरर	१	४	३	२	१
१४७	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली-टेक्निक, मेरठ के लिए मशीन इंजिंग में लेक्चरर	१	७	३	३	१
१४८	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली-टेक्निक मेरठ के लिए भौतिक विज्ञान एवं गणित के लेक्चरर	१	१३	७	५	१
१४९	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली-टेक्निक, मेरठ के लिए मोल्डर	१	२	१	१	१
१५०	मिर्जापुर के क्वालिटी मार्किंग योजना (ऊनी दरिया) में अधीक्षक	१	११	४	४	१
१५१	मिर्जापुर के क्वालिटी मार्किंग योजना (ऊनी दरिया) में परीक्षक	१	३	१	१	१

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

१८ फरवरी, १९५५ ... श्री एल० सी० गुप्त, उद्योग
(वाणिज्य) के संयुक्त
संचालक, उत्तर प्रदेश ...

२१ फरवरी, १९५५ ...

२२ फरवरी, १९५५ डॉ छृष्टांकर, उद्योग
(शिक्षा) के सहायक
संचालक, उत्तर प्रदेश आयोग ने अभ्यर्थी को इस शर्त पर
संस्तुत किया कि या तो उसके
द्वारा जादवपुर से प्राप्त की गई
प्राविधिक योग्यता को शासन
मान्यता प्रदान करे या वह
निर्धारित प्राविधिक योग्यता से
मुक्त किया जाय।

तदेव तदेव ...

तदेव तदेव ...

तदेव तदेव ...

तदेव श्री एम० समीउद्दीन, उद्योग
के अतिरिक्त संचालक, उत्तर
प्रदेश ...

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती-

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार किए गए अभ्य- र्थियों की संख्या	चुने गये अभ्य- र्थियों की संख्या
			१	२	३	४
१५२	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिए रसायन शास्त्र एवं औद्योगिक रसायन शास्त्र में लेक्चरर।	१	९	५	५	१
१५३	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिए औद्योगिक रसायन शास्त्र के लेक्चरर	१	८	६	६	१
१५४	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिए एलेक्ट्रिकल वायरिंग और आर्मेंचर बाइंडिंग के शिक्षक।	१	३	१	१	-
१५५	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिए बढ़ई	१	६	४	२	१
१५६	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिए एलेक्ट्रो- एलिंग का शिक्षक	१	२	२	२	१
१५७	ओवरसियर (असैनिक) स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश	४०	९	४	४	४
१५८	ओवरसियर (विद्युत एवं यान्त्रिक) स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश	२	३	२	२	२

१९५४-५५--(क्रमांकः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राचीनिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

१३ फरवरी, १९५५ ... डॉ० कृपा शंकर, उद्योग
(शिक्षा) के सहायक संचालक, उत्तर प्रदेश

तदेव तदेव ...

तदेव तदेव साक्षात्कार किया गया एकमात्र
अस्थर्थी नियुक्ति के लिये अनु-
पयुक्त पाया गया

तदेव तदेव ...

तदेव तदेव ...

१४ फरवरी, १९५५ श्री आर० डौ० वर्मा, मुख्य
इंजीनियर, स्वायत्त शासन
इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर
प्रदेश, लखनऊ

परिशिल्प
चुनाव द्वारा भर्ती-

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिष्ट स्थानों को संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- टकार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- टकार किये गये अभ्यर्थि- यों की संख्या	बुल- गए अभ्य- र्थियों की संख्या	
			१	२	३	४	५
१५९	सहायक इन्जीनियर (असैनिक) स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश	३५*	२८	२४	२२	१४†	
१६०	सहायक इन्जीनियर (यानिक), स्वायत्त शासन इन्जीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश	११६	७	३	२	१	
१६१	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, प्रथम श्रणी में कृषि इन्जीनियर	३	३२	२१	१९	६	
१६२	काशी नरेश राजकीय डिग्री महा- विद्यालय, ज्ञानपुर में प्रिंसिपल	१	१२	७	७	२	
१६३	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये मास्टर आटोमोबाइल	१	४	२	२	१	
१६४	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये मास्टर जनरल मेकेनिक्स	१	१	१	१	१	
१६५	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह, राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये प्राविं- विह सहायक रक्षायन शास्त्र एवं औद्योगिक रक्षायन।	१	४	३	२	१	

प्राविधिक सलम्हकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण	
८	९	१०
२४ और २५ फरवरी, १९५५	श्री आर० डॉ० बर्मा, मुख्य इन्जीनियर, स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	*प्रारम्भ में १ रिक्त स्थान विज्ञापित किये गये थे। इनमें से ३ ने पूर्ण प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया था किन्तु योग्य अभ्यर्थियों के अभाव भू संस्तुत किये गये। प्रारम्भ में केवल एक रिक्त स्थान विज्ञापित किया गया था।
तदेव	तदेव	
२८ फरवरी और १ मार्च, १९५५	श्री बी० पी० सक्सेना अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश	
२ मार्च, १९५५	...	आयोग द्वारा संस्तुत प्रथम अभ्यर्थी ने अत्यधिक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन मांगा, अतः आयोग ने शासन के अनुरोध पर योग्यताक्रम में द्वितीय अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये संस्तुत किया।
३ मा. १९५५	डॉ० डॉ० आर० छिंगरा, उद्योग (शिक्षा) के उपसंचालक, उत्तर प्रदेश	
तदेव	तदेव	
तदेव	तदेव	



११८४

चुनाव द्वारा भर्ती--

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या		साक्षा- त्कार किये गये अभ्य- र्थियों की संख्या	चुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या
				३	४		
१	२	३	४	५	६	७	८
१६६	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिये प्रावि- धिक सहायक (औद्योगिक रसायन शास्त्र)	१	२	२	२	१	१
१६७	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिये प्रावि- धिक सहायक (भौतिक विज्ञान)	१	१	१	१	१	१
१६८	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिये वर्कशाप चार्जमैन	३	१	१	१	१	१
१६९	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टैक्निक, मेरठ के लिये एले- क्ट्रोशियन	१	१	१	१	१	१
१७०	विधायक विभाग, उत्तर प्रदेश में विशेष कार्याधिकारी	१	२९	८	८	८	१

१९४८-५५—(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	६	१०
३ मार्च, १९५५	डॉ. डौ० आर० दिग्रा, उच्चोग (शिक्षा) के उपसंचालक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	तदेव	...
तदेव	तदेव	...
तदेव	तदेव	..
४ मार्च, १९५५	...	यह पद पहले अप्रैल, १९५४ में विज्ञापित किया गया था और उस विज्ञापन के फलस्वरूप १८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे; किन्तु यह पद नवम्बर, १९५४ में पुनर्विज्ञापित किया गया, जिसमें उन सरकारी कर्मचारियों को भी, जिनका सेवाकाल ३ वर्ष से अधिक हो गया हो, वय बन्धन से मुक्त करने का निवेश किया गया।

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों को संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार गए	साक्षा- त्कार की संख्या	बुले गए
		१	२	३	४	५	६
१७१	बीर्डिंग टीचर, राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर	१	१	१	१	१	१
१७२	स्पर्मिनग टीचर, राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर	१	१	१	१	१	१
१७३	डाइंग एवं लीचिंग टीचर, राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर	१	५	५	५	५	१
१७४	आध्येत्सोलोजी में लेक्चरर, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	१	१०	७	७*	७	२
१७५	कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर में सहायक इन्जीनियर	१	३	३	२	१	
१७६	उत्तर प्रदेश पशुपालन सेवा (जूनियर स्कूल) में उत्तर प्रदेश पशुविज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा के लिये एनीमल जेनेटिक्स एवं ब्रीडिंग के सहायक प्राध्यापक	१	१०	९	७	२	
१७७	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन जूनियर वेज इन्सपेक्टर	३	७२	१९	१४	६	
१७८	ज्योतिष के सहायक प्राध्यापक, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, बनारस	१	२३	१०	१०		

३
१९५४-५५—(क्रमांकः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०

४ मार्च, १९५५ श्री जे० सी० सेठ, प्रिसिपल,
राजकीय केन्द्रीय वीर्यग
संस्था, बनारस

...

११ मार्च, १९५५ डा० जे० पी० गुप्त, अति- *इनमें एक ऐसा सम्मिलित है
रिक्त संचालक, चिकित्सा जिस पर उसकी अनुपस्थिति
एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर में विचार किया गया।
प्रदेश

१४ मार्च, १९५५ श्री के० सी० गुप्त, जेनरल
मैनेजर, कानपुर विद्युत्
प्रदाय प्रशासन, कानपुर

...

तदेव ... डा० आर० एल० कौरा,
पश्च पालन के संचालक,
उत्तर प्रदेश

...

१५ मार्च, १९५५ श्री जे० एन० तिवारी,
उप-शमायुक्त, उत्तर प्रदेश

...

१६ मार्च, १९५५ डा० गोरख प्रसाद, रीडर,
प्रयाग विश्वविद्यालय

...

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार की संख्या	किये गये अभ्यर्थियों की संख्या
		१	२	३	४	५

१७९ राजकीय बड़ वर्किंग संस्था,
बरेली के लिये बड़ वर्किंग
इन्स्ट्रुक्टर १

१८० राजकीय केन्द्रीय बड़ वर्किंग
संस्था, बरेली के लिये कैब्रिनेट
इन्स्ट्रुक्टर १

१८१ उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय
श्रेणी में पंडित जनार्दन जोशी
राजकीय पोलीटेक्निक, अल्मोड़ा
के लिये अधीक्षक १

१८२ उत्तर प्रदेश जार्बर्जनिक निर्माण
विभाग में विद्युत् एवं यान्त्रिक
अधीक्षक २*

१८३ गज्जा विकास विभाग, उत्तर
प्रदेश में फोल्ड ऑफिसर १ १२ ७ ६ १

१८४ पश्च प्रबन्ध में लेक्चरर, उत्तर
प्रदेश पश्च विज्ञान एवं पश्चपालन
महाविद्यालय, मथुरा १ १४ ७ ६ १

१८५ चौधरी मुस्तार सिंह राजकीय
पोलीटेक्निक, मेरठ दौराला
के लिये रासायनिक इच्छोनिय-
रिंग एवं इंजीनियरिंग उप-
विभाग के अध्यक्ष १ ४ ३ ३ १

१८६ श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में
जनरलिस्टिक अनुभव प्राप्त १ १७ ६ ५ १

३
१९५४-५५—(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०
१६ मार्च, १९५५	श्री पी० वी० कुष्प, प्रिसिपल, राजकीय बुड वर्किंग संस्था, बरेली	इनमें से एक अभ्यर्थी बरेली के के लिये कैबिनेट इन्सट्रूक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। दूसरा अभ्यर्थी जब हेडमास्टर पोलीटेक्निक, श्रीनगर के पद से विमुक्त हो जायगा तब इलाहाबाद वाले पद पर नियुक्त किया जायगा।
१७ मार्च, १९५५	डा० डी० आर० ढिगरा, उप-संचालक, उद्योग (शिक्षा), उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री लक्ष्मण स्वरूप, सुपर्यार- टेन्डिंग इन्जीनियर, सार्व- जनिक निर्माण विभाग, इलाहाबाद	*प्रारम्भ में केवल एक पद विज्ञापित किया गया।
१८ मार्च, १९५५	डा० क० किशन, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्टैटिस्टीशियन	..
२१ मार्च, १९५५	डा० आर० एल० कौरा, पशु पालन के संचालक, उत्तर प्रदेश	..
तदेव	श्री एम०समीउद्दीन, उद्योग के अतिरिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश	..
२२ मार्च, १९५५	श्री ओ० एन० मिश्रा, श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	..

परिवेश
चुनाव द्वारा भर्ती-

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए ^{बुलाये गये} ^{अभ्यर्थियों} की संख्या	साक्षा- त्कार किये गये ^{बुलाये गये} ^{अभ्यर्थियों} की संख्या	वास- ग्रा- म- संख्या
१	२	३	४	५	६	७
१८७	ड्राइंग अध्यापक, राजकीय प्राविधिक संस्था, झाँसी	२				
१८८	प्रथम इन्स्ट्रक्टर, यन्त्र निर्माण एवं ड्राइंग, राजकीय प्राविधिक संस्था, लखनऊ	१				
१८९	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक वेतन-क्रम) पुरुष शाखा में हार्टो-कल्चर के सहायक अध्यापक	२४	५५	२९	२७	२७
१९०	तराई स्टेट खेतों, उत्तर प्रदेश, के लिये लेखा अधिकारी (एकाउन्ट्स आफिसर)	१	६४	६	६	२
१९१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक श्रेणी) पुरुष शाखा में संस्कृत के सहायक अध्यापक	१६	१८१	४१	४०	२४
१९२	सहायक संचालक, उरकारी खेत, तराई, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) के समकक्ष	१	२१	६	६	-
१९३	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, कनिष्ठ वेतन-क्रम में कृषि इन्जीनियर (कारखाना एवं ट्रैक्टर्स)	३	२२	-	-	-

३

१९५४-५५-- (क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राचीनिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	६	१०
२२ मार्च, १९५५ ..	श्री बी० एस० त्यागी, प्रिंसिपल, राजकीय प्राचीनिक संस्था, लखनऊ	बाद में एक और रिक्त स्थान सूचित किया गया, किन्तु आयोग द्वारा साक्षात्कार किया गया चौथा अस्थर्थी अपात्र था, अतः आयोग ने उद्योग संचालक से कहा कि इस पद को विज्ञापित करने के लिये एक आलेख्य विज्ञापन भेजें।
२३ और २४ मार्च, १९५५		...
२५ मार्च, १९५५		...
२६, २९ और ३० मार्च, १९५५		...
३१ मार्च, १९५५	मेजर एच० एस० सन्धु, उप-संचालक सरकारी खेत, तराई	कोई भी उपयुक्त नहीं समझा गया।
...	...	भारतीय इन्जीनियरों की संस्था के अन्तर्क इन्जीनियरों की संस्था के संस्थान (कार्पोरेट) सदस्य होने की अनिवार्य अर्हता किसी में भी नहीं थी। यह सुझाव दिया गया कि यदि यह अर्हता निकाल दी जाय तो यह पद पुनर्विज्ञापित किया जाय।

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम— संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन— पत्रों की संख्या	साक्षा— तकार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा— तकार किये गये अभ्य— र्थियों की संख्या	चुने गए अभ्य- र्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

१९४ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण
विभाग में सहायक आर्कोटेक्ट

१ १ — — —

१९५ बकेवर, जिला इटावा के पायलट
कारखाना में ज्येष्ठ इन्स्ट्रक्टर

१ १ } — — —

१९६ महिला प्रिसिपल, राजकीय महिला
शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय,
इलाहाबाद

१ ८ } — —

१९७ महिला उप-प्रिसिपल, राजकीय
महिला शिशु प्रशिक्षण महा-
विद्यालय, इलाहाबाद

१ १४ } — —

१९८ गन्ना अनुसन्धानशाला, शाहजहां-
पुर के संचालक के अधीन
अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय
ग्रुप में एलेक्ट्रिशियन

१ १ — —

२
१९५४-५५--(क्रमशः)

साक्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०
...	...	एकमात्र अभ्यर्थी, जिसने आवेदन-पत्र भेजा था, अपात्र था और यह पद नवम्बर, १९५४ में पुनर्विज्ञापित किया गया, जिसके लिये साक्षात्कार आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत नहीं किया जा सका।
...	...	यह पद दो बार विज्ञापित किया गया। दूसरी बार समस्त भारत भर में तथा एक उच्चतर वेतनक्रम के साथ। प्रत्येक बार केवल एक अभ्यर्थी ने आवेदन-पत्र भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी योग्य नहीं पाया गया। बड़े कारखानों में प्राप्त दीर्घ काल के अनुभव वाले आवेदकों के सम्बन्ध में डिल्लोमा की अहंता को शिथिल करने के निवेश के साथ आयोग ने पद को पुनर्विज्ञापित करने का सुझाव दिया।
..	...	कोई भी योग्य नहीं पाया गया। यह सुझाव दिया गया कि आयोग से परामर्श करके २ योग्य महिला अध्यापिकायें किंडर गार्टन एवं फोबोल तिद्वांतों या मान्टेसरी सिद्धांत में डिल्लोमा प्राप्त करने के लिये विदेश भेजी जायें।
...	...	एकमात्र आवेदक अनहु पाया गया और यह पद अगस्त, १९५५ में पुनर्विज्ञापित किया गया।

परिशिष्ट
चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या		साक्षा- त्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने- गए अभ्यर्थि- यों की संख्या
				१	२	३	४
१९९	उत्तर प्रदेश पश्च पालन सेवा, प्रथम श्रेणी में उत्तर प्रदेश पश्च विज्ञान एवं पश्च पालन भागिकालय, मथुरा के लिये एनाटामी के प्राध्यापक	—	—	१	२	—	—
२००	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कान- पुर के कार्यालय में रिसर्च आफि- सर (फैटीग)	—	—	१	५	—	—
२०१	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये मोटर मैकेनिक्स में लेक्चरर	—	—	१	५	—	—
२०२	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये मास्टर- शीट मेटल वर्क	—	—	१	२	—	—
२०३	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये सोल्ड- रिंग और वैल्डिंग मेकनिक	—	—	१	—	—	—

साक्षात्कार की तिथि	प्राचिन्धिक सलाहकार का नाम, यदि कोई है	विशेष विवरण
८	९	१०
...	...	दोनों आवेदक अनहूं थे। आयोग ने अहंता में सशोधन के लिये सुझाव दिया, जिसे शासन ने स्वीकार नहीं किया और यह पद उन्हीं अहंताओं के साथ अप्रैल, १९५५ में पुनर्विज्ञापित किया गया।
...	...	कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। यह पद पुनर्विज्ञापित किया गया, लेकिन वर्ष के अन्तर्गत चुनाव न किया जा सका।
...	...	कोई भी योग्य नहीं पाया गया। उद्योग संचालक को यह सुझाव दिया गया कि अपेक्षित अनुभव को ५ वर्ष से घटाकर ३ वर्ष कर दिया जाय। उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस पद को पुनर्विज्ञापित करने के लिये अनुरोध किया।
...	...	कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। आयोग ने सुझाव दिया कि अभ्यर्थियों के अपेक्षित अनुभव को घटाकर २ वर्ष कर दिया जाय, लेकिन उद्योग संचालक ने स्वीकार नहीं किया और एक दूसरा विज्ञापन भेजा।
...	...	किसी ने भी आवेदन-पत्र नहीं भेजा। आयोग ने उद्योग संचालक को सुझाव दिया कि व्यक्तिगत रूप से जांच करके एक अभ्यर्थी ढंड लें।

११४५

चुनाव द्वारा भरी—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों को संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिए बुलाये गये		साक्षा- त्कार किये गये अस्थि- यों की संख्या	बुने- गए अस्थि- यों की संख्या
				३	४		
१	२	३	४	५	६	७	८
२०४	राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था, बनारस के अनुसन्धान उप- शाखा के लिये डिजाइनर (हैंडलूम)	१	१	-	-	-	-
२०५	राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था, बनारस के लिये ड्राइंग मास्टर	१	१	-	-	-	-
२०६	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये विद्युत् इंजीनियरिंग में लेक्चरर	१	१*	-	-	-	-
२०७	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये प्रशासन संगठन में लेक्चरर	१	१*	-	-	-	-
२०८	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये डॉक्यू- मेंटर (उच्च श्रेणी)	१	-	-	-	-	-
२०९	अधीनस्थ उद्योग सेवा में चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोली- टेक्निक, मेरठ के लिये डॉक्टर (एलोपैथिक)	५	१	-	-	-	-
२१०	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, प्रथम श्रेणी में राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्था, कानपुर के लिये प्रिसिपल	१	३	-	-	-	-

क्षात्कार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	९	१०
...	...	एकमात्र आवेदक उपयुक्त नहीं पाया गया। उद्योग संचालक को यह सुझाव दिया गया कि वह व्यक्तिगत रूप से जांच करके एक अन्यर्थी प्राप्त कर लें।
...	...	अनुपयुक्त समझा गया। आयोग ने अपेक्षित अनुभव की अवधि को कम करने का सुझाव दिया।
...	...	*अयोग्य था। आयोग ने अनुभव की अवधि को घटाकर इसको पुनर्विज्ञापित करने के लिये सुझाव दिया।
...	...	*तदेव
...	...	कोई भी आवेदन-पत्र इस पद के लिये नहीं प्राप्त हुआ। आयोग ने इसके लिये अपेक्षित अनुभव को घटाकर पुनः विज्ञापन निकालने का सुझाव दिया।
...	...	५ रिक्त स्थानों के लिये केवल एक आवेदक था। आयोग ने परामर्श दिया कि इन पदों को अधिक ग्राह्य बनाने के लिये प्राइवेट (व्यक्तिगत) प्रैविट्स के स्थान में दिया जाने वाला भत्ता २० रुपये से बढ़ाकर ५० रु० प्रतिमास कर देना चाहिये।
...	...	इन आवेदकों में से किसी पर भी विचार नहीं किया जा सका या तो उसकी अनुपयुक्तता या अभाव अथवा अयोग्यता के कारण। यह पद पुनर्विज्ञापित किया गया।

परिशिष्ट

चुनाव द्वारा भर्ती—

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	विज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	साक्षा- त्कार के लिये गये अभ्यर्थियों की संख्या	चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७

२११ उत्तर प्रदेश ब्लायलर्स एवं कार-
खानों के निरीक्षकों की सेवा
के द्वितीय ग्रुप में कारखानों
के निरीक्षक (चिकित्सा)

२ ३ - - -

२१२ बापू व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था,
देहरादून के लिये महिला वाइस
प्रिसिपल

१ १२ - - -

२१३ अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम
ग्रुप में रसायन शास्त्र के
लेक्चरर

१ - - -

२१४ उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं
में सैनिक शिक्षा एवं समाज
सेवा प्रशिक्षण योजना के अन्त-
र्गत इन्सट्रक्टर

४ ११९ - -

योग १,१८३ ५५८५ २,३९७ २,०२४ १,१६९

१९५४-५५--(समाप्त)

साम्राज्यकार की तिथि	प्राविधिक सलाहकार का नाम, यदि कोई हो	विशेष विवरण
८	६	१०
...	...	इन तीनों आदेदकों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। यह सुझाव दिया गया कि २ वर्ष के अनुभव वाले चिकित्सा स्नातकों [उद्योग आरोग्य शास्त्र (हाईजीन) के अनुभव वालों को वरीयता दिये जाने के निवेश के साथ] को कमीशन से परामर्श लेकर अधिल भारतीय आरोग्य शास्त्र एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाकलक्ष्मा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ६ मास से लेकर एक वर्ष तक के लिये भेजा जाय तथा उसके पूरा होने पर उन्हें इन पदों पर नियुक्त किया जाय।
...	...	यह विज्ञापन निरसित कर दिया गया, क्योंकि शासन ने आवास औद्योगिक गृह, चुनार-गढ़ के छटनी किये गये कर्मचारियों का, देहरादून की संस्था में अन्तर्निधान करने के लिये प्रस्ताव किया।
...	...	विज्ञापन निरसित किया गया, क्योंकि बाद में इस पद की आवश्यकता नहीं थी।
...	...	शासन के अनरोध पर यह विज्ञापन निरसित किया गया, क्योंकि सैनिक एवं सामाजिक सेवा प्रशिक्षण योजना भारत सरकार के सुझाव पर हटा ली गई थी।

इन तीनों आदेदकों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया। यह सुझाव दिया गया कि २ वर्ष के अनुभव वाले चिकित्सा स्नातकों [उद्योग आरोग्य शास्त्र (हाईजीन) के अनुभव वालों को वरीयता दिये जाने के निवेश के साथ] को कमीशन से परामर्श लेकर अधिल भारतीय आरोग्य शास्त्र एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाकलक्ष्मा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ६ मास से लेकर एक वर्ष तक के लिये भेजा जाय तथा उसके पूरा होने पर उन्हें इन पदों पर नियुक्त किया जाय।

यह विज्ञापन निरसित कर दिया गया, क्योंकि शासन ने आवास औद्योगिक गृह, चुनार-गढ़ के छटनी किये गये कर्मचारियों का, देहरादून की संस्था में अन्तर्निधान करने के लिये प्रस्ताव किया।

विज्ञापन निरसित किया गया, क्योंकि बाद में इस पद की आवश्यकता नहीं थी।

शासन के अनरोध पर यह विज्ञापन निरसित किया गया, क्योंकि सैनिक एवं सामाजिक सेवा प्रशिक्षण योजना भारत सरकार के सुझाव पर हटा ली गई थी।

(११०)

परिशिष्ट ३ (अ)

सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये
चुनाव १९५४—५५ के अन्तर्गत न हो सका

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक आकीटेवट	१	३
२	कुटीरोडोग अधिकार, उत्तर प्रदेश के अधीन सहायक उद्योग संचालक (सेरीकलचर)	१	८
३	प्रिसिपल, हारकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल संस्था, कानपुर	१	७
४	उत्तर प्रदेशीय सहकारिता सेवा, श्रेणी २ में सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार	४	३९२
५	गन्धा विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में जिला गन्धा अधिकारी	२	६५
६	उत्तर प्रदेशीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा) में ओवरसियर	१००	३४९
७	सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में विद्युत् एवं यान्त्रिक सुपरवाइजर	५०	१०३
८	श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रम निरीक्षक	२	७३
९	उत्तर प्रदेशीय विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजेड) में विद्यालयों के उप निरीक्षक	१०	९३५
१०	उत्तर प्रदेशीय उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में प्रिसिपल, राजकीय टेक्निकल संस्था, झांसी	१	१२
११	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) पुरुष शाखा में हिन्दी के सहायक अध्यापक	५१	७८२
१२	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) पुरुष शाखा में फारसी के सहायक अध्यापक	१३	४९

परिशिष्ट ३ (अ) --(क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) पुरुष शाखा में उच्चे के सहायक अध्यापक	४	५०
१४	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ग्रेड) पुरुष शाखा में कृषि के सहायक अध्यापक	२४	८५
१५	शासन के ग्लास टेक्नोलॉजिस्ट, उत्तर प्रदेश, कानपुर	१	१०
१६	सिचाई विभाग में फोरमैन, उत्तर प्रदेश	५	४१
१७	प्रथम सहायक अध्यापक, राजकीय टेक्निकल संस्था, लखनऊ	१	-
१८	द्वितीय सहायक अध्यापक, राजकीय टेक्निकल संस्था, झांसी	१	२
१९	सहायक अध्यापक, शासकीय पालीटेक्निक, गाजीपुर	१	१
२०	राजकीय रोडवेज के सर्विस मैनेजर, उत्तर प्रदेश	१	१०
२१	उद्योग संचालक के वैयक्तिक सहायक, उत्तर प्रदेश	१	२१
२२	वन विभाग में आंकड़ा (स्टेटिस्टिकल) अधिकारी, उत्तर प्रदेश	१	१७
२३	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में टेक्सटाइल आपरेशंस एक्सपर्ट एवं टाइम स्टडी अधिकारी	१	२
२४	उत्तर प्रदेशीय उद्योग अधिकार के हैन्डलूम विकास योजना के अधीन प्रचार (पब्लिस्टी) अधिकारी	१	९
२५	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में सहायक सर्विस मैनेजर	१	६
२६	ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में आडीटर्स	३	१६
२७	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में हिन्दी के सहायक अध्यापक	७	२५७
२८	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संस्कृत के सहायक अध्यापक	२	४४
२९	उत्तर प्रदेशीय शासन के प्रधान केन्द्र में सहायक सूचना संचालक	३	५६

परिशिष्ट ३ (अ)–(ऋग्मशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या
१	२	३	४
३०	अधीनस्थ उद्योग सेवा (नियमित संवर्ग के अतिरिक्त) में वस्त्रोद्योग निरीक्षक	४	२२
३१	अधीनस्थ उद्योग सेवा (नियमित संवर्ग के अतिरिक्त) में काम- शिवल ट्रैवलस	६	१८
३२	केन्द्रीय कारबाहा, कानपुर में सहायक ग्रुप इन्जीनियर (बाड़ी बिल्डिंग सेक्शन)	१	३
३३	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में आर्थोपीडिक्स के प्राध्यापक	१	७
३४	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में शिशु रोगों के लेफ्टवरर	१	५
३५	कुटीरोद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी मार्किंग योजना में परीक्षक (बनारसी सिल्क वस्त्र)	१	२
३६	उत्तरप्रदेशीय सिंचाई विभाग में सहायक (यान्त्रिक) इन्जीनियर	१४	९३
३७	उत्तर प्रदेश शासकीय सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर के लिये विद्युत् इन्जीनियर	१	१४
३८	कृषि इन्जीनियरिंग उपन्याखा सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक कृषि इन्जीनियर (रिप्र)	१	८
३९	उत्तर प्रदेशीय इन्जीनियरों की सेवा, जल विद्युत् शाखा में सहायक इन्जीनियर	२६	१३६
४०	उत्तर प्रदेशीय इन्जीनियरों की सेवा (जूनियर स्केल) सिंचाई विभाग में सहायक इन्जीनियर	२७	६०
४१	कृषि सूक्ष्मा कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के ड्यूरो के लिये प्राविधिक अधिकारी	१	५

परिशिष्ट ३ (अ) --(समाप्त)

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या	
			३	४
१	२			
४२	सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा के लिये दन्त चिकित्सा के लेक्चरर	१	२	
४३	शासकीय लेदर वर्किंग विद्यालय, कानपुर के लिये ड्राइंग मास्टर	१	१	
४४	शासकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर में विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में फीजिवस (पदार्थ विज्ञान) के जूनियर लेक्चरर	१	२७	
४५	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर के लिये रसायन शास्त्र के लेक्चरर	१	३४	
४६	वाइस प्रिसिपल, राजकीय कन्द्रीय काष्ठकला संस्था, बरेली	१	८	
४७	उत्तर प्रदेश पश्चि. विज्ञान एवं पश्चि.-पालन महाविद्यालय, मथुरा के लिये अनुसन्धान सहायक	२	७	
४८	राजकीय टेक्निकल संस्था, गोरखपुर के लिये थोरीटिकल मेकेनिक्स में लेक्चरर	१	६	
४९	उत्तर प्रदेशीय उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में राजकीय पाली-टेक्निक, जौनपुर के लिये प्रिसिपल	१	१०	
५०	उत्तर प्रदेशीय उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में राजकीय पाली-टेक्निक, जौनपुर के लिये कारखाना अधीक्षक	१	६	
५१	विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में संचालक, राजकीय संग्रहालय, लखनऊ के अधीन आर्को-ओलाजिकल विभाग के लिये आर्को-ओलाजिकल सहायक	१	८	
५२	अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर के कार्यालय में अनुसन्धान अधिकारी (परिश्रम)	१	९	
५३	उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में राजकीय पालीटेक्निक, जांसी के लिये कारखाना अधीक्षक	१	४	
५४	लखनऊ के आशुद्धेदिक और यूनानी औषधियों के राजकीय औषधि-शाला के लिये सहायक प्रबन्धक	१	१८	
५५	गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में अंकड़ा (स्टेटिस्टिकल) सहायक	२	४८	
५६	कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश के एकजीक्यटिब शाखा में महिला सदन, लखनऊ के लिये महिला उप-जलर	१	१२	
५७	आफिसर इन्वार्ज, मैस्टाइटिस जांच योजना, उत्तर प्रदेश	१	६	

योग ... ३९६ ३,९७९

परिशिष्ट ४
विना विज्ञापन के भर्ती

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण	
			१	२
१	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राजकीय वर्षाय, रुड़की	१	योग्य अभ्यर्थियों का अत्यन्त- भाव होने तथा पद के दो दफा विज्ञापित किये जाने पर भी कोई अभ्यर्थी न मिल सकने के कारण कमी- शन ने विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी को अनुमोदित किया ।	
२	डॉक्टर (एलोवैथिक) अम विभाग ...	१	अनुमोदित नहीं किया, कमीशन ने इस पद को डॉक्टरों के दो अन्य पदों के साथ विज्ञापित करने का निश्चय किया ।	
३	लेखा अधिकारी, कमिशनर गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के लिये	२	चुनाव उन्हीं अभ्यर्थियों में से किया गया, जिनका साक्षा- त्कार ८ सितम्बर, १९५४ को उप-संचालक मेके- नाइज़ टेट फार्म्स के हेडक्वार्टर्स में लेखा अधि- कारी के पद के लिये हो चुका था ।	
४	उत्तर प्रदेश शासन के सहायक पब्लिक एनालिस्ट	१	क्योंकि कमीशन द्वारा उसका चुनाव सहायक एनालिस्ट ड्रग्स के पद के लिये हो चुका था, कमीशन ने विचाराधीन पद पर भर्ती की नैयिक प्रक्रिया को पालन किये बिना ही, उसकी नियुक्ति के हेतु शासन के कहने पर सम्मति दे दी ।	

परिशिष्ट ४ (क्रमांकः)

अभ्यर्थीयों की संख्या, जिनके मामले निवटाप्रे गये	सेवा या पद	विवरण या अनुमोदन के कारण	
१	२	३	४
५	सहायक एनालिस्ट (ड्रग्स)	...	क्योंकि कमीशन ने इसी पद के लिये नैयमिक चुनाव के समय उसे आरक्षित संस्तुत किया था।
६	ग्राम उद्योग के अधीक्षक	...	क्योंकि ऐसे पदों के लिये चुनाव फरवरी, १९५४ में ही किया गया था, कमीशन ने इन पदों के लिये पुनः चुनाव करना आवश्यक नहीं समझा और पूर्व चुनाव के आधार पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिये संस्तुत किया।
७	अधीक्षक, टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र, बक्सी का तालाब, लखनऊ	१	क्योंकि कमीशन ने उसे इसी पद के लिये नैयमिक चुनाव के समय चुने हुये अभ्यर्थियों में द्वितीय स्थान दिया था।
८	प्रदेशीय अधीनस्थ चिकित्सा सेवा (पी० एस० एम० एस०)	१	अनुमोदित नहीं किया गया।
९	सहायक इंजीनियर, कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर	१	कमीशन उनकी स्थायी नियुक्ति से इसलिये सहमत हुआ कि उनके सेवा अभिलेख अच्छे थे और वे इन्हीं पदों पर कमीशन की अनुमति से तीन बर्ष पूर्व से, जबकि विज्ञापन के उपरान्त भी योग्य अभ्यर्थी न उपलब्ध हो सके थे, अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे।
१०	मेन्स मेटिनेंस इंजीनियर, कानपुर विद्युत् प्रदाय प्रशासन, कानपुर	१	

परिशिष्ट ४ (क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के काण
१	२	३	४
११	सहायक अध्यापक (कताई बुनाई), राज- कीय बेसिक ड्रॉनिंग कालेज, लखनऊ	१	कमीशन उसकी नियुक्ति के लिये सहमत नहीं हुआ और सलाह दी कि भर्ती नैयमिक प्रणाली द्वारा विज्ञापन, साक्षात्कार इत्यादि के पश्चात् होनी चाहिये।
१२	सुपरिन्टेंडेंट नर्सिंग सर्विसेज, उत्तर प्रदेश	१	क्योंकि कमीशन ने उसे नवीकरण योग्य पंच- वर्षीय संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिये पहले चुना था, इसलिये उसने उसको एक निर्धारित अवधि के लिये यानी १ सितम्बर, १९५२, कार्य निवृत्ति की तिथि तक नियुक्त करने के लिये भी सम्मति दे दी।
१३	उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य कार्यालय में सूचना के उप संचालक	१	अनुमोदित किया क्योंकि कमीशन ने उसे सूचना संचालक के पद के लिये चुने हुये अभ्यर्थियों में द्वितीय स्थान दिया था, उसकी सेवा का अभिलेख बहुत ही अच्छा था और वह अपेक्षित योग्यताओं से पूर्णतः परिपूर्ण था।
१४	फलोड़ोग विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश	१	कमीशन उसकी नियुक्ति के लिये सहमत नहीं हुआ और सलाह दी कि भर्ती नैयमिक प्रणाली द्वारा विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् होनी चाहिये।

१ ११८ १

परिशिष्ट ४ (क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निवटाये गये	विवरण या अनुमोदित के कारण
१	२	३	४
१५	आबसटेट्रिक्स तथा गाइनेकालाजी के लेक्चरर, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा	१	कमीशन उसकी नियुक्ति के लिये सहमत नहीं हुआ और सलाहदी कि भर्ती नैयमिक प्रणाली द्वारा विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् होनी चाहिये।
१६	सेकेन्ड इन्स्ट्रुक्टर (लेदर वर्किंग), राजकीय लेदर वर्किंग विद्यालय, कानपुर	२	क्योंकि उसी विद्यालय के फर्स्ट इन्स्ट्रुक्टर के पद के चुनाव में कमीशन ने उन्हें चुने हुए अभ्यर्थियों में द्वितीय तथा तृतीय स्थान दिया था, अतः उसी ऋम में कमीशन ने उन्हें सेकेन्ड इन्स्ट्रुक्टर के पद के लिये अनुमोदित किया।
१७	रिसर्च अधिकारी, इंचार्ज स्वायल डिवीजन, सिचाई विभाग कर्संवर्गातिरिक्त (एक्स-काडर) पद	१	कमीशन उसकी नियुक्ति के लिये सहमत नहीं हुआ और सलाहदी कि भर्ती नैयमिक प्रणाली द्वारा विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के पश्चात् होनी चाहिये।
१८	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (द्वितीय), महिला शाखा	१	खेतान महिला अस्पताल, पड़ोनी, जिला देवरिया के प्रांतीयकरण के कारण।
१९	सहायक अध्यापक, ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड ...	१	अनुमोदित नहीं किया व्योंकि लीलावती पंत जूनियर हाई स्कूल, भीम ताल, जिला नैनीताल के प्रांतीयकरण के समय उसमें निर्धारित अर्हताओं का अभाव था।

परिशिष्ट ४ (क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
२०	मनोरंजन-कर निरीक्षक	...	५ चूंकि वे खाद्य तथा रसद व सहायता तथा पुनर्वास विभागों के व्यवकालित पदधारी थे।
२१	सहकारी निरीक्षकों के पदों में ग्राम्य विकास निरीक्षकों का अन्तर्निधान	४	ग्राम्य विकास विभाग के समाप्त होने पर उसके कर्मचारियों को सहकारी विभाग में अन्तर्निधान के शासकीय निश्चय के फल-स्वरूप कमीशन ने गत वर्ष के न निबटाये गये मामलों पर विचार किया। उनमें से ३ को अन्तर्निधान के लिये अनुमोदित किया और एक को अनुमोदित नहीं किया। एक मामला, जो कि परिशिष्ट ४-अ में वर्णित है, सम्पूर्ण चरित्र तालिका के अभाव के कारण निबटाया न जा सका।
२२	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (द्वितीय)	१ } प्राइवेट मिलों के इन दो डाक्टरों का साक्षात्कार कमीशन ने ८ सितम्बर, १९५४ को करके उन के अन्तर्निधान का अनुमोदन किया।	
२३	प्रदेशीय अधीनस्थ चिकित्सा सेवा	...	१ } प्रदेशीय चिकित्सा (द्वितीय) सेवा के अभ्यर्थी को अपेक्षित शिक्षा योग्यता से छूट देने की संस्तुति भी की गई।

परिशिष्ट ४ (क्रमशः)

क्रम संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
			१ २ ३ ४
२४	चकबन्दी अधिकारी	...	१८ इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चकबन्दी का कार्य बहुत प्राविधिक ढंग का है, जिसके लिये नक्शानवीसी भूमि अभिलेखों, मिट्टी का वर्गीकरण, मालगुजारी एवं भूमि सुधार के कानून इत्यादि का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है, कमीशन चुनाव को सीमित क्षेत्र में से करने के लिये सहमत हो गया। मनोनीत १८ अभ्यर्थियों में से १२ को अनुमोदित किया व ४ के विषय में यह संस्तुति की कि इनका काम केवल एक वर्ष तक देखा जाय और २ को अनुमोदित नहीं किया। शेष चार मामले जो परिशिष्ट ४(अ)में वर्णित हैं, कुछ सूचनाओं के अभाव के कारण न निबटाये जा सके।
२५	प्रधान ज्यौतिषिक (चीफ एस्ट्रोनामर) (शासकीय ज्यौतिषिक वेधशाला, बनारस)	१	योग्य अभ्यर्थियों के अत्यंत अभाव, प्रायः पूर्ण अभाव को ध्यान में रखते हुये कमीशन शासन द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी की नियुक्ति से और साथ ही पद के लिये निर्धारित ३५ वर्ष की व्यन्ति से आयु-सीमा से मुक्ति देने से भी सहमत हुआ।

परिशिष्ट ४ (समाप्त)

क्रम संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनके मामले निबटाये गये	विवरण या अनुमोदन के कारण
१	२	३	४
२६	मनोरंजन-कर निरीक्षक	...	३ इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ये अभ्यर्थी उस समय के विद्यमान नियमों के अनुसार एक अधिकृत अधिकारी द्वारा चुने गये थे, जब कि इन्टरटेनमेंट और बैटिंग टेंक्स की सेवा कमीशन के पर्यावलोकन में नहीं आई थी और चैकिं उनके सेवा अभिलेख भी सतोषजनक थे।
२७	स्थायी जूडीशियल अधिकारियों में से मुनिसफ	१६	कमीशन ने ५७ जूडीशियल अधिकारियों का साक्षात्कार श्री के० पी० माथुर, रजिस्ट्रार, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सहायता से २१ से २४ अप्रैल, १९५४ को किया और उनमें से ६ को नियुक्ति के लिये चुना। तड़परान्त शासन के आदेशानुसार दस और नाम संस्तुत किये गये।
२८	भूमि कर, सिचाई तथा तकाबी इत्यादि के वसूल करने की संयुक्त योजना के अन्तर्गत कलेक्शन अधिकारी	३	कमीशन द्वारा गत वर्ष ये तीनों अभ्यर्थी अनुमोदित किये गये थे। शासन ने इनकी चरित्र तालिकाओं की नवीनतम प्रविष्टियों के आधार पर कमीशन से पुनर्विचार करने को कहा। कमीशन ने उन लोगों को प्रत्यारक्षण (retention) घोष्य घोषित किया।
योग ...		७४	

परिशिष्ट ४ (अ)

न निवाये हुये विना विज्ञापन की भर्ती वाले मामलों की सूची

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
१	सहायक बायोकेमिस्ट, अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	१	यह मामला पिछले वर्ष का है। कमीशन ने चुनाव दिया कि इस मामले पर ऐसे ही और मामलों के साथ विचार किया जायगा। शासन से कहा गया कि वे ऐसे सब मामले कमीशन को निर्देशित करें।
२	भूमि कर, सिंचाई एवं तकाबी इत्यादि के बसूल करने की संयुक्त योजना के अन्तर्गत कलेक्शन अधिकारी	१	कुछ सूचना के अभाव में यह गत वर्ष नहीं निवाया गया था। सूचना तो प्राप्त हुई परन्तु वर्ष के अन्त तक चरित्र तालिकायें नहीं आई थीं।
३	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (प्रथम)]	...	४ मांगी गई चरित्र तालिकायें एवं सूचना प्राप्त नहीं हुई थीं।
४	विस्थापित व्यक्तियों में से नायब तहसीलदार	५	इनकी उपयुक्तता पर परामर्श देने के पूर्व कमीशन ने साक्षात्कार करने का निश्चय किया, जो वर्ष के अन्तर्गत न हो सका।
५	सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी	३	कमीशन ने निश्चय किया कि डिप्टी कलेक्टर तथा कलेक्शन अधिकारी के पदों के ही साथ इसका भी चुनाव किया जाय क्योंकि तीनों पदों का चुनाव-क्षेत्र करीब करीब एक ही था।

(१२२)

परिशिष्ट ४ (अ)

न निबटाये हुये बिना विज्ञापन की भर्ती वाले मामलों की सूची

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या	विवरण
१	२	३	४
६	भूमि कर, सिंचाई एवं तकाबी इत्यादि के वसूल करने की संयुक्त योजना के अन्तर्गत कलेक्शन अधिकारी	१२	कमीशन नं निश्चय किया कि डिप्टी कलेक्टर तथा सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी के पदों के ही साथ इसका भी चुनाव किया जाय क्योंकि तीनों का चुनाव क्षेत्र-करीब-करीब एक ही था ।
७	सहकारी निरीक्षकों के पदों में ग्राम्य विकास निरीक्षकों का अन्तर्निधान	१	संपूर्ण चरित्र तालिका प्राप्त नहीं हुई थी ।
८	चक्रवन्दी अधिकारी	...	४ कुछ सूचना जो, मांगी गई, प्राप्त नहीं हुई ।

योग ... ३१

परिशिष्ट ५

पदोन्नति द्वारा भर्ती

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५

१. डिप्टी सुपरिनटेंडेन्ट पुलिस	८	३५	कमीशन ने पहले ८ अभ्यर्थियों को अनु- मोदित किया। उनमें से एक के रिटायर होने पर और शासन से अप्रेतर निर्देश प्राप्त होने पर कमी- शन एक और अभ्यर्थी की पदोन्नति के लिये भी सहमत हुआ। कमीशन ने प्रदेशीय पुलिस सेवा नियम, १९४२ के नियम २२ (२) को शिथिल करके उन लोगों को बिना परीक्षण काल पर रखे ही सीधे स्थायी करने की अनुमति दी।	
२. सहायक परीक्षक, लोकल फंड एकाउन्ट्स, उत्तर प्रदेश	३	१२	...	
३. चौक इंजीनियर, विद्युत विभाग के कार्यालय के लिये पर्सनल असिस्टेन्ट मिनिस्टरीरियल	१	१	...	

परिशिष्ट ५ (क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
४	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा (द्वितीय)	१	१	उसकी मान्यता प्राप्त युद्ध-सेवा तथा मिलिटरी सेवा-काल के समय प्राप्त चोटों के कारण सेवा के लिये असमर्थ हो जाने के तथ्य और चिकित्सा तथा स्वा- स्थ सेवाओं के संचालक की संस्तुति को ध्यान में रखते हुये कमीशन ने विशेष परिस्थिति में पदोन्नति के लिये अनुमोदित किया ।
५	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (सीनियर स्कैल)	५	१८	शासन ने कमीशन की संस्तुतियाँ चार पद- धारियों के विषय में मान ली, परन्तु एक पदधारी के विषय में नहीं मानी ।
६	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा के जूनियर स्कैल में सनोदैशानिक	१	१	...
७	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा सीनियर स्कैल में शिक्षा की सहायक संचालिका	१	२	...
८	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा महिला (द्वितीय)	१	१	एक वर्ष की अवधीय नियुक्ति के लिये इस शर्त पर अनुमोदित किया कि उस अवधि के उपरान्त उसका मामला कमीशन को फिर निर्देशित किया जाय ।

(१२५)

परिशिष्ट ५ (क्रमांकः)

क्रमांक संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों को सख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
१	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, जूनियर स्कॉल में लेडी प्रिसिपल, गवर्नर्मेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल	१	२७	...
१०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्कॉल में चीफ स्टेटिस्टीशियन	१	२	...
११	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्कॉल में स्टेटिस्टीशियन	१	२	केवल दो ही पात्र अभ्यर्थी होने के कारण पदोन्नति का क्षेत्र बहुत सीमित था, अतः कमीशन ने सुझाव दिया कि इस पद के लिये चुनाव सीधी भर्ती द्वारा होनाचाहिये।
१२	तहसीलदार	१९	२०१	...
१३	उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स सेवा, जूनियर स्कॉल, सिचाई विभाग में सहायक इंजीनियर	८	१२	कमीशन ने सलाह दी कि चुनाव दस वर्षीय सेवा वाले सभी पात्र ओवर-सियरों में से किया जाना चाहिये, न कि केवल अस्थायी सहायक इंजीनियरों में से, जैसा कि शासन के नवीनतम आदेशों के अन्तर्गत आवश्यक है।
१४	उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स सेवा, जूनियर स्कॉल, सिचाई विभाग में सहायक मेकेनिकल इंजीनियर	२	२	...
१५	वाइस प्रिसिपल, गवर्नर्मेंट सेन्ट्रल पैडो-गाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद	१	१	...

परिशिष्ट ५ (क्रमशः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
१६	उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन सेवा में स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन निरीक्षक		१	१ ...
१७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्कॉल में कृषि इंजीनियर	२	४	एक स्थायी रिक्ति तथा एक लम्बी अस्थायी रिक्ति के लिये कमीशन ने इन चार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार श्री बी० पी० सक्सेना, आई० एस० ई०, अतिरिक्त चौक इंजीनियर, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की सहायता से नैनीताल में १६ जून, १९५४ को किया।
१८	उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सीनियर पञ्जिक प्रासीक्यूटर्स	२	७	...
१९	उत्तर प्रदेश सिविल एकिजक्यूटिव सेवा में डिप्टी कलेक्टर	१८	७४	...
२०	सामान्य सचिवालय अधीक्षक	१	१	अनुमोदित नहीं किया गया। कमीशन ने सलाह दी कि चुनाव सम्पर्ण पात्रता के क्षेत्र में से केवल मेरिट के आधार पर एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा ही ना चाहिये।
२१	उत्तर प्रदेश वेटरिनरी सेवा को प्रथम श्रेणी में पशुपालन के उप संचालक	१	१	...

परिशिष्ट ५ (क्रमांकः)

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण		
				३	४	५
२२	सोनिथर इकोनामिक इंडेलीजेन्स इंसपेक्टर	१	१		...	
२३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, महिला शाखा के ड्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यायिकायें	४५	४२	कमीशन ने ३१ को अनुमोदित किया। शेष १४ रिक्त स्थानों के लिये कमीशन ने सलाह दी कि यह वांछनीय होगा कि उन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय।		
२४	संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोर्स में भर्ती किये गये एवं सफलता-प्राप्त पी० एस० एम० एस० डाक्टरों का पी० एस० एस० द्वितीय में पदोन्नति का अनुमोदन	१	१		...	
२५	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, जनियर स्कैल में स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर और प्रिसिपल	३३	६५	२६ प्रिसिपल और ७ डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स। चूंकि स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर और प्रिसि- पल के पद स्थानान्तर- रण योग्य थे, कमी- शन ने २५ अभ्यर्थी, प्रिसिपल के पदों के लिये और ८ डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर के पदों के लिये, इस शर्त के साथ अनुमोदित किये कि उन चार हेडमास्टरों में से, जिनको डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर के पदों के लिये अनुमोदित किया गया है, एक प्रिसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया जाय।		

परिशिष्ट ५ (समाप्त)

क्रम- संख्या	सेवा या पद	रिक्त स्थानों की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या, जिनपर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४	५
२६	दफ्तरों के निरीक्षक	१	९	...
२७	अधीक्षक, सूचना डाइरेक्टर	१	१	...
२८	संक्षिप्त एम० बी०, बी० एस० कोर्स में भर्ती के वास्ते पी० एस० एम० एस० डाक्टरों का चुनाव	१६	२६	चुनाव एक ऐसी तदर्श कमटी द्वारा हुआ जिसमें श्री नकोसुल हसन कमीशन के सदस्य ने सभापतित्व किया और जो लख- नऊ में २४ जुलाई, १९५४ को हुई। १६ चुने गये और बाकी १० अस्वीकृत कर दिये गये।
२९	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, द्वितीय श्रेणी	३	२०	...
३०	विद्युत विभाग में अधीनस्थ विद्युत् तथा मेरेनिकल इंजीनियरिंग सेवा के पद	२२	२६	...
३१	अधीनस्थ कृषि सेवा का द्वितीय ग्रुप	७	७	कमीशन ने सलाह दी कि चूंकि रिक्तियाँ लम्बी अवधि की हैं, चुनाव फिर से एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा मरिट के आधार पर होना चाहिये।
३२	प्रान्तीय रक्षक दल के सहायक कमांडेंट	३	४	..
३३	टाउन राशनिंग अधिकारी	११	१५	..
योग ...		२३१	६२३	

परिशिष्ट ५ (अ)

पदोन्नति द्वारा भर्ती के बे मामले, जो १ अप्रैल, १९५५ तक निपटाये न जा सके

क्रम-संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	न निपटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
१	पशु चिकित्सा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज की विलेज स्कीम	१	यह मामला १९५२-५३ के वर्ष का है। योजना के लिये केन्द्रीय सरकार की अनु-मति प्रदेशीय सरकार ने प्राप्त कर ली थी, परन्तु पद की भर्ती के ढंग वर्ष में तय न हो सके।
२	अधीनस्थ पशुचिकित्सा सेवा के सेवकान 'ए' में पशु चिकित्सा निरीक्षक	१२	विभागीय चुनाव समिति की संबोधित संस्तुतियाँ, जो मांगी गयी थीं, नहीं प्राप्त हुई थीं।
३	नायब तहसीलदार	२२	नायब तहसीलदारों व पेशकारों की अनुक्रम संचियाँ, जो मांगी गई थीं, प्राप्त नहीं हुई थीं।
४	पेशकार	२	मांगी गई चरित्र तालिकाएँ प्राप्त नहीं हुई थीं।
५	स्वायल कन्जर्वेशन तथा ऊसर रिक्लेमेशन योजना में फार्म मैनेजर	२	कुछ मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।
६	कृषि-संचालक, उत्तर प्रदेश के प्रधान कार्यालय के लिये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्कॉल के जिला कृषि अधिकारी पदिलक रिलेशन्स	१	कुछ मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।
७	फारेस्ट रेजर्स	१०	सम्बन्धित व्यक्तियों की चरित्र तालिकाएँ नहीं आई थीं, वे मांगी गईं।
८	ट्रेजरी अफसर	४	समस्त पात्र अधिकारियों की मांगी गई सूची प्राप्त नहीं हुई थी।
९	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रुप	२	कमीशन ने सुझाव दिया कि चुनाव शासन के नवीनतम आदेशों के अनुसार होना चाहिये और विभागीय चुनाव समिति की पुनरीक्षित संस्तुतियाँ मांगी।

परिशिष्ट ५ (अ) (समाप्त)

क्रम- संख्या	सेवा या पद का नाम	रिक्त स्थानों की संख्या	न निपटाये जा सकने के कारण
१	२	३	४
१०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल में फार्म मैनेजर का एक्स-काडर पद	१	कमीशन ने सुझाव दिया कि चुनाव शासन के नवीनतम आदेशों के अनुसार होना चाहिये और विभागीय चुनाव समिति की पुनः रीक्षित संस्तुतियां मांगी।
११	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल	८	कुछ सूचना तथा चरित्र तालिकायें, जिन्हें मांगा गया था, नहीं आई थीं।
१२	दप्तरों के निरीक्षक	२	कुछ सूचना मांगी गई थी।
१३	खाद्य तथा रसद व सहायता तथा पुनर्वासि विभागों के अधिकारियों में से डिप्टी कलेक्टर के पदों पर पदोन्नति	२१	इस वर्ष इस मामले में शासन से पत्र व्यवहार होता रहा। यह तथा पाया कि इन पदों के लिये चुनाव जिला कलेक्शन अधिकारियों तथा सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ किया जाय थयोंकि इन तीनों का चुनाव-क्षेत्र करीब-करीब एक ही था।
१४	सीनियर ऑफिटर, सहकारी अंकेक्षण संगठन	५	कुछ सूचना मांगी गई थी।
१५	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल के सेक्शन 'बी' में फंक्शनल उप संचालक	३	मार्च, १९५५ में प्राप्त हुआ। कुछ सूचना मांगी गई।
१६	पंचायत निरीक्षक	१४	मुख्य तथा अनुपरक सुचियाँ और अभ्यर्थियों की अनुक्रम सूची भी प्राप्त न हुई थीं। इन्हें मंगवाया गया।

परिशिष्ट ६

नियमितकरण के मामले

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
		३	
१	२	३	४
१	सहायक अभ कमिश्नर (रेशनलाइजेशन)	१	...
२	टेक्स्टाइल आपरेशन विशेषज्ञ तथा टाइम स्टडी अधिकारी	१	...
३	उत्तर प्रदेश शिक्षा—सेवा जूनियर स्कॉल में सहायक एस्ट्रानामर, राजकीय एस्ट्रानामि कल आवजरवेटरी, बनारस	१	...
४	लेबोरेटरी सहायक एवं मैकैनिक, राजकीय एस्ट्रानामिकल आवजरवेटरी, बनारस	१	...
५	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा प्रथम	३	उनमें से एक अनुमोदित नहीं किया गया।
६	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा द्वितीय (पुरुष शाखा)	८०	७९ को अनुमोदित किया। इन्हीं में से ४ मामलों में घटनाप्रचार, अनु- मोदन प्रदान किया गया। १६ मामलों में कमीशन ने उच्चतर आय-सीमा से और ५ मामलों में अहताओं को प्राप्त करने की प्राइवेशिक सीमा बन्धनों से मक्त करने के लिये संस्तुत किया। शेष एक डाक्टर का मामला समाप्त कर दिया गया क्योंकि उसने त्याग-पत्र दे दिया था।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
७	प्रदेशीय चिकित्सा सेवा द्वितीय (महिला शाखा)	१०	एक मामले में कमीशन का अनुमोदन इस शर्त पर था कि अभ्यर्थी हिन्दी जानती हो । दो मामलों में उच्चतर आयु-सीमा से और एक मामले में अहंताओं को प्राप्त करने की प्रादेशिक सीमा-बन्धनों से मुक्त करने की संस्तुति की गई ।
८	सहायक इंजीनियर (रिकॉर्डेशनिंग), मेरठ रोडवेज	१	
९	नायब तहसीलदार	१२७	७६ अनुमोदित किये गये जिनमें १९ ऐसे शामिल थे, जिनके मामलों में अनु- मोदन घटना उपरात दिया गया और शेष अव- क्रमित किये गये ।
१०	अधीनस्थ या स्पेशल अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में भाषा अध्यापक	४८	कुल मिलाकर ८३ अभ्यर्थी थे । उनमें से ४९ बाहरी और ३४ विभागीय अभ्यर्थी थे । कमीशन ने ४९ में से ३७ को अनु- मोदित किया और ११ को अयोग्य ठहराया क्योंकि उनमें अपेक्षित प्रशिक्षण अहंता नहीं थी और शेष एक मामले में कुछ सूचना मांगी । ३४ विभागीय अभ्यर्थियों के मामले चरित्र तालिकाओं के अभाव वश न निबटाये जा सके । ये परिणाम ६-अ के मद संख्या २३ पर दिखलाये गये हैं ।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४

११ जेल उद्योगों के सहायक संचालक (गजटेड) १ ...

१२ स्पेशल अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक ५४ अध्यापक

इस शर्त पर अनुमोदित किया कि वे उत्तर प्रदेश के निवासी हों। उनमें से ४ को इस शर्त पर भी अनुमोदित किया गया कि वे बनस्पति विज्ञान के साथ बी० एस-सी० पास हों। न्यून वयस्क अभ्यर्थियों को केवल उस काल तक के लिये अनुमोदित किया गया जब तक कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों। एक मामले में घटना-उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

१३ शिक्षा विभाग में सुपरिनेंडेन्ट आन स्पेशल १ ड्यूटी

इस शर्त पर अनुमोदित किया गया कि उसकी नियुक्ति सुपरिनेंडेन्ट के काडर की अन्य अस्थायी या स्थायी रिक्तियों पर उससे सीनियर लोगों की पदोन्नति के हक में हानिकारक न होगी।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१४ वित्त विभाग के अधीक्षक	३	उनमें से दो अनुमोदित हुये, शेष एक मामले में शासन ने कमीशन के परामर्श से निहित किया कि इसे राजकीय आदर्शों के अनुसार जोकि सेक्रेटरियेट एडमिनिस्ट्रेशन य० औ० नं० २०२८, दिनांकित १५ जुलाई, १९५५ में दिये हुये हैं, विभागीय च़नाव समिति को निर्देशित किया जाय और कागजात वापिस मंगवा लिये।	
१५ सार्वजनिक निर्माण विभाग, बी० एन्ड आर० के ओवरसियर	५९	कमीशन ने सलाह दी कि जिन अभ्यर्थियों को उन्होंने सीधी भर्ती द्वारा पहले ही संस्तुत कर दिया है उन्हें पहले नियुक्त किया • जाय और फिर भी यदि कोई रिक्त स्थान शेष रहे तो उसे भी सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय।	
१६ सामान्य सचिवालय उत्तर प्रदेश में अधीक्षक	३	इनमें एक ऐसा मामला भी शामिल है, जिसमें कि कमीशन ने एक वर्ष के पश्चात् एक अप्रत्यक्ष निर्वैश मांगा।	
१७ आर्थिक विभाग के लेक्चरर, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा	१		

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण			
			१	२	३	४
१८	स्वेशल अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में सहायक अध्यापिकायें	५८	कुल ६८ अभ्यर्थी थे उनमें से ५७ अनुमोदित किये गये और एक अनुमोदित नहीं की गई। शष १० पदोन्नति प्राप्त अभ्यर्थी थे और कमीशन ने अवक्रमित अभ्यर्थियों की चरित्र-तालिकायें मंगवायीं जोकि प्राप्त नहीं हुईं। ये मामले परिशिष्ट ६-अ के मद संख्या २४ में विस्तृत विवरण देते हैं।			
१९	उत्तर प्रदेश शिक्षा-सेवा जनियर स्कॉल, पुरुष शास्त्रीय में स्कूलों के जिला निरीक्षक और राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों के प्रिसिपल	४६	३७ रिक्त स्थानों के लिये कमीशन ने ३६ संस्तुत अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया और एक ऐसे अभ्यर्थी को, जो कि अवक्रमण के लिये प्रत्यावित अभ्यर्थियों में था, अनुमोदित किया।			
२०	रीजनल डायरेक्टर आफ रीसेटिलमेट एन्ड इस्लायबेट के कर्मचारिण्य में सहायक इंट्राविदि	४	कमीशन ने कहा कि उसका इन पदों से सम्बन्ध न था क्योंकि ये पद उसके पर्यावरण में नहीं थे।			
२१	डिप्टी कल्कटर	१०६	५२ निरन्तर अस्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये गये। शेष ५४ अवक्रमित हुये।			
२२	निलकांत सम्पत्ति के संरक्षक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी	१	अनुमोदित नहीं हुआ।			

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया।		विवरण
		१	२	
२३	रोडवेज के सहायक रीजनल मैनेजरों में से जनरल मैनेजर	३	कमीशन ने अनुक्रम सच्ची के प्रथम दो सहायक रीजनल मैनेजरों को पदोन्नति के योग्य नहीं समझा और तीसरे को संस्तुत किया। परन्तु उसको पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि स्थायी पदधारी अपने पद पर वापस आ गया।	३
२४	स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियर	७	कमीशन ने कहा कि नियम-पर्वक चुनाव जल्दी कर लिया जाय तो इन ओवरसियरों में से किसी की नियक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना नहीं होगी और एक आलेख्य विज्ञापन मांगा। उसने यह भी बतलाया कि उन अभ्यर्थियों में से एक अहंताप्राप्त नहीं था। इसे बाद में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।	७
२५	विधान सभा सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक	२		
२६	ट्रेड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	६६	कुल १०९ अभ्यर्थी थे जिनमें से ४९ अनुमोदित किये गये और १५ मामलों में घटना उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। ४३ अभ्यर्थियों के मामले कुछ सूचना के अभाववश न निबटाये जा सके।	६६

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
२७	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा जूनियर स्कैल में सहायक कृषि इंजी- नियर	३	परिशिष्ट ६-अ की मद संख्या २५ देखिये । शेष २ के बारे में कमीशन ने कहा कि चूंकि वे मामले पदोन्नत अभ्य- र्थियों के थे उन्हें अलग से वैसे ही अन्य मामलों के सांग निर्देशित किया जाय ।
२८	उत्तर प्रदेश शासन के गोपनीय विभाग में सहायक सचिव	१	कमीशन ने इनमें से एक को अनुमोदित किया और कहा कि शेष दो को हटा कर सीधी भर्ती द्वारा चुने गये अभ्यर्थी रखें जाय ।
२९	सहायक गत्ता विकास अधिकारी	५	विशेष अवस्था में अनुमोदित किया गया । पदों की अवधि एक वर्ष से कम होने के कारण कमीशन ने संकेत किया कि उससे परामर्श की आवश्यकता नहीं थी ।
३०	अधीनस्थ जन-स्वास्थ्य-सेवा, प्रथम वर्ग	४	...
३१	ड्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिकायें	६७	कुल १०५ अभ्यर्थियों में से ५७ अनुमोदित हुईं और एक के लिये घटना उप- राज्यत अनुमोदन प्रदान किया गया, ९ अयोग्य ठहराई गईं जिनके स्थान में अपेक्षित अहंता-प्राप्त अभ्यर्थियों को रखने के लिये कहा गया, शेष ३८ अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कुछ सूचना मांगी गयी । ये परिशिष्ट ६-अ क मद संख्या २६ में दिखलाई गई हैं ।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण	
			३	४
१	२			
३२	उप विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) पाइलट प्रोजेक्ट, इटावा	१	शासन के कहने पर यह मामला समाप्त किया गया क्योंकि पदधारी इस बीच में अपने विभाग को प्रत्यावर्द्धित हो चुका था।	
३३	लेक्चरर, स्ट्रिंग एवं मैसेज, फिजिकल एज्यूकेशन कालेज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	१	...	
३४	तहसीलदार	३८	६ रिक्त स्थान थे। कमीशन ने ६ संस्तुत अभ्यर्थियों में से ५ को और अव-क्रमण के लिये प्रस्तावित अभ्यर्थियों में से १ को अनुमोदित किया।	
३५	ड्रेजरी अफसर	३	...	
३६	फ़श्टरियों के डिप्टी चीफ इन्सपेक्टर, उत्तर प्रदेश	१	..	
३७	उत्तर प्रदेश गन्ना सेवा, द्वितीय ध्रेणी में जिला गन्ना अधिकारी	२	१ रिक्त स्थान के हेतु।	
३८	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, सीनियर स्केल	१६	७ रिक्त स्थानों के लिये।	
३९	मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी ड्रेनेज वर्क्स के लिये सहायक इंजीनियर	५	१ रिक्त स्थान के हेतु।	
४०	प्रान्तीय रक्षक दल प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र के लिये उप विकास अधिकारी प्रशिक्षण	१	कमीशन ने कहा कि इस मामले में उसके परामर्श को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह कमीशन के कृतयों के परिसीमन के विनियमों के विनियम ४-अ के अनुसार प्रतिनियुक्ति का मामला था।	

सं- ख्या	सेवा या पद	अस्थिरियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण	
			३	४
४१	उत्तर प्रदेश पश्चि- मिक्तिसा सेवा प्रथम थ्रेणी में यशु-पालन के उपसंचालक	१	..	
४२	अंशकालीन सब-रजिस्ट्रार	६	चूनाव के सिद्धांतों के विचाराधीन अवस्था में होने के कारण ३१ दिसम्बर, १९५५ तक के लिये अनुमोदित किया।	
४३	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर एलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल	१	कमीशन ने कहा कि उससे परामर्श करना आवश्यक नहीं था क्योंकि रिवित की अवधि एक वर्ष से कम की थी।	
४४	अधीनस्थ सहकारी सेवा के द्वितीय ग्रुप में सहकारी समितियों के निरीक्षक	५	इनमें १ ऐसा भी शामिल है जिसको अनुमोदित नहीं किया गया और जिसे जल्दी प्रत्यार्पित करने को कहा गया।	
४५	सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर	१३	इनमें से ७ उत्तरे ही रिवित स्थानों के लिये अनुमोदित किये गये।	
४६	शिक्षा प्रसार अधिकारी के अधीन डिस्ट्री- ब्यूशन अफसर	१	कमीशन ने संकेत किया कि पदों को पहले उनके पर्यावरण में लाया जाना चाहिये।	
४७	शिक्षा प्रसार अधिकारी के अधीन प्रोफेसनल अफसर	६	..	
४८	शिक्षा प्रसार अधिकारी के अधीन जर्नलिस्ट	१	..	
४९	संचालक गवर्नर अन्वेषण, शाहजहांपुर	१	..	

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
५०	एग्रीकल्चर के प्रोफेसर, एग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर	१	मामले को नियमित रूप देने के लिये कमीशन ने अनिच्छा से घटना उप- रात अनुमोदन प्रदान किया ।
५१	हार्टीकल्चरिस्ट इंचार्ज, फ्रूट रिसर्च स्टेशन, सहरनपुर	१	...
५२	सहायक विक्रीकर अधिकारी	४	...
५३	काशीपुर कालोनाइज़ेशन योजना में कृषि अधिकारी	१	कमीशन ने सलाह दी कि चूंकि यह मामला प्रति- नियुक्ति का था, इसमें कमीशन के कृत्यों के परिसीमन के १९५४ के विनियमों के विनियम ४-अ के अन्तर्गत उसका परा- मर्श आवश्यक नहीं था।
५४	प्रिन्सिपल, ड्रैग्निंग एवं एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, सहकारी प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूट, प्रतापगढ़	१	कमीशन ने सलाह दी कि ब्योकियि यह मामला प्रति- नियुक्ति का था, इसमें कमीशन के कृत्यों के परिसी, मन के १९५४ के विनियमों के विनियम ४-अ के अन्तर्गत उसका परामर्श आवश्यक नहीं था।
५५	बालिहा विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका	९	...
५६	मिनिस्टीरियल आर्थिक सूचना सेवा में विभिन्न पद	११	...
५७	डिएटो प्रोजेक्ट एक्जोक्यूटिव आफिसर, कम्प्यूटरी प्रोजेक्ट ब्लाक, जैसहपुर, ज़िला सुल्तानपुर	१	कमीशन ने कहा कि यह मामला प्रतिनियुक्ति का था, अतः उससे परामर्श आवश्यक नहीं था। शासन इससे सहमत हुआ।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यार्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण	
			३	४
५८	अर्थ तथा आंकड़ा विभाग में आर्थिक सूचना निरीक्षक	१०	६ को अनुमोदित किया गया। शेष ४ के बारे में कमीशन ने कहा कि उसका परामर्श आवश्यक नहीं था, क्योंकि उनको नियुक्ति की अवधि के एक वर्ष से अधिक होने की संभावना नहीं थी।	
५९	एलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल सुपरवाइजरों की उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स सेवा जूनियर स्कैल सिचाई विभाग में पदोन्नति	२५	७ रिक्त स्थानों के बास्ते।	
६०	राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर के लिये ड्राइंग मास्टर	१	कमीशन ने पद को विज्ञापित करने का निर्णय किया और साक्षात्कार के उपरान्त उसका पदधारी चुना।	
६१	सहकारी निरीक्षक, द्वितीय ग्रूप	...	१० इनमें से दो, जो बाहरी थे, अनुमोदित नहीं किये गये। शेष ८ सहकारी आडिटर थे, जिनके विषय में परामर्श आवश्यक नहीं था, क्योंकि उनको प्रतिनियुक्ति पर माना जा सकता था।	
६२	उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग में सहायक सचिव	५	२ रिक्त स्थानों के लिये।	
६३	अधीनस्थ गज्जा सेवा का प्रथम ग्रूप	...	१२	४ रिक्त स्थानों के लिये।
६४	राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर में सुपरवाइजर	१	चौंकि रिक्त लम्बी अवधि के लिये थी, कमीशन ने पद को विज्ञापित करने का निर्णय किया।	

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अस्थायीयों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण	
			३	४
१	२	३	३	४
६५	राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर में सेक्रेनिक	१	कमीशन ने सलाह दी कि पद उसके पर्यालोकन में नहीं था।	
६६	उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षण कालेजों के लिये जिला मनोवैज्ञानिक	५	...	
६७	उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षण के लिये सहायक मनोवैज्ञानिक	१०	...	
६८	पुरुषों के लिये राजकीय प्रशिक्षण कालेज में लेक्चरर	६	...	
६९	सीनियर डेस्टर	...	१	...
७०	अम विभाग में अम निरीक्षक	...	१	...
७१	हेड आफ दी टेक्सटाइल टेक्नालॉजी सेक्शन गवर्नर्मेंट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कान- पुर	१	अनुमोदित नहीं किया। कमीशन ने सलाह दी कि पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाय।	
७२	अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में फार्म सुपरिनेंडेन्ट	१	...	
७३	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जूनियर स्कैल में जनता कालेज का प्रिन्सिपल :	१	विशेष परिस्थिति में अनुमो- दित किया गया।	
७४	सीनियर मिल्क इंसपेक्टर, प्रथम ग्रूप	५	अनुमोदित नहीं किये गये। कमीशन ने सलाह दी कि इन पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिये। इस मामले में लगभग ३ से ८ साल तक का विलम्ब हो गया था, जो सरकार को प्रतिवेदित किया गया।	

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
७५	स्टैप्स और रजिस्ट्रेशन के निरीक्षक	...	६६ दो रिक्त स्थानों के लिये विभागीय चुनाव समिति द्वारा संस्थुत दो अभ्यर्थियों में से एक और अवक्रम के लिए प्रस्तावित सब रजिस्ट्रारों में से एक को अनुमोदित किया गया।
७६	सहायक सेकेन्सिकल इंजीनियर	...	१ ...
७७	बन विभाग के वर्किंग प्लान सर्किल के सिल्वी- कलचर डिवीजन में कम्प्यूटर	१	कमीशन ने कहा कि यह पद उसके पर्यावलोकन में नहीं था, अतः कमीशन के कृत्यों के परिसीमन सम्बन्धी विनियमों १९५४ के विनियम ३-अ के अन्तर्गत यह निर्देश अनावश्यक था।
७८	विद्युत विभाग में सहायक इंजीनियर	१०	...
७९	सिचाई विभाग में सहायक इंजीनियर	१९	इनमें से १ को अनुमोदित नहीं किया गया और कमीशन ने सलाह दी कि उसके स्थान पर सीधी भर्ती द्वारा दुने हुये एक सहायक इंजीनियर को यथाशीघ्र रख देना चाहिये।
८०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल में कृषि इंजीनियर	१	...
८१	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल में कृषि इंजीनियर वर्कशाप्स और ड्रॉफ्टस	१	...
८२	सार्वजनिक निर्माण विभाग, सड़क तथा भवन शाखा में ओवरलिंयर	६	...

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या, जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
८३	लोकल फन्ड आडिट डिपार्टमेंट में सहायक परीक्षक	२	...
८४	अधीनस्थ अम सेवा, तृतीय ग्रुप में स्टिस्टिकल सुपरिन्टेंडेन्ट	१	इस मामले में घटना उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया ।
८५	सहायक कमिशनर बिक्री कर, उत्तर प्रदेश	१	..
८६	उत्तर प्रदेश ग्लास टेक्नालोजिस्ट के कार्यालय के लिये लेबोरेटरी असिस्टेंट	१	चंकि अभ्यर्थी ने इसी पद के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन-पत्र दिया था और वह उसके लिये संस्तुत भी हो गया था, उसकी नियुक्ति के नियमितकरण का प्रश्न नहीं उठाया गया । तीन मामलों में ग्लास टेक्नालोजिस्ट ने निर्देश करने में जो विलम्ब किया था वह सुल्य मंत्री को प्रतिवेदित किया गया और शासन ने उद्योग संचालक को आदेश दिये कि वे भविष्य में सबेत रहें और यदि ऐसे अन्य मामले अब भी हों तो वे कमीशन के निर्देश के लिये शासन को सूचित करें ।
८७	भूमि-व्यवस्था कमिशनर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में लेखा अधिकारी	१	...
८८	सेंट्रल शीप और ऊन रिसर्च छाषीकेश, ज़िला देहरादून के लिये फार्म सुपरिन्टेंडेन्ट	१	मामला प्रतिनियुक्त का था, अतः कमीशन से परामर्श आवश्यक नहीं समझा गया ।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया।	विवरण	
			३	४
१	२			
१९	राजकीय सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर के लिये फोरमैन	३	विशेष परिस्थिति में इस शर्त पर अनुमोदित किये गये कि ये पद अधीनस्थ उद्योग सेवा में हों। परन्तु शासन का निर्णय अन्यथा रहा। अतः मामला समाप्त किया गया।	
२०	राजकीय काठ शिल्प विद्यालय, इलाहाबाद के लिये प्रिसिपल	१	...	
२१	उत्तर प्रदेश राजकीय हैंडीक्राफ्ट्स, लखनऊ में स्थापित सेल्स और एजेन्सीज के अधीक्षक	१	क्योंकि न तो यह पद अधीरे— नस्थ उद्योग सेवा के काडर में और न कमीशन के क्रृत्यों के परिसीमन के विनियमों से संलग्न सूची म ही था, कमीशन ने कहा कि उसके पर्यवलोकन में न होने के कारण उससे इस पद से कोई सम्बन्ध न था।	
२२	राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ के लिये द्वितीय टेक्निकल मास्टर	१	•	
२३	राजकीय व्यावसायिक संस्था, इलाहाबाद के लिये फोरमैन	१	•	
२४	अधीनस्थ उद्योग सेवा में टेक्सटाइल निरीक्षक	४	•	
२५	अधीनस्थ उद्योग सेवा में कमर्शियल ड्रेवलर्स	६	•	
२६	संचालक गभा रिसर्च स्टेशन, शाहजहांपुर के अधीन अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रुप में एलेक्ट्रोशियन	१	•	

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण		
			१	२	३
९७	सहायक कस्टोडियन, इवैकुर्झ प्रापर्टी, उत्तर प्रदेश	२		..	
९८	टाउन एवं ग्राम प्लानिंग विभाग में सीनियर आर्काइवेट	१		..	
९९	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज़, इलाहाबाद में लेखाधिकारी	१		..	
१००	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, सीनियर स्केल में एग्रीकल्चरल इकोनामिस्ट	२	एक रिक्त स्थान के लिये। इस मामले में कमीशन ने सेवा नियमों के नियम १६ (१) को शिथिल करने की सहमति दी।		
१०१	अधीनस्थ शिक्षा सेवा, महिला शाखा के ट्रॉड ग्रेजुएट ग्रेड में सहायक अध्यापिकायें	४	दो को अनुमोदित किया और शेष दो को शीघ्र उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तन की संस्तुति की।		
१०२	वित्तार्ड विभाग के लिये ओवरसियर	...	३५	इनमें से एक अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि वह अहंता प्राप्त नहीं था।	
१०३	अधीनस्थ शिक्षा सेवा के ट्रॉड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	११	तीन रिक्त स्थानों के लिये। कमीशन न मुख्य सूची के ३ अभ्यर्थियों में से २ और १ अवक्रम के लिये प्रस्तावित अभ्यर्थी को अनुमोदित किया।		
१०४	विस्थापित व्यक्तियों में से नायब तहसीलदार	५		..	

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अस्थर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण	
			३	४
१	२			
१०५ रकूलों के सब-डिप्टी इन्सपेक्टर	...	८३	कुल ८९ अस्थर्थी थे । इनमें से ५४ इस शर्त पर अनुमोदित किये गये कि वे हिन्दौ की योग्यता रखते थे । २८ निर्धारित वय सीमाओं में न थे, लेकिन विशेष परिस्थिति तथा इस आश्वासन पर कि भविष्य में ऐसे मामले न आयेंगे, अनुमोदित किये गये । एक मामले में घटना उपरात्त अनुमोदन प्रदान किया गया । शेष ६ मामले कुछ सूचना एवं चरित्र तालिकाओं के अभाव से न निबटाये जा सके, (परिशिष्ट ६-अ की मद संख्या २७ देखिये) ।	
१०६ तहसीलदार	...	४	इनमें से दो केवल एक वर्ष के लिये अनुमोदित किये गये ।	
१०७ नायब तहसीलदार	...	१	अनुमोदित नहीं किया गया ।	
१०८ पेशकार	...	१	...	
१०९ उत्तर प्रदेश राजकीय लाइजन अफसर	...	१	..	
लोहा एवं स्पात कलकत्ता के लिये				
११० राजकीय सेन्ट्रल टेक्स्टाइल इंस्टीट्यूट,	...	१	...	
कानपुर में द्वितीय टेक्स्टाइल असिस्टेंट				
१११ सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में	...	१	...	
में आडसटेट्रिक्स एवं गाइनेकालाजी के प्रोफेसर				
११२ सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में	...	१	..	
आडसटेट्रिक्स एवं गाइनेकालाजी के रीडर				

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
११३	सरोजनो नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में आव्सट्रिक्स एवं गाइने कालाजी के लेक्चरर	१	...
११४	उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट संगठन में सहायक रोजनल इंसपेक्टर (टेक्निकल)	१	अनुमोदित नहीं किया गया।
११५	कृषि महाविद्यालय, कानपुर के प्रिसिपल के लिये सहायक	१	अनुमोदित। कमीशन ने यह भी सलाह दी कि पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिये और विज्ञापन आलेख्य मांगा।
११६	अधीनस्थ सहकारी सेवा के प्रथम ग्रूप में सहकारी निरीक्षक	२	...
११७	राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, झांसी के लिये प्रिसिपल	१	...
११८	उत्तर प्रदेश के ग्रामों में पाइलट वर्कशाप व्यवस्था की योजना में इंजीनियर	१	...
११९	प्रिसिपल, गवर्नरमेंट इंटरमीडिएट कालेज, झांसी	१	कमीशन ने नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया और कहा कि भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जूनियर स्केल के आलेख्य नियमों के अनुसार होनी चाहिये।
१२०	ट्रेंड प्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	...	१
१२१	उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा, जूनियर स्केल में लेडी प्रिसिपल	३२	इनमें से ११, जिनको विभागीय चुनाव समिति ने स्थानापन्न पदोन्नति के लिये संस्तुत किया था, अनुमोदित की गईं।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१२२	सहकारी आडिट संगठन, उत्तर प्रदेश में चीफ आडिट ऑफिसर	२	इनमें से एक जिसको विभागीय चुनाव समिति ने संस्तुत किया था, अनुमोदित किया गया।
१२३	सहकारी आडिट संगठन, उत्तर प्रदेश के लिये रीजनल आडिट ऑफिसर	१६	५ अभ्यर्थी पांच रिक्त स्थानों के लिये अनुमोदित किये गये।
१२४	सर्विस मैनेजर, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज	१	पहले ३० जून, १९५४ तक के लिये अनुमोदित किया गया और फिर दुबारा निर्देश आने पर उस समय तक के लिये अनुमोदित किया गया जब तक कि कमीशन द्वारा विधि पूर्वक चुना हुआ अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जाय।
१२५	सरोजनी नायड़ मेडिकल कालेज, आगरा के लिये एनाटामी के रीडर	१	...
१२६	पंचायत राज विभाग में सहायक लेखा अधिकारी	१	अनुमोदित किया गया, परन्तु कमीशन ने बतलाया कि निर्देश उसके पास और पहले आना चाहिये था।
१२७	पंचायत निरीक्षक	...	१
१२८	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के उपसंचालक, इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस, उत्तर प्रदेश, कानपुर	१	...
१२९	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	...	२
१३०	अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रूप	...	४

क्रम- संख्या	सेवा या पद	अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण		
			१	२	३
१३१	सिंचाई विभाग के एशीकल्चरल इंजीनियरिंग सर्किल में लेखा अधिकारी वर्कशाप	१			...
१३२	प्रोडक्शन - असिस्टेंट फोरमेंट, गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्टरी, लखनऊ	२	विशेष परिस्थिति में अनु- मोदित किये गये।		
१३३	स्टोर सुपरिनेन्डेन्ट, गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रू- मेंट्स फैक्टरी, लखनऊ	१	विशेष परिस्थिति में अनु- मोदित किया गया।		
१३४	समग्रकालीन अधीक्षक, जिला जेल	...	२ रिक्त स्थानों के लिये।	५	
१३५	उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बी० सी० जी० के टीके की प्रसार योजना में फील्ड आगे- नाइजेशन अधिकारी	१			...
१३६	बिक्री कर अधिकारी	...	१३ रिक्त स्थान थे। विभा- गीय चुनाव समिति द्वारा संस्तुत १३ में से १२ और उसके द्वारा अवक्रम के लिये प्रस्तावित अभ्यर्थियों में से १ अनुमोदित किये गये।	४०	
१३७	उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के लिये अनुसंचित	१	कमीशन ने कहा कि यह वांछनीय नहीं था कि कोई बाहरी व्यक्ति शासन का अनुसंचित नियुक्त किया जाय और सुझाव दिया कि या तो संबंधित अभ्यर्थी को अफिसर आन स्पेशल डिप्टी के रूप में नियुक्त किया जाय या उसको किसी विभागीय अधिकारी से बदल दिया जाये। शासन ने उपर्युक्त सुझाव मान लिया।		
		योग	...	१,४०१	

(१५१)

परिशिष्ट ६ (अ)

नियमितकरण के वे मामले जो १ अप्रैल, १९५५ तक निबटाये न जा सके

क्रम-संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या, जिन पर विचार करना था	विवरण
१	२	३	४
१	पंचायत निरीक्षक	...	२ वांछनीय सूचना वर्ष के अन्तर्बत अप्राप्त रही।
२	कालोनाइजेशन विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम एवं द्वितीय ग्रूप	२५	गत वर्ष जो सूचना मांगी गई थी वह प्राप्त हो गई, परन्तु चरित्र तालिकायें प्राप्त नहीं हुईं।
३	कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिये वनस्पति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर	१	अनुक्रम सूची जो मांगी गई थी, नहीं आई।
४	अधीनस्थ कृषि सेवा में द्वितीय ग्रूप	..	३ वांछनीय, सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।
५	स्वेशल अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापक	१०७	"
६	पी० एम० एस० (महिला)	...	७ "
७	तहसीलदार	...	१७२ चरित्र तालिकायें और अच-क्रमित अधिकारियों के अवक्रम के कारणों की सूची प्राप्त नहीं हुई थी।
८	गज्जा विकास विभाग में ज़िला गज्जा अधिकारी (गजटेंड) का संवर्गातिरिक्त (एक्स-काडर) पद	१	कुछ सूचना तथा चरित्र-तालिकायें जो मांगी गई थीं, प्राप्त नहीं हुई थीं।
९	भूमि-व्यवस्था कमिशनर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में लेखा अधिकारी	१	वांछनीय सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या, जिनपर विचार करना था	विवरण
१	२	३	४
१०	अधीनस्थ सहकारी सेवा के द्वितीय ग्रूप में सहकारी समितियों के निरीक्षक	१८६	कुछ सूचना मांगी गई।
११	फार्म मैनेजर, माधुरीकुन्ड कॉलोनाइज़ एंटरप्रार्स	१	वांछनीय सूचना एवं चरित्र तालिकायें अप्राप्त रहीं।
१२	एग्रीकल्चरल अफसर/असिस्टेंट कॉलोनाइज़ेशन अफसर, गवर्नमेन्ट स्टेट फार्म, तराई, नैनीताल	१	वांछनीय सूचना नहीं आई।
१३	एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, गंगाखादर कालो - नाइजेशन स्कोम, जिला मेरठ	१	वांछनीय सूचना नहीं आई।
१४	पी० एम० एस० प्रथम	२	वांछनीय चरित्र तालिकायें एवं सूचना अप्राप्त रहीं।
१५	पुलिसके डिप्टी सुपरिनेंट	...	२ चरित्र तालिकायें नहीं प्राप्त हुई थीं।
१६	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	...	१६ } चरित्र तालिकायें तथा कुछ कागजात जो मंगवाये गये थे, प्राप्त नहीं हुये थे।
१७	अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रूप	२०	
१८	जेलर	७	मार्च, १९५५ में प्राप्त। कुछ सूचना मांगी गई।
१९	उप संचालक, मेकेनाइज़ एंटरप्रार्स, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितीय ग्रूप में डेयरी तथा कैटिल इंचार्ज	१	पात्र अभ्यर्थियों की मांगी गई चरित्र तालिकायें प्राप्त न हुईं।
२०	फारेस्ट रेंजर्स	...	३ चरित्र तालिकायें नहीं आईं।
२१	अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप	..	२ वांछनीय सूचना एवं चरित्र तालिकायें अप्राप्त रहीं।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	पदधारियों की संख्या जिनपर विचार करना था	विवरण	
			३	४
२२	राजकीय कृषि कालेज, कानपुर के लिये एशो- कल्चरल एकोनामिक्स और स्टेट मैनेजमेंट के सहायक प्रोफेसर	१	१९५३-५४ तथा १९५४-५५ के मंगवाये गये गोपनीय अभिलेख प्राप्त न हुये थे।	
२३	अधीनस्थ या स्वेशल अधीनस्थ शिक्षा सेवा में भावा अध्यापक	३५	बांछनीय सूचना एवं चरित्र तालिकायें अप्राप्त रहीं।	
२४	स्वेशल अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक अध्यापिकायें	१०	अवक्रमित अध्यापिकाओं की चरित्र तालिकायें नहीं आई थीं, इन्हें मांगा गया।	
२५	ड्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापक	४३	बांछनीय सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।	
२६	ड्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिकायें	३८	"	
२७	स्कूलों के सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर ..	६	कुछ मांगी गई सूचना और चरित्र तालिकायें अप्राप्त रहीं।	
योग			६९४	

परिशिष्ट ७

उन पदाधिकारियों के पुष्टिकरण के मामलों की सूची जो सीधी भर्ती द्वारा कमीशन के परामर्श से पहले अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	उन अधि- कारियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	चिवरण
१	२	३	४
१	अधीनस्थ गन्ना सेवा प्रथम ग्रूप के सदस्य	२	इनमें से १ अनुमोदित किया गया और दूसरे के विषय में कमीशन ने सलाह दी कि उससे परामर्श अनावश्यक था, क्योंकि वह पहले ही अनुमोदित किया जा चुका था।

२ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा प्रथम का अफसर

२ इनमें से १ अनुमोदित किया गया और दूसरे के विषय में कमीशन ने सलाह दी कि उससे परामर्श अनावश्यक था, क्योंकि वह पहले ही अनुमोदित किया जा चुका था।

३ उत्तर प्रदेश सूचना डाइरेक्टरेट में सूचना के सहायक संचालक

१ अनुमोदित।

४ अम अधिकारी, उत्तर प्रदेश

१ चूंकि स्थायी पद के लिये प्रस्तावित अर्हतायें तथा उस पद की ड्यूटी उन अर्हताओं और ड्यूटी से भिन्न थीं जब कि पद अस्थायी रूप से विज्ञापित किया गया था और पुष्टिकरण के लिये संस्तुत अभ्यर्थी उस पद के लिये चुना गया था, कमीशन ने प्रस्तावित पुष्टिकरण का अनुमोदन नहीं किया।

५ सहायक वेलफेर आफिसर

१ अनुमोदित।

६ सहायक महिला वेलफेर आफिसर

२ अनुमोदित नहीं किये गये।

सेवा या पद	उन अधि-कारियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण	
१	२	३	४

- ७ ड्रॉस्पोर्ट संगठन में रीजनल ड्रॉस्पोर्ट अधिकारी ४ कमीशन ने सलाह दी कि चूंकि ये चारों अधिकारी उत्तर प्रदेश सिविल एवजी-ब्यटिव सर्विस या संयुक्त स्टैट सर्विसेज परीक्षा के अनिवार्यित अभ्यर्थी थे और उनकी नियुक्ति कमीशन के परामर्श से हुई थी उनका पुष्टिकरण अन्य अभ्यर्थियों की तरह परीक्षण काल के पूर्ण होने पर, हो जाना चाहिये ।
- ८ ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेक्वियर, माल बोर्ड, उत्तर प्रदेश के लिये पर्सनल असिस्टेंट १ अनुमोदित । शासन से यह भी कहा गया कि पद के लिये रूल्स माल बोर्ड तथा कमीशन के परामर्श से बनाये ।
- ९ पी० एम० एस० महिला द्वितीय आफिसर १ अनुमोदित ।
- १० स्पेशल अधीनस्थ विकास सेवा में सहायक अध्यापक (अर्थ शास्त्र) १ अनुमोदित ।
- ११ उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में लेखा अधिकारी ४ अनुमोदित ।
- १२ डिप्टी माल अधिकारी ... २ २० जुलाई, १९५३ और ८ सितम्बर, १९५३ से अनुमोदित किये गये, जोकि निर्धारित परीक्षण-काल के पूर्ण होने की तिथियाँ थीं ।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	उन अधि- कारियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४

- १३ ट्रेन्ड प्रेजुएट्स ग्रेड में सहायक अध्यापिकायें ५ अनुमोदित नहीं हुईं । कमीशन ने बतलाया कि ये अध्यापिकायें होम साइंस कालेज, इलाहाबाद के लिये अस्थायी पदों के लिये संस्तुत थीं और इनका पुष्टिकरण उन्हीं पदों पर होना चाहिये, जब कभी वे पद स्थायी किये जायें ।
- १४ सार्वजनिक निर्माण विभाग में असिस्टेंट रिसर्च १ अनुमोदित ।
आफिशर (केमिस्ट)
- १५ ड्रांसपोर्ट संगठन में जनरल मैनेजर ... ७ ६ अनुमोदित किये गये और एक अनुमोदित नहीं किया गया ।
- १६ ड्रांसपोर्ट संगठन में सहायक जनरल मैनेजर २३ २२ अनुमोदित और एक को अग्रेतर परीक्षण हेतु संस्तुत किया गया । एक के लिये कमीशन ने प्रस्तावित शिक्षा संबंधी अहंताओं से छूट देने की संस्तुति की ।
- १७ ड्रांसपोर्ट संगठन में सर्विस मैनेजर ६ ४ अनुमोदित किये गये । एक को अनुमोदित नहीं किया गया और शेष एक को अग्रेतर परीक्षण के लिए संस्तुत किया गया ।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	उन अधि- कारियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
१८	ट्रांसपोर्ट संगठन में सहायक सर्विस मैनेजर	२	अनुमोदित नहीं किये गये, क्योंकि जब वे अस्थायी पदों के लिये चुने गये थे तब बहुत कम अभ्यर्थियों ने आवेदनपत्र भेजे थे। कमीशन ने सुझाव दिया कि पद पुनः विज्ञापित किय जाय।
१९	मनोरंजन कर नियोक्ता	...	१ अनुमोदित।
२०	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल के अधिकारीगण	२	उनके रिटायर होने के उपरांत उन्हें पिछली तारीख से पुष्टिकरण के लिये अनु- मोदित किया गया।
२१	उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, जूनियर स्केल में असिस्टेंट एकोनामिक बोटेनिस्ट (आयलसीड्स)	१	१ मई, १९५३ से अनुमोदित।
२२	श्रम नियोक्ता	...	१ अनुमोदित।
२३	स्वेशल अवीनस्थ शिक्षा सेवा में ड्यूरो आफ साइकालाजी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लिये लेडी टेस्टर	१	अनुमोदित।
२४	अतिरिक्त सहायक संचालक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश	१	अनुमोदित नहीं किया गया। कमीशन ने सलाह दी कि पद को यथाविधि विज्ञापन, साक्षात्कार आदि के उपरांत भरा जाय।

क्रम- संख्या	सेवा या पद	उन अधि- कारियों की संख्या जिन पर विचार किया गया	विवरण
१	२	३	४
२६	तहसीलदार	२ अनुमोदित नहीं किये गये, क्योंकि सेवा नियमों में विलीनीकृत राज्यों के कर्मचारियों के पुष्टिकरण के हेतु कोई उपबन्ध नहीं था। इनके विलीनीकरण की स्वीकृति १९५० व १९५१ में दो गई थी।
२७	नायब तहसीलदार	१
२८	पेशकार	...	१
२९	डिप्टी सुपरिनेंडेंट पुलिस	१ अनुमोदित।
३०	अधीनस्थ जन स्वास्थ्य सेवा, प्रथम ग्रेड के डाक्टर	२	पहचातदर्शी प्रभाव अर्थात् २ सई और २२ जून, १९४९ से, जब कि उनका २ वर्षीय परीक्षण काल पूर्ण हुआ था, अनुमोदित।
३१	फार्म मैनेजर एवं लेक्चरर इन डेयरिंग एण्ड फार्म मैनेजमेंट, मथुरा	१	अनुमोदित।
३२	श्रम विभाग में कंसिलियेशन अफसर	१	अनुमोदित।
३३	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के संचालक का पर्सनल असिस्टेंट	१	अनुमोदित।

परिशिष्ट ८

आसाधारण पेंशनें तथा/अथवा उपदान के दावे

- (१) लंबे कचहरी के एक कर्मचारी, स्वर्गीय पुत्र लाल पांडे के परिवार को।
- (२) देवरिया जिले के भूतपूर्व पटवारी, श्री पौहारी सरन लाल को।
- (३) पशु-पालन विभाग के भाँडारिक (स्टाकमैन) स्वर्गीय श्री ए० पी० शर्मा की विधवा को।
- (४) सामान्य सचिवालय के अवकाश-प्राप्त चपरासी, श्री बी० के० जोशी को।
- (५) सामान्य सचिवालय के अवकाश-प्राप्त चपरासी, श्री बी० के० जोशी की मृत्यु पर उसके परिवार को।
- (६) सहारनपुर जिला पुलिस के भूतपूर्व सब-इन्स्पेक्टर, स्वर्गीय श्री भुल्लन सिंह के परिवार को।
- (७) लखनऊ जिला के स्व० कान्स्टेबिल ड्राइवर इसरार खां के परिवार को।
- (८) मथुरा जिला पुलिस के स्व० हेड कान्स्टेबिल अमर सिंह की विधवा को।
- (९) आगरा जिला के स्व० कान्स्टेबिल तोते सिंह के परिवार को।
- (१०) सहारनपुर जिला पुलिस के स्व० कान्स्टेबिल बिजय सिंह के परिवार को।
- (११) पन्द्रहवां बटालियन, प्राविन्शियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, आगरा के स्व० कान्स्टेबिल राम बनारस सिंह के नाबालिंग भ्राता को।
- (१२) पन्द्रहवां बटालियन, प्राविन्शियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, आगरा के स्व० कान्स्टेबिल एस० पी० सिंह के परिवार को।
- (१३) कर्णवालाद जिला पुलिस के स्व० सब-इन्स्पेक्टर निसार अहमद के परिवार को।
- (१४) बिजनौर जिला पुलिस के स्व० कान्स्टेबिल राजेन्द्र प्रसाद की विधवा को।
- (१५) सिचाई विभाग के अस्थायी सहायक इंजीनियर, स्वर्गीय श्री बी० पी० पांडे के परिवार को।
- (१६) आगरा जिला पुलिस के स्व० सब-इन्स्पेक्टर, श्री आर० सी० जैन के परिवार को।
- (१७) अलीगढ़ जिला पुलिस के स्व० कान्स्टेबिल इब्राहीम बेग के परिवार को।
- (१८) बरेली जिला पुलिस के स्व० कान्स्टेबिल केदारनाथ के परिवार को।
- (१९) मथुरा जिला पुलिस के स्व० कान्स्टेबिल श्री द्वाराराम के परिवार को।
- (२०) गोरखपुर जिला पुलिस के स्व० कान्स्टेबिल केदार सिंह के परिवार को।

परिशिष्ट ६

वैध व्यय लौटाने के सम्बन्ध में दावे

(१) सब-इन्स्पेक्टर, श्री मोहम्मद फारुक को एक अभियोग के मामले में जो उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ३०२/३२५/ ३२३/१४९/१४८ के अन्तर्गत दायर किया गया था, अपनी पैरवी के लिये व्यय किये गये ।

(२) सब-इन्स्पेक्टर, श्री फारुक अहमद खां को एक अभियोग के मामले में जो उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ३२३/५०६ के अन्तर्गत दायर किया गया था, अपने पैरवी के किये व्यय किये गये ।

(३) सब-इन्स्पेक्टर, श्री जगज्जाथ पान्डे को एक मुकदमे के सम्बन्ध में, जोकि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ३०४/३०२ के अन्तर्गत, मुनिसिपल मैंजिस्ट्रेट व्याधन विभाग प्रदेश के न्यायालय में दायर किया गया था ।

(४) बहराइच के हेड कान्स्टेबिल वजीर हसन और कान्स्टेबिल बैजनाथ सिंह को एक शिकायत के मुकदमे में, जो इंडियन पीनल कोड की धारा १६२/३२३/३४२/३४१/३५४ के अन्तर्गत दायर हुआ था ।

(५) कान्स्टेबिल गोपी सिंह को एक मुकदमे में पैरवी करने के लिये जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ३६३ के अन्तर्गत दायर किया गया था ।

(६) बरेली जिला के सहायक पब्लिक प्रासोक्यूटर, श्री कन्हैया लाल मेरहोत्रा को एक मुकदमे में पैरवी करने के लिये, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ३०२/३०७ के अन्तर्गत दायर किया गया था ।

(७) श्रीनतो दुलारी देवी विवाह स्वर्गीय एक्साइज इन्स्पेक्टर श्री कल्याण सिंह को उनके द्वारा भग्नाट बनाम कल्याण सिंह के एक मुकदमे में किया गया ।

परिशिष्ट १०

सेवाओं तथा पदों के नियम

- (१) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा नियमों १९५१ के नियम १-बी में एक परन्तुक का जोड़ा जाना।
- (२) वैद्य और हकीमों की अधीनस्थ सेवा के आलेख्य नियम।
- (३) सेवा नियमों के तथ होने तक के लिये निम्नलिखित अधिकारियों के पदों में से स्थायोकृत ५० प्रतिशत पदों पर पुष्टिकरण के सिद्धांतः
- (अ) बिक्री कर अधिकारी।
 - (ब) सहायक बिक्री कर अधिकारी।
 - (स) बिक्री कर संगठन के कर्मचारीगण।
- (४) विद्युत नियोक्तक के संगठन में सहायक इंजीनियर्स (एलेक्ट्रिकल व कार्मिशियल) तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर्स (एलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल) के लिये भाषा एवं व्यावसायिक परीक्षाओं के आलेख्य नियम।
- (५) सहायक चुनाव अधिकारी के पद के आलेख्य नियम।
- (६) प्रदेशीय अम सेवा, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के सिद्धांत व प्रक्रिया।
- (७) उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा के आलेख्य नियम।
- (८) सिचाई विभाग में मेकेनिक के पदों पर भर्ती की विधि।
- (९) केन्द्रीय कारभारों के अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें।
- (१०) चक्रबन्दी अधिकारी के पदों के चुनाव के लिये श्रोत व विधि।
- (११) सबाडिनेट रेवेन्यू एकिजक्यूटिव सर्विस (तहसीलदार) रूल्स, १९४४ में नये नियम २४ का जोड़ा जाना।
- (१२) सबाडिनेट रेवेन्यू एकिजक्यूटिव सर्विस (नायब तहसीलदार) रूल्स, १९४४ में नये नियम ३८ का जोड़ा जाना।
- (१३) सबाडिनेट रेवेन्यू एकिजक्यूटिव सर्विस (पेशकार) रूल्स, १९४६ में नये नियम ३९ का जोड़ा जाना।
- (१४) अधीनस्थ आबकारी सेवा उत्तर प्रदेश के पुनरीक्षित आलेख्य नियम।
- (१५) ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में असिस्टेन्ट साइकोलाजिस्ट के पद पर भर्ती के लिये अहंतायें।
- (१६) शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश में लेक्चरर (तैरना व मालिश) के पद के लिये अहंतायें।
- (१७) पी० ए० सी० के गजटेड कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में विलोन करने की व्यवस्था करने के लिये एक सामान्य नियम का प्रख्यापन।
- (१८) उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, द्वितीय श्रेणी में नियुक्ति के तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के नियमन के नियम १६(१) में एक परन्तुक का जोड़ा जाना।
- (१९) उत्तर प्रदेश आबकारी सेवा नियमों १९४४ के नियम १० में एक नये उपनियम २ की प्रविधि और उसके फलस्वरूप अन्य उपनियमों का संशोधन।

(२०) सिंचाई विभाग अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा नियमों (१९५१) के नियम ९—बी में एक परन्तुक का जोड़ा जाना।

(२१) उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा में लेखा अधिकारी के ८ पदों पर विभागीय चुनाव नियमित द्वारा तथा कवीशन के परामर्श से पदोन्नति द्वारा भर्ती के सिद्धांत।

(२२) उत्तर प्रदेश विभावान परिषद सचिवालय में कोषाध्यक्ष एवं लेखापाल के एक पद और अवर वर्ग सहायक के दो पदों पर भर्ती की विधि।

(२३) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रब्रह्म/अवर वर्ग सहायकों की परीक्षाओं की विद्यमान पाठविधि में हिन्दी आलेखन पर एक प्रश्नपत्र का बढ़ाया जाना।

(२४) जिन मामलों में नियमों के अन्तर्गत अपील नहीं की जा सकती, उन मामलों में आरोपित दंड के विरुद्ध पुनरावेदन देने के लिए समय की सीमा निर्धारित करते हुए वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा पुनरावेदन नियमों के नियम ५६ के खंड अ के तीव्रे एक टिप्पणी की प्रविष्टि करना।

(२५) अधीनस्थ सेवाओं के लिये दंड तथा पुनरावेदन के नियमों के नियम १ में विन्द श्रेणी के कर्मचारियों पर जुर्माने के दन्ड का निवेश।

(२६) उत्तर प्रदेश विकास सेवा जनियर स्केल के आलेख्य नियमों में एक ऐसे परन्तुक का निवेश जिससे कि विशेष परिस्थितियों में कुछ पद ऐसे अति विशिष्ट योग्य अधिकारियों द्वारा भरे जा सकें जिन्होंने विकास विभाग में कम से कम पांच वर्ष किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद या उपयुक्त प्रतिष्ठा के पदों पर अस्थायी रूप से कार्य किया हो।

(२७) सिंचाई विभाग में फोरमैन के पदों के चुनाव की विधि।

(२८) राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में कताई व बुनाई के सहायक अध्यायक के पद के लिये अर्हतावैय।

(२९) सिंचाई विभाग में अधीनस्थ एलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा के आलेख्य नियमों के नियम ८(अ) (ii), ९(अ) (iii), १४, १९, २०, २१, २२, २४(अ) (ii), २४(ब), २५(२), नियम २६ के तीव्रे टिप्पणी, २७, ३४ और परिशिष्ट (सी) का संशोधन।

(३०) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों के विभागीय परीक्षा के नियमों के पैरा (डी) का पुनरीक्षण।

(३१) उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा नियमों १९४२ के नियम ९(२) का निकाला जाना।

(३२) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस एक्जीक्यूटिव ब्रांच रूल्स, १९४१ के नियम २५ (सी) का संशोधन।

(३३) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमों १९४२ के नियम १३, १४, १७, २५ व २६ का संशोधन।

(३४) अधीनस्थ आर्थिक सूचना सेवा के आलेख्य नियमों का आलेख्य नियम ९।

(३५) उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा जनियर स्केल तथा अधीनस्थ सहकारी सेवा में सीधी भर्ती के लिये प्रस्तावित अर्हताओं का संशोधन।

(३६) अधीनस्थ बन (रेन्जर्स, डिप्टी रेन्जर्स एवं फारेस्टर्स) सेवा नियमों के कुछ नियमों का संशोधन।

(३७) उत्तर प्रदेश बन सेवा नियमों १९४२ के कुछ नियमों का संशोधन।

(३८) सबाउडनेट रेवेन्यू एक्जीक्यूटिव सर्विस (तहसीलदार, नायब तहसीलदार व पेशकार) रूल्स के कुछ नियमों का संशोधन।

(१६३)

(३९) अधीनस्थ जन स्वास्थ्य सेवा नियमों के नियम १०, १६ (ii) और २२ का संशोधन।

(४०) उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा नियमों के नियम ११, १८ (i) और २० (बी) का संशोधन।

(४१) अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा नियमों १९५१ भवन तथा सड़क शाखा के नियम ३ (सी), ६, १२, १६, २७ व २९ और सिचाई शाखा के तत्स्थानी नियमों का संशोधन।

(४२) उत्तर प्रदेश तिविल जुड़ीशियल सर्विस में भर्ती के लिये उच्चतम आयु-सीमा को २८ से बढ़ाकर ३० वर्ष करने का प्रस्ताव और सेवा के लिये निर्धारित पाठ्यविधि में संशोधन।

परिशिष्ट ११

महत्वपूर्ण विविध निर्देश

(१) ३१ मार्च, १९५५ तक, और फिर १३ जूलाई, १९५५ ई० तक स्टेट इंडस्ट्रियल ड्रिल्युनल, उत्तर प्रदेश के मेम्बर जज के पदों पर सर्वश्री विजयपाल सिंह और राम चरन वर्मा को पुनर्नियुक्ति ।

(२) जज (पुनरीक्षण) विक्री कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर श्री एच० के० कौल की पुनर्नियुक्ति (चूंकि वे ६० वर्ष से अधिक के थे, कर्मशत उनकी पुनर्नियुक्ति से अति अनिच्छा से उहमत हुये) ।

(३) जुड़ोशल मेम्बर, माल बोर्ड, उत्तर प्रदेश के पदों पर सर्वश्री अब्दुल रहमान और त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव की पुनर्नियुक्ति ।

(४) डिप्टी कलेक्टर एवं स्पेशल लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, बनारस के पद पर श्री रामधारी राय की पुनर्नियुक्ति ।

(५) उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के अनुसचिव के पद पर ३१ मार्च, १९५५ तक, और फिर ३० जून, १९५५ तक श्री के० एस० गोयल की पुनर्नियुक्ति ।

(६) एक वर्ष की अवधि के लिये श्री मुहम्मद मुनव्वर की सेटिलमेंट आफिसर (चकवर्दी) के पद पर पुनर्नियुक्ति ।

(७) केन्द्रीय सरकार की स्पेशल पुलिस स्थापना के भेजे हुये मामलों पर विचार करने के लिये एक स्पेशल जज के पद पर श्री बृज नाथ जुतशी की पुनर्नियुक्ति ।

(८) निष्कांत तम्पति व सहायता तथा पुनर्वास संगठनों के रिटायर्ड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति ।

(९) उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स सेवा, जल विद्युत शाखा और एलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर संगठन में सहायक इंजीनियर के गजेट एवं पद पर भर्ती के लिये बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी० एस-सी० डिग्री की मान्यता ।

(१०) केन्द्रीय सरकार के अम मन्त्रालय के उद्योग प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूटों द्वारा प्रदत्त ड्राफ्टसमैनियर के डिप्लोमा की मान्यता ।

(११) अन्तर्कालीन आधार पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की (i) मेकेनिकल इंजीनियरिंग और (ii) सिविल एवं स्ट्रुक्चुरल इंजीनियरिंग में बी० एस-सी० डिग्री की असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर व पैप इंजीनियर तथा किंचाई विभाग के सहायक इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिये क्रमशः मान्यता ।

(१२) प्रदेशीय सरकार के अधीन नौकरी के लिये उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल एवं इन्टरमोडियेट एजकेशन बोर्ड की इन्टरमोडियेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बराबर नेशनल डिकेंस एकाडमी की जवाहार उचित सर्विसेज विभाग के दो वर्ष के कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसकी मान्यता ।

(१३) स्वायत शासन इंजीनियरिंग विभाग में उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग सेवा के पदों पर भर्ती के लिये अलीगढ़ व बनारस विश्वविद्यालयों की बी० एस-सी० सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की अन्तर्कालीन आधार पर मान्यता ।

(१४) प्रदेशीय सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के हेतु आल इंडिया काउंसिल फार एजूकेशन द्वारा प्रदत्त वाणिज्य में नेशनल डिप्लोमा को भारत में विर्वाहारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वाणिज्य डिग्री के समकक्ष मान्यता देना ।

(१५) जिला/सहायक एम्लायमेंट अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिये संस्तुत अभ्यर्थियों की सापेक्ष ज्येष्ठता को तय करना ।

(१६) सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों के अस्थायी व स्थानापन्न पदों पर बाद में विधिपूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने की शर्त पर अपेक्षित योग्यता प्राप्त कम से कम तीन मास के प्रशिक्षण-प्राप्त शिक्षिक्षु ओवरसियरों की नियुक्ति का प्रस्ताव ।

(१७) सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर के स्टोर्स अधिकारी के पद को सर्विस मैनेजर्स के वर्ग (काडर) में लाने और उस पद पर एक सर्विस मैनेजर का नियुक्त करने का प्रस्ताव ।

(१८) एक्स्ट्रा नायब तहसीलदार वडौरीज के नाम को बदल कर उसका नाम इन्सपेक्टर आफ वडौरीज रखने और उस पर बिना कमीशन के परामर्श के भर्ती करने का प्रस्ताव ।

(१९) श्री कुंवर सिंह की ग्रामीण उद्योग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले को कमीशन को निर्देश न करने की अनियमितता का परिवर्ष ।

(२०) सचिवालय के अस्थायी सहायकों का स्थायी सेवा में अन्तर्निधान ।

(२१) अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में श्री यशपाल चन्द्र, विरस निरीक्षक की ज्येष्ठता को तय करना ।

(२२) इस प्रदेश में सेवाओं व पदों पर भर्ती के हेतु उत्तर प्रदेश के बाहर से प्राप्त विश्वविद्यालय की डिप्री से नीचे की जैक्षिक अर्हताओं को मान्यता देना ।

(२३) अस्थायी रूप से सचिवालय में काम करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर व प्रवर वर्ग सहायकों की प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये उच्चतम आयु-सीमा से मुक्ति प्रदान करना ।

(२४) डाक्टर बी० बी० शर्मा, फिजियोलाजी लेखरर, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा का अभ्यावेदन (१) प्राइवेट प्रैविट्स के अधिकार के पुनः स्थापने के लिये तथा (२) पी० एम० एस० में उनके पूर्वाधिकार के प्रत्यारक्षण के लिये ।

(२५) संक्षिप्त एम० बी० बी० एस० कोर्स में भर्ती के लिये पी० एस० एम० एस०/ पी० एम० एस० द्वितीय के अधिकारियों का चुनाव ।

(२६) पूर्व बलरामपुर राज्य के इंजीनियर, श्री आनन्द नारायण की सिंचाई विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर ५५० रुपये माहवार के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्ति ।

(२७) उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम आयु-सीमा का निर्धारण ।

(२८) श्री जे० एन० पी० भट्टाचार्य, भूतपूर्व लेखपाल, स्टैंडर्ड क्लास स्कीम उनकी पदचयनि के फलस्वरूप लगी हुई पुनर्नियुक्ति की रोक को हटाया जाना और उनके १८ मास का सरकारी नौकरी से प्रतिवारित व्यक्तियों की सूची में से निकाला जाना ।

(२९) डाक्टर ए० बी० एल० माथुर, पी० एम० एस० प्रथम (रिटायर्ड) को बिना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किये ही दक्षता रोक पार करने देने का प्रस्ताव ।

(३०) विकित्सा विभाग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों की कमीशन द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता को कायम रखना ।

(३१) उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के ड्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्टों की सापेक्ष ज्येष्ठता को तय करना ।

(३२) अनुवाद विभाग के समाप्त होने पर सचिवालय के अस्थायी अनुवादकों का अवर वर्ग सहायकों के पदों पर अन्तर्निधान करने का प्रस्ताव ।

(३३) सूचना डाइरेक्टोरेट में प्रबल वर्ग सहायक, लेखापाल, कोषाध्यक्ष, निवेश लिपिक तथा अवर वर्ग सहायक के पदों पर स्थायी नियक्ति के हेतु चुनाव प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर न करके एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा विद्यमान कर्मचारियों में से उनके सेवा अभिलेख, सेवा की अवधि आदि के आधार पर करने का प्रस्ताव ।

(३४) विभिन्न प्रविधिक संस्थाओं में पावर हाउस इन्स्ट्रक्टर के पदों के लिये निर्धारित अर्हताओं का संशोधन ।

(३५) उत्तर प्रदेश यशुपालन विभाग के संचालक के कार्यालय के एक लिपिक श्री वसन्त बल्लभ लोहानी का उनके पुष्टिकरण की तिथि के सम्बन्ध में अस्यावेदन ।

(३६) पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के एक पूर्व लिपिक को नियन्त्रियुक्ति को रोक का हटाया जाना ।

(३७) विनिस्टरों के निजी सहायकों के समस्त विद्यमान स्थायी व अस्थायी पदों को सचिवालय के अधीक्षक के उत्तरे ही स्थायी व अस्थायी पदों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव ।

(३८) लविवालय में आशुलिपिकों के २७ पदों पर एकवर्षीय स्तर के अस्थायी आशुलिपिकों में से स्थायी रूप से भर्ती करने के लिये प्रतियोगितात्मक परीक्षा लेने का प्रस्ताव ।

(३९) श्री भहमूदुल हक्क खां को यनोरंजन करने के लिये पद पर पुनर्नियुक्ति ।

(४०) श्री योपाल सिंह को वन विभाग के सहायक संरक्षक के पद पर २८ नवम्बर, १९५२ से यरोक्षणकाल पर मौलिक रूप से नियुक्त करने तथा उनका वेतन निविच्छित करने का प्रस्ताव ।

(४१) डाक्टर एम० एम० भार्गव, पो० एम० एम० एम० द्वितीय का सेवाओं से अलग किये जाने के आदेश के विरुद्ध अस्यावेदन ।

(४२) श्री ज्ञान सिंह की एक और वर्ष के लिये सहायक यशुचिकित्सक के पद पर निरन्तर पुनर्नियुक्ति ।

(४३) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (सोसियर एकेज) में श्री एम० सी० कपूर की ज्येष्ठता ।

(४४) प्रदेशीय अम सेवा, द्वितीय श्रेणी की २५ प्रतिशत रिसीर्चों का अधीनस्थ अम सेवा से पदोन्नति द्वारा भरने के लिये सुरक्षित रखने का प्रस्ताव ।

(४५) ऐसे प्रबल वर्ग सहायकों में से जो कान से कान १० वर्ष की मौलिक सेवा रखते हों, सामान्य सचिवालय के अधीक्षक के पदों पर एक विभागीय चुनाव समिति द्वारा स्थायी एवं १ वर्ष से अधिक लम्बी अवधि की रिक्तियों में केवल श्रेष्ठता (merit) के आधार पर पात्रता के सम्पूर्ण क्षेत्र में से पदोन्नति के लिये चुनाव करने का प्रस्ताव ।

(४६) डाक्टर जो० आर० कालरा का पो० एम० एम० एम० द्वितीय में भूतलखी प्रभाव क साथ पदोन्नति के लिये अस्यावेदन ।

(४७) अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिला शाखा के ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में सीधी भर्ती द्वारा चुनो गई तथा पदोन्नति सहायक अध्यापिकाओं की सापेक्ष ज्येष्ठता का प्रक्षेत्र ।

(४८) उत्तर प्रदेश के स्कॉलों के जिला निरीक्षक और राजकीय इंटरमीडिएट कालेजों के प्रिमिपल के काउंसल में सीधी भर्ती से और पदोन्नति से भरने के लिये पदों की प्रतिशतता का स्थिरीकरण ।

(४९) उत्तर प्रदेश कालेज आफ वेटेरिनरी साइंस एन्ड एनिमल हस्पिट्सी, मथुरा के हाईजीन लेक्चरर के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर आफ मेडिसिन (प्रिवेटिव मेडिसिन) के पद में परिवर्तित करना और डाक्टर पी० सो० नाग को असिस्टेंट प्रोफेसर के उच्चतर वेतन-क्रम के पद पर नियुक्ति ।

(५०) पम्प इंजीनियर के पद पर भतो के लिये मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को बी० एस० सी० मेकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की मान्यता को वापस लेना ।

५१—कानूनगो ड्रेनिंग स्कूल, हरदोई में भर्ती के निमित्त चुनाव के हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये खाद्य तथा रसद व सहायता तथा पुनर्वास विभागों के अपशुल्क कर्मचारियों को उच्चतम जायु-सीमा से मुक्ति प्रदान करना तथा बाद में उसका अपाकरण करना ।

५२—श्री आर० एन० माथुर के मेकेनिकल ओवररसियर, हरकोर्ट बटलर टेक्नाला० कल इन्सटीट्यूट, कानपुर के पद पर पुष्टिकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन ।

५३—उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिये विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये चिभागीय अध्यर्थियों की बबलीफाइंग सेवाओं की अवधि की गणना करने की तारीख को १ जनवरी से १ जुलाई में बदलना तथा इन परीक्षाओं को १ जुलाई और ३१ अक्टूबर के बीच प्रति वर्ष लेना ।

५४—प्रदेश की विभिन्न इंजीनियरिंग सेवाओं में प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भतो करने के प्रस्ताव की पुनरावृत्ति ।

५५—उन अध्यर्थियों को जिन्होंने राजकीय संस्कृत कालेज, बनारस की प्रथमा, मध्यमा और शास्त्री परीक्षाओं को पुरानी प्रणाली से पास किया है, राजकीय सेवाओं में भर्ती होने के लिये और प्रदेश की प्रविधिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में दाविल होने के लिये इन्हीं परीक्षाओं को नई प्रणाली से पास करने की सुविधा देने का प्रश्न ।

५६—सार्वजनिक निर्माण व विद्युत विभागों के सहायक इंजीनियर के अस्थायी पदों पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति कमीशन की सलाह से हो चुकी है, उन्हीं अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति के संबंध में कमीशन से परान्न का प्रश्न ।

५७—श्री परमेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव के निरीक्षण से शिक्षण लाइन में स्थानान्तरण के उपरान्त ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड के सहायक अध्यापक के पदों में उनकी उपेक्षा का प्रश्न ।

५८—अधीनस्थ आवकारी सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में सेवा नियमों के आलेख नियम ३० के तथ होने तक के लिये चुनाव करने का प्रस्ताव ।

५९—उत्तर प्रदेश गवर्नरेंट रोडवेज के सहायक जेनरल मैनेजर के पदों को सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भरने की प्रतिशतता के संबंध में प्रस्ताव ।

६०—मनोरंजन कर निरीक्षकों के पदों की ५० प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिये सुरक्षित करना और शेष को खाद्य तथा रसद व सहायता तथा पुनर्वास विभागों के सुयोग्य कर्मचारियों में से भरना और उसके लिये अहताये :

श्री एस० एन० दुबे, मनोरंजन कर निरीक्षक, की उपेक्षा का मनोरंजन कर विभाग में उनके दुबारा आने की तिथि के अनुसार स्थिरीकरण ।

६१—सीनियर स्टेशन इंचार्जों में से ट्रैफिक सुपरिनेंट के काडर में ५० प्रतिशत के बदले ७५ प्रतिशत वर्तमान और भविष्य के रिक्त स्थानों को पदोन्नति द्वारा भरने का प्रस्ताव ।

६२—उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियों के आइटरों को पुनरीक्षित वेतन-क्रम प्रदान करने के संबंध में प्रस्तावित योग्यता निरीक्षण परीक्षा प्रणाली ।

६३—सामान्य सचिवालय में वर्तमान और ३१ मार्च, १९५९ तक होने वाले निर्देश लिपिक के रिक्त स्थानों को पदोन्नति द्वारा भरन के लिय अबर वर्ग सहायकों की पात्रता के हेतु सेवा के न्यूनतम स्तर को दस वर्ष से घटा कर ६ वर्ष करना ।

६४—विभागीय चुनाव समिति व कमीशन के परामर्श द्वारा ८ लेखा अधिकारियों के पदों के लिये पात्र ट्रेजरी अफसरों तथा वित्त विभाग के स्थायी अधीक्षकों व उनसे उच्चतर श्रेणी के दो अधिकारियों में से मेरिट के आधार पर चुनाव करने का प्रस्ताव ।

६५—कमीशन के पूर्व परामर्श बिना ही विभाग द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त किये गये ४३ अस्थायी आबकारी निरीक्षकों में से आबकारी निरीक्षक के पदों पर चुनाव की रीति व सिद्धांत ।

६६—पी० एस० (महिला) प्रथम के अधिकारियों को बाद में पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स यास कर लेने की शर्त पर दक्षता-रोक पार करने देने का प्रस्ताव ।

६७—श्री के० पी० नारायण और आर० एस० अवस्थी, स्थानापन्न सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ सहकारी सेवा के प्रथम ग्रुप में सहकारी निरीक्षक के पदों पर प्रत्यावर्तन ।

६८—समग्रकालीन अधीक्षक जिला जेल के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये एवं सिद्धांत ।

६९—उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जूनियर स्केल में हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिंसिपल के पदों पर अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) के हेडमास्टरों की पदोन्नति के हेतु ५० वर्ष की आयु-सीमा के प्रतिबन्ध का हटाया जाना ।

७०—उस कस्टौटी का निश्चय करना जिसके आधार पर अधीनस्थ शिक्षा सेवा (गजटेड) के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जूनियर स्केल में स्कूलों के जिला इंसपेक्टर व राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति और तदुपरात्त उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता स्थिर की जानी चाहिये ।

७१—सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद ४६५ के अन्तर्गत श्री रामानुज दयाल सक्सेना, जेलर की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति ।

७२—विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के पी० ए० के पदों के चुनाव क्षेत्र का स्थिर करना ।

७३—अधीनस्थ शिक्षा सेवा में २००-४५० रुपये के पोस्ट-ग्रेजुएट्स ग्रेड में पदोन्नति के लिये ड्रेन्ड ग्रेजुएट्स ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की मौलिक सेवा की शर्त को वैयक्तिक मामलों में कमीशन के परामर्श से शिथिल करना ।

शुद्धि-पत्रक

	अशुद्ध	शुद्ध
पृष्ठ ३, पैरा ५, पंक्ति २		थ
,, ८ „ ११, पंक्ति १	चौथ	चौथे
„ १० „ ५, „ १९	क	के
„ १० „ ६, „ ३	स	से
„ ११ „ ७, „ १०	त्र	पत्र
„ ११ „ ७, „ १४	म	नियम
„ ११ „ ७, „ १० नीचे से	सेना	सेवा
„ १८, विषय संख्या १३, पंक्ति २	अनुशासनात्मक	अनुशासनात्मक
„ २२, विषय संख्या १६, पैरा ३, पंक्ति ५	विक्षण	परीक्षण
„ २५, विषय संख्या १९, „ ३, „ २ नीचे से	आलेख्य	आलेख्य
„ ३०, स्तम्भ १ का शीर्षक	विवरण	विवरण
„ ३७, क्रम सं० ६ (स्तम्भ १३)	३५	३५
„ ४१, स्तम्भ १४ का शीर्षक	विशेष	विशेष
„ ४२, स्तम्भ ५ का शीर्षक	बैठन	बैठने
„ ४४, क्रम सं० ५ (स्तम्भ ७)
„ ४४, क्रम सं० ६ (स्तम्भ ७)	१	१ }
„ ४७, क्रम सं० ९ व १० के सामने स्तम्भ ८ व ९ में लिखे हुये शब्द “तदेव तदेव” को काट दीजिए।		
„ ४८, स्तम्भ ६ का शीर्षक	साक्षात्कार	साक्षात्कार
„ ४९, क्रम सं० १८ (स्तम्भ १०), पंक्ति ३	प्रतिकल	प्रतिकूल

		अंगुष्ठ	शुद्ध
पृष्ठ	५०, स्तम्भ ४ का शीर्षक	आवदन	आवेदन
,,	५१, क्र० सं० ५२ (स्तम्भ १०), पंचित ३	म	में
,,	६१, क्र० सं० ६० (स्तम्भ ९), „ ३	बरली	बरेली
,,	६४, स्तम्भ ५ का शीर्षक	अभ्यर्थियों	अभ्यर्थियों
,,	६५, क्र० सं० ७२ व ७३ (स्तम्भ १०), पंचित ८	क	के
,,	६८, क्र० सं० ७ का शीर्षक	संख्या	संख्या
,,	६८, क्र० सं० ८७, स्तम्भ १ में ८७ पढ़िये		
,,	६८, क्र० सं० ८७ (स्तम्भ २), पंचित १	ल	फल
,,	६८, क्र० सं० ८८ (स्तम्भ १)	८	८८
,,	७५, क्र० सं० १०३ (स्तम्भ ८)	तदैव	तदेव
,,	७७, क्र० सं० ११० (स्तम्भ ९)	तदैव	तदेव
,,	८४ क्र० सं० १३४ (स्तम्भ १)	०३४	१३४
,,	८५, क्र० सं० १३१ (स्तम्भ ९)	सारदा	शारदा
,,	८८, क्र० सं० १४५ (स्तम्भ २), पंचित २	र ।	रजा
,,	९१ क्र० सं० १५६ के सामने स्तम्भ ८ व ९ में “तदेव तदेव” पढ़िये,		
,,	९१, क्र० सं० १५ (स्तम्भ ८ व ९)	तदेव तदेव
,,	९३, क्र० सं० १६३ (स्तम्भ ८)	३ मा	३ मार्च
,,	९६, क्र० सं० १७६ (स्तम्भ २), पंचित २	स्कूल	स्कैल
, ,	९६, क्र० सं० १७६ (स्तम्भ २), „ ५	जेनेटिक्ट्स	जेनेटिक्स
, ,	९६ क्र० सं० १७८ (स्तम्भ ७)	...	१

अशुद्ध

शुद्ध

पृष्ठ	१००, क्र० सं० १९३ (स्तम्भ २), पंक्ति १	कनिष्ठ	ज्येष्ठ
„	११६, क्र० सं० १२ (स्तम्भ २)	सुपरिन्टेंडेंट	सुपरिन्टेंडेंट
„	११८, क्र० सं० २३ के स्तम्भ ४ के विवरण व क्र० सं० २२ के स्तम्भ ४ के विवरण को साथ साथ पढ़िये।		
„	१२९, क्र० सं० १ (स्तम्भ २)	इंचार्ज की	इंचार्ज की (key)
„	१३५, क्र० सं० १८ (स्तम्भ ४), पंक्ति ४	शब्द	शेष
„	१३५, क्र० सं० १८ (स्तम्भ ४), „ १ नीचे से दिखलायेगे ये		दिखलाये गये
„	१४०, क्र० सं० ५४ (स्तम्भ ४), „ ४	परिसी,	परिसी-
„	१४२, क्र० सं० ६६ (स्तम्भ २), „ २	लिय	लिये
„	१४५, क्र० सं० ९० (स्तम्भ २), „ २	लिय	लिये
,	१४५, क्र० सं० ९१ (स्तम्भ ४), „ ६	म	में
„	१४५, क्र० सं० ९२ (स्तम्भ २), „ २	लिय	लिये
„	१४६, क्र० सं० १०३ (स्तम्भ ४), „ २	न	ने
„	१५५, क्र० सं० ८ (स्तम्भ ४), „ १ नीचे से	बनाये	बनाये
„	१५७, क्र० सं० १८ (स्तम्भ ४), „ २ नीचे से	किय	किये
„	१५८, क्र० सं० ३३ (स्तम्भ २), „ २	असिस्टेंट	असिस्टेंट
„	१६१, क्र० सं० १२, पंक्ति १	म	में
„	१६२, क्र० सं० २९, „ २	२०.	२०,
„	१६२, क्र० सं० ३२, „ १	एक्जीक्यूटिव ब्रांच (एक्जीक्यूटिव ब्रांच)	
„	१६३, क्र० सं० ४२, „ २	लिय	लिये
„	१६४, निर्देश संख्या २, „ २	हुय	हुये

			अशुद्ध	शुद्ध
पृष्ठ	१६४, निर्देश संख्या १४, पंक्ति २		नेशलन	नेशनल
„	१६४, निर्देश संख्या १४, „ २		विं	विवि
„	१६५, निर्देश संख्या २३, „ ३		त्रे	होने
„	१६५, निर्देश संख्या २८, „ २		२	पर
„	१६५, निर्देश संख्या २८, „ ३		३	नाम
„	१६६, निर्देश संख्या ३६, „ १	इलाहाबाद के क	इलाहाबाद के कार्यालय के एक पूर्व	
„	१६६, निर्देश संख्या ४०, „ २	कर	करने	
„	१६६, निर्देश संख्या ४४, „ १	रिक्तियां ।	रिक्तियों को	
„	१६७, निर्देश संख्या ४९, „ ३	नाग को	अधीनस्थ	
„	१६७, निर्देश संख्या ५०, „ १	भत्ती	भत्ती	
„	१६७, निर्देश संख्या ५१, „ २	रीक्षा	परीक्षा	
„	१६७, निर्देश संख्या ५२, „ २	कल	जिकल	
„	१६७, निर्देश संख्या ५३, „ २	करने क	करने की	
„	१६७, निर्देश संख्या ५६, „ १	पद	पदों	
„	१६८, निर्देश संख्या ६३, „ २	भरन	भरने	

